अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय II

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

2.1 झारखण्ड में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव आश्रयणीयों के संरक्षण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

झारखण्ड राज्य का क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 25,118 वर्ग किलोमीटर का अभिलेखित वन क्षेत्र (आर.एफ.ए) और 23,721 वर्ग किलोमीटर का कुल वन आवरण (टीएफसी) शामिल है। झारखण्ड में 11 वन्यजीव आश्रयणी और एक राष्ट्रीय उद्यान का एक नेटवर्क है, जिन्हें संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, यहाँ एक बाघ अभ्यारण्य (पलामू बाघ अभ्यारण्य) और एक हाथी अभ्यारण्य (सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य) भी है।

सभी 12 संरक्षित क्षेत्रों को आच्छादित करते हुए वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए "झारखण्ड में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव आश्रयणीयों के संरक्षण" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई, ताकि नियोजन और वित्त पोषण की पर्याप्तता, संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए अपनाए गए उपायों और आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र की प्रभावकारिता का आकलन किया जा सके। निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष और सिफारिशें नीचे संक्षेप में दी गई हैं।

मार्च 2024 तक, राज्य सरकार ने 12 में से 11 संरक्षित क्षेत्रों में व्यक्तियों या समुदायों के अधिकारों का पूर्णतः निपटान नहीं किया था। लगभग 67 प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रों को संरक्षित वन घोषित किया गया था, जहाँ स्थानीय समुदायों और व्यक्तियों के अधिकारों को बिना वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध कराए निलंबित कर दिया गया था, जिससे जैविक दबाव, वन क्षरण और वन्यजीवों के लिए चारे की कमी हो रही थी। संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंधन योजनाएँ (प्रबंधन योजना) नियमित रूप से तैयार या अद्यतन नहीं किए गए, और सर्वेक्षण और संसाधन मानचित्रण जैसी आवश्यक गतिविधियाँ आयोजित नहीं की गईं। हाथी अभ्यारण्य के लिए कोई व्यापक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी, तथा अधिसूचित कोर क्षेत्र के लिए कोई गंभीर प्रबंधन योजना नहीं थी। सभी 12 संरक्षित क्षेत्रों को आच्छादित करने वाले घोषित नौ पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान दो वर्ष की निर्धारित अवधि के अंदर तैयार नहीं किए गए थे।

वित्तीय और प्रशासनिक कुप्रबंधन ने इन मुद्दों को और भी गंभीर बना दिया। 2018-23 के दौरान ₹ 41.22 करोड़ (उपलब्ध निधि का 10 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहे। पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन ने अनुज्ञेय तीन के बजाय आठ बैंक खाते संचालित किये तथा रोकड़ पंजी भी संधारित नहीं की। संरक्षित क्षेत्रों में बाहरी गतिविधियों और अतिक्रमण को रोकने के लिए डिजिटल डेटा का उपयोग करके सीमा समेकन का कार्य

आरंभ नहीं किया गया। कुशल कार्मिकों, वाहनों और संचार प्रणालियों सहित पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण गश्त में बाधा उत्पन्न हुई। दो संरक्षित क्षेत्र में निगरानी टावरों का अभाव था, जबकि मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों में गश्त के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। कर्मचारियों की कमी बहुत गंभीर थी, केवल 182 अग्रिम पंक्ति कर्मचारी (स्वीकृत क्षमता का 51 प्रतिशत) ही संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन कर रहे थे, जिनमें से अनेक के पास वन्यजीव प्रबंधन का प्रशिक्षण भी नहीं था।

वन्यजीव अपराधों के लिए अभियोजन प्रतिवेदन नौ से 68 महीने की देरी से अदालतों में प्रस्तुत की गईं, तथा अपराध-प्रवृत क्षेत्र मानचित्रण या आदतन अपराधियों की फाइलों के अभाव के कारण प्रवर्तन प्रभावित हुआ। आधे से अधिक संरक्षित क्षेत्रों के अत्यधिक या अधिक अग्नि प्रवण होने के बावजूद, वहां कोई वार्षिक अग्नि प्रबंधन योजना, अग्निशमन उपकरणों की आवश्यकता का आकलन या अग्निशमन दस्तों के लिए प्रशिक्षण नहीं था। पर्यावास की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है, 2017 और 2021 के बीच वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में 2.60 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि अनावृत क्षेत्रों और निर्मित क्षेत्रों में क्रमशः 13.51 प्रतिशत और 22.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वन्यजीव जनसंख्या की निगरानी असंगत थी, तथा इसमें महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव था, जो वैज्ञानिक जनगणना तंत्र के अभाव को दर्शाता है। पलामू बाघ अभ्यारण्य (पीटीआर) में बाघों की संख्या 34-46 (2000-2005) से घटकर 2022 में केवल एक रह गई, जबकि MSTrIPES निगरानी प्रणाली का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा रहा था।

यद्यपि तीन संरक्षित क्षेत्रों (दलमा, पालकोट और पीटीआर) में मानव-हाथी संघर्ष एक गंभीर मुद्दा था, फिर भी कोई क्षेत्र या प्रजाति-विशिष्ट अध्ययन या शमन रणनीति विकसित नहीं की गई थी। पारिस्थितिकी पर्यटन की संभावना की पहचान वाले 10 संरक्षित क्षेत्र, बिना परिभाषित वहन क्षमता, यात्रा मार्ग एवं यात्रा के साधन के साथ अदस्तावेजित एवं अव्यवस्थित रहे। संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास के केवल 40 प्रतिशत गांवों में ही पारिस्थितिकी विकास समितियां (ईडीसी) कार्यरत थीं, तथा 429 प्रस्तुत सूक्ष्म योजनाओं में से 130 को मंजूरी नहीं दी गई, जिसके कारण विकासात्मक गतिविधियां क्रियान्वित नहीं हो सकीं और संरक्षित क्षेत्रों पर स्थानीय निर्भरता अनियंत्रित हो गई। बचाव और पुनर्वास केंद्रों में पशु चिकित्सा देखभाल की कमी थी, और बचाए गए जानवरों को तुरंत जंगल में वापस नहीं छोड़ा जाता था। पशुधन का टीकाकरण अनियमित था, और विभागों ने पशुधन या प्रतिरक्षित जानवरों के आंकड़े संकलित नहीं किये।

संरक्षित क्षेत्रों के एकसमान और प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक अनुसंधान गतिविधियां 2018 और 2023 के बीच पूरी तरह से अनुपस्थित रहीं, और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के साथ संरेखित करने के लिए कोई राज्य वन्यजीव कार्य योजना तैयार नहीं की गई। सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) 15, जो "भूमि पर जीवन" से संबंधित है, को प्राप्त करने के वार्षिक लक्ष्य प्रत्येक योजना के लिए परिभाषित

नहीं किए गए, जिससे प्रगति अनिश्चित रह गई। किसी भी संरक्षित क्षेत्र ने संरक्षित क्षेत्रों की गतिविधियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों की निगरानी के लिए नियंत्रण प्रपत्र, संरक्षित क्षेत्र पुस्तकें, रेंज बुक या कम्पार्टमेंट हिस्ट्री जैसे आवश्यक अभिलेख नहीं रखे। ये कमियां संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियां को रेखांकित करती हैं, जिससे जैव विविधता संरक्षण और इन क्षेत्रों पर निर्भर समुदायों की आजीविका दोनों को खतरा पैदा होता है।

अनुशंसाएँ:

1. विभाग संरक्षित क्षेत्रों की अंतिम अधिसूचना को सुगम बनाने के लिए संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है।

2. विभाग प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए संरक्षण गतिविधियों हेतु स्थल-विशिष्ट योजनाओं की तैयारी तथा अनुमोदित प्रबंधन योजना की शेष योजना अवधि के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और संसाधन मानचित्रण के उपरांत इसे सुनिश्चित कर सकता है।

3. विभाग हाथी अभ्यारण्य के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाथियों के प्राकृतिक आवास और प्रवासी मार्ग बहाल हो जाएं तथा मानव-हाथी संघर्ष न्यूनतम हो जाएं।

4. विभाग, संरक्षित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर, ईएसजेड में प्रतिबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सभी ईएसजेड के लिए जेडएमपी तैयार कर सकता है।

5. विभाग पीटीसीएफ द्वारा रोकड़ पंजी का रखरखाव सुनिश्चित कर सकता है तथा डीएफओ को दिए गए अग्रिम की वसूली कर सकता है।

6. विभाग डीजीपीएस सर्वेक्षण के साथ सीमा स्तंभों के निर्माण के माध्यम से संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं को मजबूत करने के लिए कदम उठा सकता है।

7. विभाग पर्याप्त वाहनों, संचार उपकरणों और सुरक्षा गियर के साथ संरक्षित क्षेत्रों की गश्त के लिए कुशल कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित कर सकता है।

8. विभाग प्राथमिकता के आधार पर अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और विशेषज्ञ अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है तथा आवश्यकतानुसार उन्हें आरंभिक और विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है।

9. विभाग वन अपराधों की जांच और समयबद्ध तरीके से न्यायालय में पी.आर. प्रस्तुत करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर सकता है।

10. विभाग को आग से प्रभावित क्षेत्रों के लिए वार्षिक अग्नि प्रबंधन योजना और पुनर्स्थापन योजना का तैयारी/निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए। अग्निशमन कर्मियों को प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल आयोजन करना और दस्तों के लिए पर्याप्त अग्नि किट, संचार उपकरण और फायर ब्लोअर उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित कर सकता है।

11. विभाग संरक्षित क्षेत्रों में वन/वृक्ष आवरण में कमी के कारणों का पता लगाने तथा उपयुक्त शमन उपायों का सुझाव देने के लिए वन योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन करने पर विचार कर सकता है। संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों की आबादी का अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक जनगणना पद्धति अपनाई जा सकती है तथा उचित संरक्षण योजनाएँ तैयार की जा सकती हैं।

12. विभाग बाघों के लिए एक प्रभावी संरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए कोर क्षेत्र में स्थित गांवों के स्वैच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है। MSTrIPES एप्लीकेशन का उपयोग आवास की सुरक्षा, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और शिकारी और शिकार आबादी की बहाली में सहायता के लिए आवश्यक आंकड़ा एकत्र करने के लिए भी किया जा सकता है।

13. विभाग बचाव केंद्रों से उपचारित पशुओं को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की व्यवस्था कर सकता है। यह संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास के पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण सुनिश्चित कर सकता है और उसका दस्तावेजीकरण भी कर सकता है।

14. विभाग संरक्षित क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं मानव सेवा की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर सकता है तथा उपयुक्त शमन उपाय अपना सकता है।

15. विभाग प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए विशिष्ट पारिस्थितिकी पर्यटन योजना तैयार कर सकता है, जिसमें उसकी वहन क्षमता, यात्रा मार्ग, यात्रा के साधन, प्रवेश शुल्क आदि का विवरण दिया जाएगा। पारिस्थितिकी पर्यटन में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए स्थानीय समुदाय का कौशल विकास और जागरूकता सृजन सुनिश्चित किया जा सकता है।

16. विभाग को संरक्षित क्षेत्रों पर जैविक दबाव वाले सभी गांवों में ईडीसी का गठन सुनिश्चित करना चाहिए। गांवों में विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सूक्ष्म योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

17. विभाग संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित प्रत्येक योजना के लिए बजट में विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। राज्य में सतत् विकास लक्ष्य 15 की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित परिणामों की प्रगति की निगरानी की जा सकती है।

18. विभाग को निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए सभी संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्र पुस्तकों, रेंज बुक और नियंत्रण प्रपत्रों का रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए अनुसंधान गतिविधि शुरू करने और एक ठोस वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए एक राज्य वन्यजीव कार्य योजना तैयार की जा सकती है।

2.1.1 परिचय

झारखण्ड राज्य का क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42 प्रतिशत है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्वारा प्रकाशित भारत वन स्थिति प्रतिवेदन (आईएसएफआर), 2021 के अनुसार, झारखण्ड में दर्ज वन क्षेत्र[1] (आरएफए) 25,118 वर्ग किमी और कुल वन आवरण[2] (टीएफसी) 23,721 वर्ग किमी है। राज्य की स्थिति, 31.51 प्रतिशत आरएफए तथा 29.76 प्रतिशत टीएफसी के साथ, राष्ट्रीय औसत क्रमशः 23.58 तथा 21.71 प्रतिशत की तुलना में बेहतर है।

भारत सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनसे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित किया था। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम राज्य सरकार को पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव-जंतु, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणी विज्ञान संबंधी महत्व के किसी भी क्षेत्र को वन्यजीव या उसके पर्यावरण की सुरक्षा, प्रसार या विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव आश्रयणी घोषित करने का अधिकार देता है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में 2006 में संशोधन किया गया और एक नया अध्याय "राष्ट्रीय ब्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण" शामिल किया गया, जिसके तहत राज्य सरकारों को ब्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की अनुशंसा पर किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा, इन बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए बाघ संरक्षण योजना तैयार करने का भी आदेश दिया गया।

झारखण्ड में 11 वन्यजीव आश्रयणी और एक राष्ट्रीय उद्यान का नेटवर्क है, जिन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। झारखण्ड में संरक्षित क्षेत्रों का विवरण **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: मार्च 2023 तक संरक्षित क्षेत्र की अधिसूचना और क्षेत्र का विवरण

क्रम सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	अधिसूचना की तिथि	संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग किमी में.
1	हजारीबाग वन्यजीव आश्रयणी	24 मई 1976	186.25
2	गौतम बुद्ध वन्यजीव आश्रयणी	14 सितम्बर 1976	121.14
3	तोपचांची वन्यजीव आश्रयणी	03 जून 1978	12.82
4	लॉवालॉन्ग वन्यजीव आश्रयणी	07 अगस्त 1978	211.03
5	पारसनाथ वन्यजीव आश्रयणी	21अगस्त 1984	49.33
6	कोडरमा वन्यजीव आश्रयणी	25 जनवरी1985	150.62

[1] सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज क्षेत्र।

[2] एक हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल वाली सभी ज़मीनें, जिनमें पेड़ों की कैनोपी का घनत्व 10 प्रतिशत से ज़्यादा हो, चाहे उनका स्वामित्व और कानूनी दर्जा कुछ भी हो। ऐसी ज़मीनें ज़रूरी नहीं कि वे दर्ज वन क्षेत्र हों।

क्रम सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	अधिसूचना की तिथि	संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग किमी में.
7	उधवा झील पक्षी आश्रयणी	17 अगस्त 1991	5.65
8	दलमा वन्यजीव आश्रयणी	17 जुलाई1976	193.22
9	पलामू वन्यजीव आश्रयणी	14 जुलाई1976	979.27
10	बेतला राष्ट्रीय उद्यान [3]	10 सितम्बर 1989	
11	महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी	23 जून 1976	63.25
12	पालकोट वन्यजीव आश्रयणी	22 मार्च 1990	183.18
कुल:			**2,155.76**

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य में एक बाघ अभयारण्य भी है, जिसका नाम पलामू बाघ अभयारण्य है[4] जिसका क्षेत्रफल 1,129.93 वर्ग किलोमीटर है और एक हाथी अभयारण्य, जिसका नाम सिंहभूम हाथी अभयारण्य[5] है, जो 4,529.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

वन्यजीव जनगणना के अनुसार झारखण्ड के संरक्षित क्षेत्रों में जंगली जानवरों की कुल संख्या 2017-18 में 20,028 से घटकर 2020-21 में 19,882 रह गई है। ऐसे में वन्यजीवों, वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण और सुरक्षा को अत्यधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है।

2.1.2 संरक्षित क्षेत्र में गतिविधियों के विनियमन के लिए प्राधिकरण

संरक्षित क्षेत्रों में गतिविधियों का विनियमन वन संरक्षण अधिनियम, 1972 द्वारा नियंत्रित होता है, तथा इसे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा संपूरित किया जाता है। इन अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में निम्नलिखित प्राधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड: यह वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5A के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर गठित एक वैधानिक बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की भूमिका में, अन्य बातों के साथ-साथ, संरक्षित क्षेत्रों में गतिविधियों के प्रतिबंध से संबंधित मामलों पर सिफारिशें करना भी शामिल है।

---

[3] इस राष्ट्रीय उद्यान को पलामू वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत 226.32 वर्ग किमी क्षेत्र में अधिसूचित किया गया था।

[4] पीटीआर को 16 अगस्त 1974 को अधिसूचित किया गया था। बाद में पीटीआर के क्षेत्र में पलामू वन्य जीव आश्रयणी को अधिसूचित किया गया (14 जुलाई 1976)।

[5] दलमा वन्य जीव आश्रयणी को 17 जुलाई 1976 को अधिसूचित किया गया था। बाद में दलमा वन्य जीव आश्रयणी के क्षेत्र को शामिल करते हुए सिंहभूम हाथी अभयारण्य को सितंबर 2001 में अधिसूचित किया गया था।

राज्य वन्यजीव बोर्ड: राज्यों में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत गठित समितियां, संबंधित मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की जाती हैं। राज्य वन्यजीव बोर्ड का कर्तव्य संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों के चयन में राज्य सरकार को सलाह देना, संरक्षित क्षेत्र और वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के साथ आदिवासियों और अन्य वनवासियों की आवश्यकताओं के सामंजस्य के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में नीति तैयार करना आदि है।

2.1.3 संगठनात्मक व्यवस्था

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (विभाग) राज्य में संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। सचिव विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख (पीसीसीएफ, एचओएफएफ) विभाग के कार्यकारी प्रमुख हैं। पीसीसीएफ (वन्यजीव) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत मुख्य वन्यजीव वार्डन (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) है। क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ)/वन संरक्षक (सीएफ)/क्षेत्र निदेशक (एफडी) तथा प्रभागीय स्तर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी (डीएफओ)/उप निदेशक (डीडी) संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं। विभाग का संगठनात्मक ढांचा नीचे दर्शाया गया है:

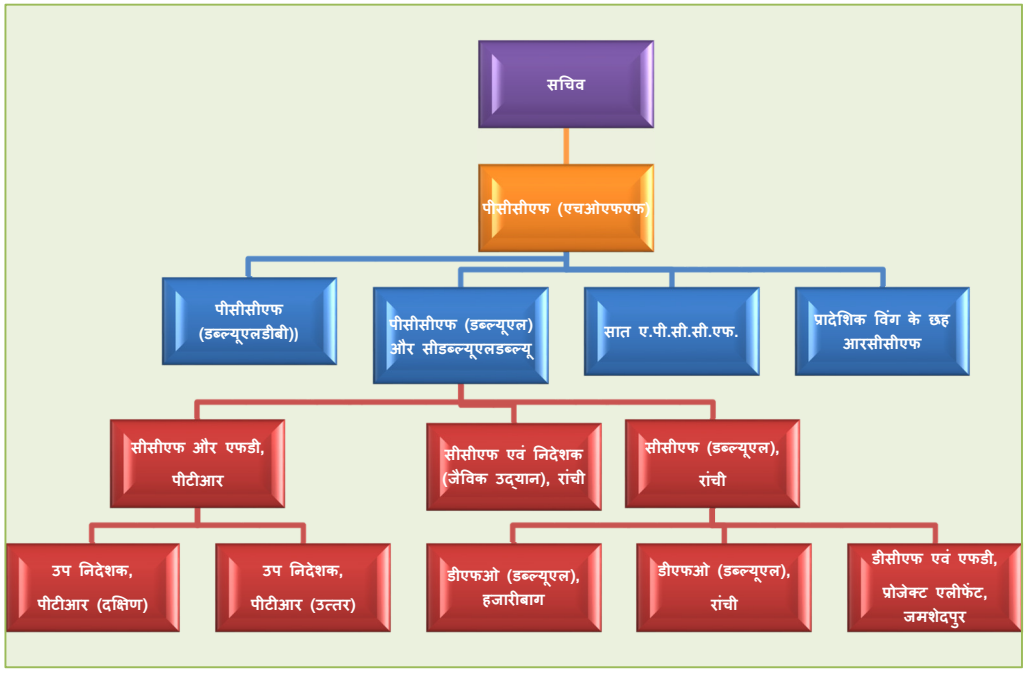

राज्य में तीन वन्यजीव प्रमंडल हैं जिन्हें प्रक्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनका नेतृत्व वन प्रक्षेत्र अधिकारी करते हैं। एक रेंज को बीट में विभाजित किया जाता है, जिसका नेतृत्व वनपाल करते हैं; तथा बीट को उप-बीट में विभाजित किया जाता है, जिसका नेतृत्व वनरक्षी करते हैं। उप-बीट विभाग की सबसे निचली प्रशासनिक इकाई है।

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि:

- राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव आश्रयणीयों में वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए योजना पर्याप्त थी
- वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी और उपलब्ध धनराशि का किफायती, प्रभावी और कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया
- वन्यजीवों और उनके आवासों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम/उपाय योजना एवं संबंधित नियमों के अनुरूप थे तथा कुशलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए थे; तथा
- वन्यजीव प्रबंधन के लिए आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र मौजूद और प्रभावी था।

2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

राज्य के सभी 12 संरक्षित क्षेत्रों का निष्पादन लेखापरीक्षा, 2018-19 से 2022-2023 तक की अवधि को शामिल करते हुए, जुलाई 2023 और अक्टूबर 2023 के बीच आयोजित किया गया था। विभाग, मुख्यालय स्तर पर पीसीसीएफ (वन्यजीव), एपीसीसीएफ (विकास) और एपीसीसीएफ (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण), दो[6] मुख्य वन संरक्षक, पांच [7] वन्यजीव प्रमंडलों और दो [8] प्रादेशिक प्रमंडलों के अधिकार क्षेत्र वाले संरक्षित क्षेत्रों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा प्रश्नों/प्रश्नावली पर विभाग के उत्तरों के विश्लेषण और अभिलेखों की जांच के माध्यम से आकंड़ो को एकत्र किया गया। लेखापरीक्षा ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर संरक्षित क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्र भ्रमण भी किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ एक प्रवेश सम्मेलन (जून 2023) आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, दायरे और मानदंडों को बताया गया। प्रधान सचिव के साथ निकास सम्मेलन (जुलाई 2024) आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों और लेखापरीक्षा सिफारिशों पर चर्चा की गई। निकास सम्मेलन में विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रिय अधिकारियों को संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय करने

---

[6] सीसीएफ एवं एफडी (पलामू बाघ अभयारण्य), मेदिनीनगर और सीसीएफ (वन्यजीव), रांची।

[7] वन्यजीव प्रमंडल, रांची और हजारीबाग; उत्तर और दक्षिण प्रमंडल, पलामू बाघ अभयारण्य, मेदिनीनगर और गज परियोजना, जमशेदपुर।

[8] उधवा झील पक्षी आश्रयणी, वन प्रमण्डल, साहिबगंज के क्षेत्राधिकार में है और सिंहभूम गज आश्रयणी, वन प्रमण्डल, जमशेदपुर, के क्षेत्राधिकार में आता है।

के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विस्तृत उत्तर भी प्रस्तुत किए (अगस्त 2024) जिन्हें प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित हैं:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-2016 और 2017-2031
- राष्ट्रीय ब्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा जारी दिशा-निर्देश
- संरक्षित क्षेत्रों की कार्य योजनाएं/प्रबंधन योजनाएं और ब्याघ्र संरक्षण योजना
- गज परियोजना का दिशानिर्देश (नवंबर 2013)
- पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों से संबंधित दिशा-निर्देश और अधिसूचनाएं
- भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा जारी योजना संबंधी दिशा-निर्देश और अन्य आदेश, निर्देश, कार्य योजनाएं, रणनीतियां
- भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी दिशा-निर्देश/अनुसंधान/अध्ययन प्रतिवेदन
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- झारखण्ड वित्तीय नियम, और
- प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) से संबंधित दिशानिर्देश।

2.1.7 संरक्षित क्षेत्र का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई)

भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्युआईआई), भारत सरकार, समय-समय पर विभिन्न मापदंडों जैसे प्रबंधन प्रथाओं, संरक्षण उपायों, पर्यावास बहाली, विविधता सूचकांक, बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता, कर्मचारियों और वित्तीय संसाधनों और स्थानीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर देश भर में संरक्षित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करता है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 2006 से 2022 के बीच विभिन्न अवधियों के लिए राज्य के सभी 12 संरक्षित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की थी **(परिशिष्ट 2.1)**। डब्ल्युआईआई की प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) प्रतिवेदन के अनुसार,

12 संरक्षित क्षेत्रों में से चार [9] को 'अच्छी'श्रेणी में और छः [10] को 'उचित' श्रेणी में रखा गया है, जबकि पीटीआर (जिसमें दो संरक्षित क्षेत्र अर्थात पलामू वन्य जीव आश्रयणी और बेतला राष्ट्रीय उद्यान हैं) की रेटिंग 2006 में 'बहुत अच्छी' से घटकर 2022 में 'अच्छी' हो गई है। एमईई प्रतिवेदनों में संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के संबंध में प्रबंधन की शक्तियों और कमजोरियों तथा कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन में सुधार के लिए एम.ई.ई. प्रतिवेदनों के कार्रवाई योग्य बिंदुओं के प्रति सुधारात्मक उपाय नहीं किए थे, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में विस्तृत रूप से बताया गया है तथा प्रतिवेदन में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अधिनियमन ने संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। वन्यजीव संरक्षण के प्रति देश के दृष्टिकोण और भारत की समृद्ध जैव विविधता के ह्रास के बारे में बढ़ती चिंता के मद्देनजर, पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को 1983 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया और 2002 (एनडब्ल्यूएपी-2) और 2017 (एनडब्ल्यूएपी-3) में संशोधित किया गया। एनडब्ल्यूएपी-2 ने राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) द्वारा प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए प्रबंधन योजना तैयार करने की सिफारिश की, ताकि पर्यावास संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के सतत् उपयोग के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की जा सके।

संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन में देखी गई कमियों/त्रुटियों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.2 योजना

2.2.1 अंतिम अधिसूचना जारी न करना

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 18(1), 19, 25ए और 26ए के अनुसार, राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा, वन्यजीव या उसके पर्यावरण की रक्षा, प्रसार या विकास के उद्देश्य से किसी भी आरक्षित वन या प्रादेशिक जल (1991 में सम्मिलित) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के अलावा किसी भी क्षेत्र को आश्रयणी के रूप में गठित करने के अपने इरादे की घोषणा करने का अधिकार दिया गया था। किसी क्षेत्र को आश्रयणी घोषित किए जाने के बाद, आश्रयणी की सीमाओं के भीतर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की सीमा की जांच और निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना था। दावा प्रस्तुत करने की अवधि बीत जाने के बाद, तथा आश्रयणी घोषित किए जाने वाले क्षेत्र में

[9] दलमा, महुआडांड़, पालकोट और उधवा झील पक्षी आश्रयणी।

[10] गौतम बुद्ध, हज़ारीबाग़, कोडरमा, लावालौंग, पारसनाथ और तोपचांची वन्य जीव आश्रयणी।

किसी भूमि के संबंध में किए गए सभी दावों, यदि कोई हो, का निपटारा हो जाने के बाद, राज्य सरकार को आश्रयणी के क्षेत्र की सीमाओं को निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना जारी करनी थी। धारा 18 ए (2) में आगे यह भी परिकल्पना की गई है कि जब तक प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार, सरकारी अभिलेखों के अनुसार, प्रभावित व्यक्तियों को उनके अधिकारों के अनुसार ईंधन, चारा और अन्य वनोपज उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम अधिनियम की धारा 35 के तहत घोषित राष्ट्रीय उद्यानों के मामले में भी इसी प्रकार के प्रावधान लागू हैं।

इसके अलावा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अनुसार, राज्य सरकार को किसी भी वन-भूमि या बंजर-भूमि को संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। ऐसी कोई अधिसूचना तब तक निर्गत नहीं की जानी थी जब तक कि ऐसी वन-भूमि या बंजर-भूमि पर सरकार और निजी व्यक्तियों के अधिकारों की प्रकृति और सीमा की जांच न कर ली गई हो और सर्वेक्षण या बंदोबस्त के माध्यम से या ऐसे अन्य तरीके से जिसे राज्य सरकार पर्याप्त समझे, उसे दर्ज न कर लिया गया हो। राज्य सरकार को ऐसी जांच और रिकॉर्ड लंबित रहने तक, बिना किसी व्यक्ति या समुदाय के मौजूदा अधिकारों को कम किए या प्रभावित किए ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित करना था। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना-3 (2017-31) में भी समयबद्ध तरीके से संरक्षित वनों की अंतिम अधिसूचना की सुविधा के लिए कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने का सुझाव दिया गया है, ताकि स्थानीय लोगों को होनेवाली परेशानियों से बचाया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने मई 1976 और अगस्त 1991 के बीच झारखण्ड में 12 संरक्षित क्षेत्रों (11 वन्य जीव आश्रयणी और एक राष्ट्रीय उद्यान) अधिसूचित किए थे। हालाँकि, केवल बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए अंतिम अधिसूचना जनवरी 1996 में निर्गत की गई थी और 11 वन्य जीव आश्रयणी की अंतिम अधिसूचनाएं उनकी अधिसूचना की तारीख से 32 से 47 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, मार्च 2024 तक जारी नहीं की गई थीं।

इसके अलावा यह भी देखा गया कि 11 में से 9[11] वन्य जीव आश्रयणीयों में कुल अभ्यारण्य क्षेत्र (2,155.76 वर्ग किमी.) का लगभग 67 प्रतिशत (1,434.23 वर्ग किमी.) संरक्षित वन है, जहां व्यक्तियों या समुदायों के अधिकारों का अभी तक निपटान नहीं हुआ है (मार्च 2024 तक)। अधिकारों का निपटान न होने से वन्य जीव आश्रयणी के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

[11] दलमा: 147.64 वर्ग किमी., गौतम बुद्ध: 121.14 वर्ग किमी., हजारीबाग: 186.25 वर्ग किमी., लावालौंग: 211.03 वर्ग किमी., महुआडांड़: 63.25 वर्ग किमी., पालकोट: 183.18 वर्ग किमी., पारसनाथ: 49.33 वर्ग किमी., पलामू: 471.72 वर्ग किमी. और तोपचांची: 0.69 वर्ग किमी. कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य और उधवा झील पक्षी आश्रयणी आरक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं।

- महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी के प्रबंधन योजना (2016-17 से 2025-26) के अनुसार आश्रयणी के लगभग सभी वन क्षेत्र संरक्षित वन हैं और उन पर अधिकारों का बोझ है। जून 1976 में (धारा 18 के अंतर्गत) घोषणा के समय व्यक्तियों के अधिकार निलंबित[12] कर दिए गए थे, लेकिन उनका कभी निपटारा नहीं हुआ। राज्य सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों/समुदायों को उनके अधिकारों के बदले में वैकल्पिक संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराए, जिसके परिणामस्वरूप आश्रयणी को अभी भी जैविक दबाव से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे मवेशियों का चरना, पेड़ों की कटाई, जलाऊ लकड़ी का संग्रहण, स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए लघु वनोपज और औषधीय पौधों का संग्रहण।
- पालकोट वन्य जीव आश्रयणी क्षेत्र के प्रबंधन योजना (2020-21 से 2029-30) के अनुसार आश्रयणी का अधिकांश क्षेत्र अधिकारों के बोझ तले दबा हुआ था और मार्च 1990 में आश्रयणी क्षेत्र के रूप में घोषित होने के बाद से ही अप्रभावित बना हुआ था, जिससे क्षीण और बिखरे वन की बहाली में बाधा उत्पन्न हो रही थी। भूमि उपयोग भूमि आवरण (LULC) डेटा से यह भी पता चला है कि 2017 की स्थिति की तुलना में 2021 में आश्रयणी में फसल क्षेत्र और निर्मित क्षेत्र में क्रमशः 22.10 वर्ग किमी (8.43 प्रतिशत) और 9.03 वर्ग किमी (39.99 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है (फसल क्षेत्र: 262.10 वर्ग किमी और निर्माण क्षेत्र: 22.58 वर्ग किमी)।
- हजारीबाग वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना (2020-21 से 2029-30) ने आश्रयणी क्षेत्र में मवेशियों के चरने के अधिकार को एक बड़े खतरे के रूप में स्वीकार किया, जिससे वन्यजीवों (शाकाहारी) के लिए उपलब्ध चारा स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। प्रबंधन योजना ने मवेशियों के चरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था विकसित करने के साथ चराई के अधिकारों का समाधान करने का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, इसे लागू नहीं किया गया था और न ही सुधारात्मक उपाय किए गए थे (मार्च 2024 तक), यद्यपि मई 1976 में संरक्षित क्षेत्र को वन्य जीव आश्रयणी घोषित किया गया था।
- दलमा वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना (2020-21 से 2029-30) के अनुसार जुलाई 1976 में वन्य जीव आश्रयणी के रूप में घोषणा के बाद से जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यक जाँच-प्रक्रिया और अधिकारों के निपटान की औपचारिकता नहीं निभाई गई थी। इसके कारण आश्रयणी के आसपास के क्षेत्रों में वनों का क्षरण, लघु वनोपजों का निष्कासन, घरेलू उपयोग के लिए वृक्षों की

[12] धारा 18 ए (1) के अनुसार, जब किसी क्षेत्र को धारा 18 (1) के तहत अभयारण्य घोषित किया जाता है, तो धारा 27 से 33 ए के प्रावधान यानी अभयारण्य में प्रतिबंधित प्रवेश, अभयारण्य में विनाश का निषेध, अभयारण्य का नियंत्रण और प्रबंधन, अभयारण्य में चराई का निषेध आदि तुरंत प्रभावी होंगे।

अवैध कटाई, पशुओं की चराई तथा आश्रयणी की भूमि पर अतिक्रमण हुआ। एलयूएलसी डेटा ने 2017 की स्थिति (निर्मित क्षेत्र: 23.18 वर्ग किमी और पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र: 239.90 वर्ग किमी) की तुलना में 2021 में संरक्षित क्षेत्र के भीतर निर्मित क्षेत्र में 3.71 वर्ग किमी की वृद्धि और पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र में 6.61 वर्ग किमी की कमी दिखाई।

- उधवा झील पक्षी आश्रयणी के प्रबंधन योजना(2021-22 से 2030-31) ने संकेत दिया कि निजी भूस्वामियों ने आश्रयणी के परिदृश्य की टेढ़ी-मेढ़ी प्रकृति का लाभ उठाया और आश्रयणी के भीतर मौजूद बिखरे रैयती भूमि के बड़े हिस्से का खेती के लिए उपयोग किया। विभाग द्वारा अगस्त 1991 में इसे झील पक्षी आश्रयणी घोषित किये जाने के बाद से आश्रयणी में रैयती भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता का आकलन नहीं किया था, जो इसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवश्यक था।

इस प्रकार, व्यक्तियों/समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने तथा उनके अधिकारों के बदले में उन्हें वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की असमर्थता के कारण संरक्षित क्षेत्रों पर जैविक दबाव, अवक्रमित एवं खंडित वनों की पुनर्स्थापना न होना, शाकाहारी पशुओं के लिए चारे के संसाधनों का ह्रास तथा अपनाए गए संरक्षण एवं सुरक्षा उपायों में अपर्याप्तता आई। इसके अतिरिक्त, इससे संरक्षित क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई, अतिक्रमण और मवेशियों के चरने जैसे वन अपराध भी बढ़े, जैसा कि **कंडिका 2.4.1.4** में चर्चा की गई है।

विभाग ने जवाब में कहा (अगस्त 2024) कि कोडरमा वन्य जीव आश्रयणी, जिसमें अधिसूचित आरक्षित वन शामिल हैं, को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26 ए के तहत एक आश्रयणी माना जाता है। शेष 11 संरक्षित क्षेत्रों की अंतिम अधिसूचना की प्रक्रिया 1996 में शुरू हुई, जिसमें छः[13] आश्रयणीयों के लिए अधिकार पूरी तरह से तथा दो (दलमा और गौतम बुद्ध) के लिए आंशिक रूप से तय किये गये। उपायुक्तों के अनुरोध (सितंबर 1998 और फरवरी 1999) के बावजूद, बिहार राज्य के विभाजन के कारण अंतिम अधिसूचना में देरी हुई। इस बीच, सर्वोच्य न्यायालय ने (फरवरी 2000) संरक्षित क्षेत्रों में सभी अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे यह प्रक्रिया रुक गई। मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव ने अब अधिसूचना प्रक्रिया (2023-24) पुनः शुरू की, तथा संबंधित अधिकारियों ने हजारीबाग, लावालौंग, पारसनाथ और दलमा वन्यजीव आश्रयणीयों की अंतिम अधिसूचना के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है।

छः संरक्षितों क्षेत्र में अधिकारों के निपटान के संबंध में उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि तीन संरक्षित क्षेत्रों (हजारीबाग, पालकोट और उधवा) के प्रबंधन योजना को अधिकारों के निपटान के 20 वर्षों से अधिक समय (वर्ष 2000 से पहले) के बाद

[13] हज़ारीबाग़, तोपचांची, लावालौंग, पारसनाथ, उधवा और पालकोट।

(मार्च 2020 और जनवरी 2022 के बीच) मंजूरी दी गई थी, जैसा कि विभाग ने दावा किया है। इससे रैयती भूमि के अधिग्रहण सहित सभी अधिकारों का निपटान न होने का संकेत मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप चारागाह क्षेत्र में कमी आई, क्षीण वनों की पुनर्स्थापना नहीं हुई तथा संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी संरक्षण एवं सुरक्षा का अभाव हुआ। लावालौंग वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना (जनवरी 2022 में अनुमोदित) ने लघु वनोपज के संग्रहण के अधिकारों को पुनर्जीवित करने का भी सुझाव दिया क्योंकि ग्रामीणों ने इन वस्तुओं को अवैध रूप से एकत्र करना जारी रखा है। पारसनाथ वन्य जीव आश्रयणी का प्रबंधन योजना (मार्च 2020 में स्वीकृत) में अधिकारों के निपटान के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं है, जबकि तोपचांची वन्य जीव आश्रयणी का प्रबंधन योजना अभी तैयार नहीं किया गया है। इसके अलावा, पलामू वन्यजीव आश्रयणी और महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी में अधिकारों के निपटान के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

अनुशंसा 1: विभाग संरक्षित क्षेत्रों की अंतिम अधिसूचना को सुगम बनाने के लिए संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है।

2.2.2 प्रबंधन योजनाओं का अभाव

संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंधन योजना पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित एनडब्ल्यूएपी-2 (2002-16) और एनडब्ल्यूएपी-3 (2017-31) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के पास वैज्ञानिक और पारिस्थितिकी आंकड़ों के आधार पर 10 वर्ष की अवधि के लिए अपनी स्वयं की प्रबंधन योजना होनी चाहिए। प्रबंधन योजना विकास प्रकोष्ठ (एमपीडीसी) की स्थापना राज्य वन विभाग के मुख्यालय में की जानी थी, ताकि समय पर तैयारी और समीक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके। सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक रूप से मान्य प्रबंधन योजना की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि झारखण्ड राज्य के निर्माण (नवंबर 2000) के बाद, 2001-02 से पूरी अवधि को शामिल करते हुए 12 संरक्षित क्षेत्रों में से 11 के लिए प्रबंधन योजनाएं (प्रबंधन योजना) तैयार नहीं की गई थीं तथा मार्च 2023 तक अंतराल की अवधि दो (पीटीआर) और 19 (पारसनाथ) वर्षों के बीच थी **(परिशिष्ट 2.3)**। इसके अलावा, झारखण्ड के निर्माण के बाद तोपचांची वन्य जीव आश्रयणी के लिए कोई भी प्रबंधन योजना तैयार नहीं की गयी थी। विभाग द्वारा प्रबंधन योजना एम.पी.डी.सी. भी स्थापित नहीं किया गया था (जुलाई 2023 तक) और इस प्रकार, प्रबंधन योजना की समय पर तैयारी और उनकी निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। प्रबंधन योजना तैयार न होने/विलंब से तैयार होने के कारण आश्रयणीयों का प्रबंधन प्रभावित हुआ, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

- विभाग ने पांच [14] वन्य जीव आश्रयणीयों के प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए अनुभवी परामर्शदाता फर्मों/संस्थानों/संगठनों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की थी (नवंबर 2016)। हालाँकि, पीसीसीएफ, झारखण्ड के अनुमोदन से क्रय समिति [15] ने केवल तीन वन्य जीव आश्रयणीयों (हजारीबाग, पारसनाथ और दलमा) के लिए प्रबंधन योजना तैयार करने की मंजूरी दी थी (जनवरी 2017)। यह निर्णय लिया गया कि शेष दो वन्य जीव आश्रयणीयों (उधवा और तोपचांची) के प्रबंधन योजना का क्षेत्र छोटा होने के कारण विभागीय स्तर पर इसकी तैयारी की जाएगी।

  लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन वन्य जीव आश्रयणीयों (हजारीबाग, पारसनाथ और दलमा) के प्रबंधन योजना तैयार किए गए और पी.सी.सी.एफ. (डब्ल्यूएल) और सी.डब्ल्यू.एल.डब्ल्यू द्वारा अनुमोदित (मार्च 2020) किए गए। इसके अलावा, जबकि उधवा के लिए प्रबंधन योजना(2021-22 से 2030-31) को विभागीय रूप से तैयार किया गया और जनवरी 2022 में अनुमोदित किया गया, तोपचांची वन्य जीव आश्रयणी के लिए प्रबंधन योजना मार्च 2024 तक तैयार नहीं किया गया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान की एमईई प्रतिवेदन, 2018-19 में प्रभावी प्रबंधन के लिए तोपचांची और पारसनाथ वन्यजीव आश्रयणीयों को एक ही संरक्षित क्षेत्र में विलय करने का सुझाव दिया गया था, क्योंकि दोनों वन्यजीव आश्रयणी एक ही सन्निहित परिदृश्य का हिस्सा थे। हालाँकि, पारसनाथ वन्य जीव आश्रयणी के लिए प्रबंधन योजना की तैयारी के दौरान विभाग द्वारा इन वन्य जीव आश्रयणी के विलय पर विचार नहीं किया गया था। इस प्रकार, तोपचांची वन्य जीव आश्रयणी का प्रबंधन बिना किसी अनुमोदित प्रबंधन योजना के किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, यह पाया गया कि प्रबंधन संबंधी कमियों के कारण, इन वन्य जीव आश्रयणीयों (पारसनाथ और तोपचांची) में खाली जमीन और निर्मित क्षेत्र में क्रमशः 0.42 वर्ग किमी और 0.27 वर्ग किमी की वृद्धि[16] हुई है, तथा वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में 2017 की तुलना में 2021 में 0.62 वर्ग किमी की कमी आई है।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि हजारीबाग वन्य जीव आश्रयणी में नौ वर्षों (2001-05 और 2015-20) तक कोई प्रबंधन योजना नहीं था, हालांकि वर्ष 2005-15 और 2020-30 के लिए प्रबंधन योजना मौजूद थे। यह इस तथ्य का द्योतक है कि आश्रयणी के निर्माण (मई 1976) के बाद से ही किसी योजना का पालन किए बिना इसे तदर्थ तरीके से प्रबंधित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप

---

[14] दलमा, हज़ारीबाग़, पारसनाथ, तोपचांची और उधवा।

[15] अतिरिक्त पीसीसीएफ, विकास द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।

[16] विभाग द्वारा तैयार पारसनाथ और तोपचांची WLS के संयुक्त LULC डेटा।

आश्रयणी के सुधार के लिए कदम उठाए [17] जाने के बावजूद वन्यजीव आवास का निरंतर क्षरण हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा वन अपराधों में वृद्धि और आश्रयणी में वन्यजीव आबादी में कमी भी देखी गई, जैसा कि **कंडिकाएँ 2.4.1.4** और **2.4.3.2** में चर्चा की गई है।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि दलमा वन्य जीव आश्रयणी की प्रबंधन योजना 2000-10 और 2020-30 की अवधि के लिए तैयार की गई थी। हालाँकि, 2010-20 की अवधि के लिए प्रबंधन योजना तैयार नहीं किया गया था और इन वर्षों के दौरान संरक्षित क्षेत्र का प्रबंधन किसी प्रबंधन योजना के बिना ही किया गया था। प्रबंधन योजना(2020-30) से यह भी पता चला कि योजना अवधि यानी 2000-10 में भी प्रबंधन योजना प्रक्रिया का पालन एकदम भी नहीं किया गया था और विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्र की उचित निगरानी और मूल्यांकन का अभाव था।

इस प्रकार, झारखण्ड में संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजना, अधिसूचित होने के बाद की पूरी अवधि के लिए तैयार नहीं थे। इसके अलावा, राज्य स्तर पर एमपीडीसी की स्थापना न होने के कारण, प्रबंधन योजना की नियमित और समय पर तैयारी और इसकी निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी, जैसा कि परिकल्पित किया गया था। प्रबंधन योजना की अनुपस्थिति में संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन अनियोजित तरीके से किया गया, जिसके कारण वन्यजीव आवास का क्षरण हुआ, वन्यजीव आबादी में उल्लेखनीय कमी आई और वन अपराधों में वृद्धि हुई। इसके अलावा, प्रबंधन योजनाओं में शामिल गतिविधियों के कार्यान्वयन और उनकी निगरानी में कमियां थीं, यहां तक कि उस अवधि के दौरान भी जिसके लिए प्रबंधन योजनाए उपलब्ध थे, जैसा कि **कंडिकाएँ 2.2.3** और **2.2.4** में चर्चा की गई है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2024) कि क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों की भारी रिक्तता के मद्देनजर सर्वेक्षण आंकड़ों के अभाव के कारण तोपचांची वन्य जीव आश्रयणी का प्रबंधन योजना विभागीय रूप से तैयार नहीं किया जा सका। आगे बताया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से एनडब्ल्यूएपी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक प्रारूप प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञों की नियुक्ति का अनुरोध किया गया था।

2.2.3 प्रबंधन योजनाओं में कमियाँ

संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजना ने जल स्रोतों की कमी, वन्यजीव आवास और गलियारों का क्षरण, तथा संरक्षित क्षेत्रों में अवांछित खरपतवारों के फैलाव को प्रमुख खतरों के रूप में रेखांकित किया। तथापि, प्रबंधन योजना ने क्षेत्र विशेष के खतरों की

[17] अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण, निगरानी टावरों/चेक डैमों/जल स्त्रोतों का निर्माण, वनों में वृक्षारोपण, वनों की आग का प्रबंधन आदि।

पहचान नहीं की तथा इन खतरों को कम करने के लिए स्थल विशेष योजनाएं तैयार नहीं कीं, जैसा कि एनडब्ल्यूएपी तथा संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंधन योजना के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित है। वन्यजीव प्रमंडलों ने संरक्षित क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां भी शुरू की थीं, जैसे कि चेक डैम/जल निकायों का निर्माण, मृदा संरक्षण कार्य तथा समूह वृक्षारोपण और खरपतवारों का उन्मूलन, बिना क्षेत्र विशेष योजनाएँ तैयार किए, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

2.2.3.1 हज़ारीबाग़, दलमा और पारसनाथ वन्य जीव आश्रयणी

विभाग ने तीन वन्य जीव आश्रयणी [18] के लिए प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु ₹ 29.17 लाख की लागत से एक एजेंसी को नियुक्त किया था (जनवरी 2017)। एजेंसी को अनुमोदित प्रबंधन योजना के आधार पर, योजना अवधि के दौरान संरक्षित क्षेत्रों के सुधार के लिए की जाने वाली गतिविधियों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भी तैयार करनी थी। यद्यपि इन प्रबंधन योजना को पी.सी.सी.एफ. (डब्ल्यूएल) द्वारा अनुमोदित किया गया था (मार्च 2020), एजेंसी ने जुलाई 2023 तक गतिविधियों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं की थी। हालाँकि, मार्च 2020 तक एजेंसी को ₹ 29.17 लाख का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुमोदित प्रबंधन योजना में संरक्षित क्षेत्रों में इन खतरों को कम करने के लिए वन्य जीव आवास के स्थल-विशिष्ट विकास के लिए अवक्रमित क्षेत्रों, खरपतवार स्थलों का विस्तृत सर्वेक्षण और जल संसाधनों का आकलन करने का प्रावधान किया गया था। हजारीबाग वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना ने कुछ ऐसे स्थलों की पहचान की और प्रमंडल ने 2018-23 के दौरान इन स्थलों पर जल निकायों का निर्माण, मृदा संरक्षण/वृक्षारोपण कार्य और खरपतवार उन्मूलन का कार्य किया।

हालांकि, अन्य दो संरक्षित क्षेत्रों (दलमा और पारसनाथ) में ऐसी कोई जगह चिन्हित नहीं की गई। इसके बावजूद, इन संरक्षित क्षेत्रों में संबंधित प्रमंडलों द्वारा जल स्रोतों[19] का मानचित्रण तथा स्थल विशेष की आवश्यकताओं का आकलन किए बिना ही 12.20 करोड़ रुपये की लागत से जल निकायों का निर्माण किया गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा प्रबंधन योजना में उल्लेखित खतरों को कम करने में इन जल निकायों के प्रभाव का पता नहीं लगा सकी।

इसके अलावा, एनडब्ल्यूएपी-2 (2002-2016) में प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा देने का प्रावधान है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों को गैर-स्थानिक पौधों की वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सके, क्योंकि यह स्थानिक जंगली वनस्पतियों और जीवों की शाश्वतता

---

[18] दलमा: ₹ 11.79 लाख, हज़ारीबाग़: ₹ 11.36 लाख और पारसनाथ: ₹ 6.02 लाख।

[19] 1. दलमा वन्य जीव आश्रयणी: 69 चेक-डैम (₹ 8.45 करोड़), 16 तालाब (₹ 1.10 करोड़) और अन्य जल संरक्षण/संचयन संरचनाएं (₹ 2.48 करोड़); और 2. पारसनाथ वन्य जीव आश्रयणी: 02 चेक-डैम (₹ 17.00 लाख)

या वापसी सुनिश्चित करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। वृक्षारोपण के लिए, यह विदेशी प्रजातियों या मोनोकल्चर (एकल पौधे की प्रजाति की खेती) को प्रतिबंधित करता है, क्योंकि यह वन्यजीव संरक्षण के हित को नुकसान पहुंचाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजना ने भी वनों के क्षरण वाले क्षेत्रों के पुनर्जनन का प्रस्ताव रखा, लेकिन पौधों की उपयुक्त वैकल्पिक प्रजातियों का सुझाव नहीं दिया। प्रमंडलों ने जलवायु परिस्थितियों, स्थलाकृति और वनस्पति एवं जीव-जंतुओं के संबंध में प्रजातियों की उपयुक्तता का आकलन किए बिना ही अवक्रमित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य शुरू कर दिया।

इस प्रकार, प्रमंडलों ने संरक्षित क्षेत्रों में जल की कमी, वनों के क्षरण और खरपतवार के संक्रमण के खतरों को कम करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं का मूल्यांकन नहीं किया और बिना किसी सर्वेक्षण या संसाधन मानचित्रण के ही गतिविधियां शुरू कर दीं। इस प्रकार, लेखापरीक्षा, प्रबंधन योजना में उल्लिखित संरक्षित क्षेत्र को होने वाले खतरों पर ऐसी शमनकारी गतिविधियों के प्रभाव का पता नहीं लगा सकी।

विभाग ने जबाब में कहा (अगस्त 2024) कि सिल्वीकल्चर और अन्य वानिकी कार्यों के लिए क्षेत्र चयन को वन प्रक्षेत्र अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत उपयुक्तता प्रतिवेदन और स्थल-विशिष्ट अनुमानों के आधार पर अनुमोदित किया गया था।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि वानिकी कार्यों के लिए स्थल-विशिष्ट योजनाएं, जो आवश्यकता को उचित ठहराती हों, प्रबंधन योजनाओं में निर्धारित के अनुसार पहले से तैयार नहीं की गई थीं। इसके अलावा, आरएफओ ने केवल वानिकी कार्यों के अनुमान प्रस्तुत किए थे, जिनमें स्थलों के नाम, क्षेत्र और निर्देशांक शामिल थे, लेकिन प्रस्तावित स्थलों के चयन का कोई औचित्य शामिल नहीं किया गया था।

2.2.3.2 वन्यजीव गलियारा प्रबंधन योजना

दलमा वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना (2020-30) के अनुसार आश्रयणी हाथियों का एक प्राकृतिक निवास स्थान है, और प्रवासी हाथी अपने आवागमन के दौरान सीमित अवधि के लिए वन्य जीव आश्रयणी में रहते हैं। पांच [20] हाथी गलियारे, दलमा वन्यजीव आश्रयणी को झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के अन्य वन क्षेत्रों से जोड़ते हैं।

इसके अलावा, तीन वन्यजीव आश्रयणीयों (कोडरमा, लावालौंग और गौतम बुद्ध) के प्रबंधन योजना ने लगभग 600 किलोमीटर के एक परस्पर जुड़े वन्यजीव गलियारे का वर्णन किया है जो संजय राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश) को भीमबांध आश्रयणी (बिहार) से जोड़ता है। इस कॉरिडोर की पहचान (2019 में) एनटीसीए द्वारा ब्याघ्र

[20] वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित "द राइट ऑफ पैसेज" (2017) के अनुसार दलमा-चांडिल, दलमा-रुगाई, दलमा-आसनबारी, झुंझका-बंदुआन और दलापानी-कांकराझोर।

कॉरिडोर (गुरुघासी दास-पलामू-लावालोंग टाइगर कॉरिडोर) के रूप में भी की गई थी। पालकोट वन्यजीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना ने 200.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले चार[21] गलियारों और दो[22] अंतर-संयोजी मार्गों की भी पहचान की, जिनका उपयोग हाथियों द्वारा हर साल नवंबर से मार्च के बीच सिंहभूम हाथी अभयारण्य के सारंडा जंगल से छत्तीसगढ़ की ओर जाने के लिए किया जाता था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन वन्य जीव आश्रयणीयों की प्रबंधन योजना में कोई गलियारा प्रबंधन योजना शामिल नहीं की गई थी और न ही संबंधित प्रमंडलों ने 2018-23 के दौरान पहचाने गए गलियारों के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव दिया था। प्रमंडलों ने विशेष रूप से वन्यजीव गलियारों में की गई गतिविधियों का अभिलेख भी नहीं रखा। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या वन्यजीव गलियारों में वन्यजीवों को जीवित रखने के लिए प्राकृतिक खाद्य स्रोतों और जल निकायों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपेक्षित गतिविधियां की गई थीं।

इस प्रकार, विभाग ने वन्यजीव गलियारों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप मानव-पशु संघर्ष और जान-माल की क्षति हुई, जैसा कि **कंडिका 2.4.5.1** में चर्चा की गई है।

विभाग ने उत्तर में कहा (अगस्त 2024) कि दलमा वन्य जीव आश्रयणी हाथी अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र का हिस्सा है और आश्रयणी में गतिविधियां इसके प्रबंधन योजना के अनुसार की जाती हैं। अभयारण्य के बाहर स्थित हाथी गलियारों के लिए कार्ययोजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। ब्याघ्र गलियारे के संबंध में बताया गया कि पलामू बाघ अभयारण्य (पीटीआर) और हजारीबाग वन्य जीव आश्रयणी के बीच लावालौंग वन्य जीव आश्रयणी से होकर जाने वाला गलियारा अधिकांशतः निरंतर है। आगे कहा गया कि गौतम बुद्ध और कोडरमा वन्य जीव आश्रयणी के बीच गलियारे की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण रिजर्व बनाने हेतु गांवों को सूचीबद्ध किया गया है।

दलमा वन्य जीव आश्रयणी में हाथी गलियारे के प्रबंधन के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दलमा वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना (2020-30) में हाथी गलियारों के प्रबंधन के लिए कोई योजना नहीं थी और कोई विशिष्ट गलियारा प्रबंधन योजना बनाए बिना ही गतिविधियाँ शुरू कर दी गईं। अन्य वन्यजीव गलियारों के संबंध में विभाग को अभी उनके प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करनी है।

---

[21] बगेसरा-रमजा: 53.86 वर्ग किमी., रमजा-बगेसरा: 52.61 वर्ग किमी., बगेसरा-टैंगरिया: 19.85 वर्ग किमी. और कुरुस्केला-तेंगरिया: 38.42 वर्ग कि.मी.

[22] सलकाया-बिलिंगबेरा: 10.09 वर्ग किमी. और सान्याकोना-रेंगोला: 26.11 वर्ग कि.मी.

2.2.3.3 मानवजनित दबाव में कमी न आना

11 संरक्षित क्षेत्रों (तोपचांची वन्यजीव आश्रयणी को छोड़कर) की प्रबंधन योजनाओं में 1,451 गांवों[23] का उल्लेख है (**परिशिष्ट 2.4**), जो संरक्षित क्षेत्रों की भूमि पर मानवजनित दबाव पैदा कर रहे थे। हालाँकि, इको सेंसिटिव ज़ोन अधिसूचनाओं (मार्च 2012 और अगस्त 2019 के बीच जारी) के अनुसार, 12 संरक्षित क्षेत्रों में 1,412 गाँव[24] थे **(परिशिष्ट 2.4)**। इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए एलयूएलसी के आंकड़ों के अनुसार, इन 12 संरक्षित क्षेत्रों के अंदर 730 गांव थे। विभिन्न प्रतिवेदनों में संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और आसपास के गांवों की संख्या के आंकड़ों में विसंगति के बावजूद, विभाग ने संरक्षित क्षेत्रों पर उनके द्वारा बनाए गए मानवजनित दबाव को कम करने के लिए उचित योजना तैयार करने के लिए गांवों के आंकड़ों का मिलान नहीं किया। परिणामस्वरूप, संरक्षित क्षेत्रों में खाली और निर्माण के क्षेत्रों में वृद्धि हुई, जबकि वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई, जैसा कि **कंडिका 2.4.3.1** में चर्चा की गई है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2024) कि गांवों की संख्या में विसंगति तोपचांची वन्य जीव आश्रयणी के अंदर आने वाले गांवों को शामिल नहीं करने के कारण थी, जिसके लिए प्रबंधन योजना निर्माण की तैयारी की जा रही थी। आगे कहा गया कि संरक्षित क्षेत्रों के अंदर स्थित तथा इको सेंसिटिव ज़ोन अधिसूचना में शामिल न किए गए गांवों का मिलान किया जाएगा। निकास सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान, विभाग ने आश्वासन दिया कि संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन योजनामें सुधार करने पर ध्यान दिया जाएगा और उचित सर्वेक्षण और अनुसंधान के बाद आकड़ों को प्रबंधन योजना में शामिल किया जाएगा।

अनुशंसा 2: विभाग विस्तृत सर्वेक्षण और संसाधन मानचित्रण के बाद, अनुमोदित प्रबंधन योजना की शेष योजना अवधि के लिए, प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए संरक्षण गतिविधियों हेतु स्थल-विशिष्ट योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित कर सकता है।

2.2.4 वार्षिक परिचालन योजना में कमियाँ

प्रबंधन योजना पर दिशानिर्देश (पैरा 5.8) में प्रावधान है कि प्रबंधन योजना में नियोजित गतिविधियों का संचालन वार्षिक परिचालन योजना (एपीओ) के माध्यम से किया जाना है। एपीओ को संरक्षित क्षेत्र स्तर पर तैयार किया जाना है और मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमोदित किया जाना है। इसके अलावा, एक पीए बुक रखी जानी है (पैरा 6.1) जिसमें उन सभी घटनाओं को अभिलेखित किया जाएगा जिनका योजना निर्देशों पर प्रभाव पड़ता है तथा अगले प्रबंधन योजना में शामिल करने के लिए लक्ष्य के विरूद्ध विचलन को अभिलेखित किया जाएगा। वार्षिक प्रवृत्तियों को जानने के लिए नियंत्रण प्रपत्र भी रखे जाने हैं (पैरा 6.2) जिसमें गतिविधियों का

[23] पीए के अंदर: 577; और पीए के आसपास: 874

[24] पीए के अंदर: 763; और पीए के आसपास: 649

कंपार्टमेंट-वार विवरण जैसे कि स्थल, क्षेत्र, प्रकृति, लागत, उपयुक्तता और समस्याएं आदि दर्ज किए जाने हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांचित प्रमंडलों ने एपीओ (केन्द्रीय और राज्य दोनों योजनाओं के लिए) तैयार करते समय अपने प्रबंधन योजना के अनुसार खतरों पर विचार किया। हालांकि, संबंधित प्रबंधन योजनाओं में निवारण गतिविधियों के विवरण का अभाव था तथा इन्हें बिना किसी विस्तृत स्थल सर्वेक्षण के ए.पी.ओ. में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि नमूना जांचित प्रमंडलों द्वारा एपीओ में विचारित गतिविधियां संरक्षित क्षेत्रों में दर्शाए गए खतरों को कम करने के लिए पर्याप्त थीं, जैसा कि **कंडिका 2.2.3** में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि भारत सरकार ने वन्यजीव आवास के एकीकृत विकास (आईडीडब्ल्यूएच) के अंतर्गत वन्यजीव जागरूकता, मौजूदा जल कुंडों के रखरखाव और पशु स्वास्थ्य निगरानी के लिए गतिविधियों को मंजूरी दी थी। भारत सरकार ने 2018-23 के दौरान आईडीडब्ल्यूएच के तहत 26.45 करोड़ रुपये के एपीओ के मुकाबले केवल 14.37 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। हालांकि, प्रमंडलों द्वारा पीए बुक और नियंत्रण प्रपत्रों का रखरखाव नहीं किए जाने के कारण, ₹ 12.08 करोड़[25] की छूटी हुई गतिविधियों को आगामी वर्षों में अन्य योजनाओं अर्थात् राज्य/कैम्पा के एपीओ में शामिल नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, प्रबंधन योजनाओं में निर्धारित उचित स्थल सर्वेक्षण के बिना ही गतिविधियों को ए.पी.ओ. में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा, नमूना जांचित छः प्रमंडलों ने एपीओ से विचलन और वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों को अभिलेखित करने के लिए आवश्यक संरक्षित क्षेत्र पुस्तकें और नियंत्रण प्रपत्र भी नहीं बनाए थे, ताकि इन्हें आगामी वर्षों के एपीओ में दर्शाया जा सके।

ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में गतिविधियों को पीसीसीएफ (वन्यजीव) और सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू के माध्यम से तैयार किया जाता है और विभाग द्वारा अनुमोदन के बाद इसे कार्यान्वित किया जाता है। यह भी आश्वासन दिया गया कि क्षेत्र स्तर पर पीए बुक और नियंत्रण प्रपत्र बनाए जाएंगे।

एपीओ के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि योजना अवधि के दौरान की जाने वाली गतिविधियों का विवरण, प्रबंधन योजनाओं में परिकल्पित रोडमैप के अनुसार विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर अग्रिम रूप से तैयार नहीं किया गया था।

[25] (₹ 26.45 करोड़ - ₹ 14.37 करोड़)

2.2.5 गज अभयारण्य का प्रबंधन

केंद्र प्रायोजित योजना "गज परियोजना" के संशोधित दिशानिर्देशों (नवंबर 2013) के अनुसार, जंगली हाथियों के गैर-क्षेत्रीय व्यवहार और बड़े घरेलू क्षेत्र की आवश्यकताओं के कारण, वन के एक छोटे से हिस्से के प्रबंधन से हाथी संरक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य, यदि आवश्यक हो तो अंतर-राज्यीय समन्वय के माध्यम से उनके आवासों/पारंपरिक गलियारों/प्रवासी मार्गों की बहाली के माध्यम से जंगली हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित और सुरक्षित रखना है, ताकि मानव-हाथी संघर्ष को कम किया जा सके। हाथियों द्वारा अपने निवास क्षेत्र के विभिन्न भागों के बीच आवागमन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रवास मार्गों और गलियारों का संरक्षण, इस प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। दिशानिर्देशों में प्रत्येक हाथी अभयारण्य के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक परिप्रेक्ष्य प्रबंधन योजना तैयार करने की भी परिकल्पना की गई है। परिप्रेक्ष्य प्रबंधन योजना के आधार पर, एक व्यापक योजना (पांच वर्ष के लिए) तैयार की जानी थी और सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू को हाथी अभयारण्य के प्रबंधन के लिए केंद्रीय अनुदान विमुक्त करने के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में भारत सरकार को व्यापक योजना का हिस्सा होने के कारण एपीओ प्रस्तुत करना था।

दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि राज्य को गज परियोजना के तहत स्वीकृत और विभिन्न प्रशासनिक प्रमंडलों द्वारा कार्यान्वित गतिविधियों के प्रदर्शन का समन्वय और निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी की पहचान करनी चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय के लिए प्रत्येक हाथी अभयारण्य (ईआर) में एक क्षेत्रीय समन्वयक भी अधिसूचित किया जाना है।

राज्य सरकार ने सिंहभूम हाथी अभयारण्य को अधिसूचित किया था (सितंबर 2001), जिसमें 2,577.38 वर्ग किमी का कोर क्षेत्र शामिल था, जिसमें दलमा वन्यजीव आश्रयणी का क्षेत्र (193.22 वर्ग किमी) और 1,952.52 वर्ग किमी का बफर क्षेत्र शामिल था। हाथी अभयारण्य एक वन्यजीव प्रमंडल (गज परियोजना, जमशेदपुर, जो दलमा वन्यजीव आश्रयणी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है) और छः[26] प्रादेशिक वन प्रमंडलों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

2.2.5.1 व्यापक प्रबंधन योजना तैयार न करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सिंहभूम हाथी अभयारण्य के लिए परिप्रेक्ष्य और व्यापक योजनाएं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू द्वारा तैयार नहीं की गई थीं (जुलाई 2024 तक)। जबकि दलमा वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना के पास कोर और बफर क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए अलग-अलग योजनाएं थीं, प्रादेशिक प्रमंडलों द्वारा अपनाई गई कार्य योजनाओं[27] में कोर और बफर क्षेत्रों के लिए अलग-अलग योजनाएं नहीं थीं। हालांकि,

---

[26] चाईबासा (उत्तर), चाईबासा (दक्षिण), धालभूम, कोल्हान, पोराहाट और सारंडा।

[27] राष्ट्रीय कार्ययोजना संहिता, 2014 के अनुसार 10 वर्षों के लिए तैयार किया गया।

यह देखा गया कि एपीओ को प्रमंडलों द्वारा उनके व्यक्तिगत कार्य योजना/प्रबंधन योजना के अनुसार तैयार किया गया था। इस प्रकार, जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए एक व्यापक योजना के माध्यम से उनका प्रबंधन नहीं किया जा रहा था, जिससे कोर और बफर दोनों क्षेत्रों की एक समान समन्वित तरीके से देखरेख की जा सके, ताकि जंगली हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके।

संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंधन योजना पर दिशा-निर्देशों में गंभीर और महत्वपूर्ण आवासों के समुचित संरक्षण, आगंतुकों के लिए वन्य अनुभव और आजीविका के लिए वन संसाधनों तक सामुदायिक पहुंच के लिए क्षेत्र आधारित योजना[28] को अपनाने की परिकल्पना की गई है, जिसके लिए मुख्य कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र (पर्यटन क्षेत्र और पारंपरिक उपयोग क्षेत्र) का सीमांकन किया जाना है।

हाथी अभयारण्य के 2,577.38 वर्ग किमी के अधिसूचित कोर क्षेत्र में से, दलमा वन्य जीव आश्रयणी में 193.22 वर्ग किमी का कोर क्षेत्र शामिल था, जबकि चार[29] क्षेत्रीय प्रमण्डलों का कोर क्षेत्र 2,384.16 वर्ग किमी था। हालाँकि, दलमा वन्य जीव आश्रयणी ने कोर प्रबंधन के उद्देश्य से, मेरुदण्ड वाले जानवरों की आबादी की सघनता के आधार पर वन्य जीव आश्रयणी के दो हिस्सों में केवल 59.27 वर्ग किमी (2000-10 के लिए प्रबंधन योजना में) और 58.05 वर्ग किमी (2020-30 के लिए प्रबंधन योजना में) के कोर जोन पर विचार किया था। इस प्रकार, 135.17 वर्ग किमी. (70 प्रतिशत) का अधिसूचित कोर क्षेत्र महत्वपूर्ण पर्यावास प्रबंधन गतिविधियों से बाहर रखा गया।

विभाग द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए तैयार की गई प्रादेशिक प्रमंडलों की कार्य योजनाओं में भी मुख्य क्षेत्रों को सुरक्षित और पृथक बनाए रखने के लिए पृथक प्रबंधन योजनाएं नहीं थीं। यद्यपि जमशेदपुर (प्रादेशिक) वन प्रमंडल की कार्ययोजना (2014-24) में वनों के विखंडन और हाथी अभयारण्य पर गांवों के जैविक दबाव का वर्णन किया गया था, लेकिन इसमें क्षेत्र विशेष के खतरों और शमन उपायों का विश्लेषण शामिल नहीं था। हालाँकि, प्रमंडल ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले हाथी अभयारण्य और तीन[30] हाथी गलियारों पर अध्ययन प्रतिवेदन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (हाथी प्रमंडल), भारत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए विभाग को दी थी (अक्टूबर 2020 और सितंबर 2021)। प्रतिवेदनों में हाथी

---

[28] प्रबंधन उद्देश्य के लिए, एक संरक्षित क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जैसे कोर क्रिटिकल ज़ोन, बफर ज़ोन, इको-टूरिज्म ज़ोन और इको-डेवलपमेंट ज़ोन। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग योजना अपनाई जाती है।

[29] चाईबासा दक्षिण: 159.90 वर्ग किमी., कोल्हान: 701.89 वर्ग किमी., पोराहाट: 663.55 वर्ग किमी., सारंडा: 858.82 वर्ग किमी.

[30] झुंझका-बंदुआन, डालापानी-कांकराझोर और डुमरिया-नयाग्राम।

अभयारण्य में हाथियों की बाधारहित आवाजाही में खतरों[31] पर प्रकाश डाला गया तथा हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों में रखने तथा मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उनके आवासों और प्रवासी मार्गों को बहाल करने का सुझाव दिया गया। हालाँकि, विभाग ने मार्च 2024 तक पहचाने गए खतरों को कम करने के लिए विशिष्ट और समयबद्ध कार्रवाई शुरू नहीं की।

हाथी अभयारण्य के लिए व्यापक योजना के अभाव का प्रभाव यह हुआ कि दलमा वन्य जीव आश्रयणी में खाली जमीन और निर्माण किये गए क्षेत्र में क्रमशः 12.38 वर्ग किमी और 3.71 वर्ग किमी की वृद्धि हुई (2017 और 2021 के बीच)। इसके अलावा, 2018-23 के दौरान दलमा वन्य जीव आश्रयणी और जमशेदपुर (प्रादेशिक) वन प्रमंडल में मानव पशु संघर्ष के 3,434 मामलों में से 3,145 (92 प्रतिशत) संघर्ष जमशेदपुर (प्रादेशिक) वन प्रमंडल के अधिकार क्षेत्र में हुए, जिससे मानव जीवन की हानि (27 मामले), मानव आघात (41 मामले) के अलावा दो हाथियों की अप्राकृतिक मौत हुई।

विभाग ने यह स्वीकार करते हुए कि हाथी अभयारण्य का प्रबंधन दलमा वन्य जीव आश्रयणी प्रबंधन योजनाओं और क्षेत्रीय प्रमंडलों के डब्ल्यूपी के माध्यम से किया गया था, कहा (अगस्त 2024) कि हाथी परियोजना क्षेत्र के बेहतर प्रशासन के लिए वर्ष 2007 में हाथी परियोजना के निदेशक का एक स्वतंत्र पद अधिसूचित किया गया था। बाद में (2017) इस पद को उप वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक (डीसीएफ एंड एफडी), गज परियोजना, जमशेदपुर के रूप में दलमा वन्य जीव आश्रयणी के साथ एकीकृत किया गया था। फरवरी 2024 में "झारखण्ड में कॉरिडोर के संरक्षण के लिए रणनीति और कार्य योजना" तैयार करने के लिए एक एजेंसी का भी चयन किया गया है। इसके अलावा, मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना विकसित करने हेतु जनवरी 2024 में सीसीएफ (वन्यजीव) के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था। आगे यह भी कहा गया कि दलमा वन्य जीव आश्रयणी के अंदर कोर क्षेत्र में कोई अंतर नहीं है। निकास सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान, हाथी अभयारण्य से संबंधित प्रबंधन की चुनौतियों को डब्ल्युपीए में कानूनी प्रावधानों की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया था।

जवाब से पुष्टि होती है कि हाथी अभयारण्य का प्रबंधन एक समान व्यापक योजना के तहत नहीं किया जा रहा था। दलमा वन्य जीव आश्रयणी के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमोदित संरक्षित क्षेत्र में शामिल कोर क्षेत्र अधिसूचित कोर क्षेत्र से काफी कम था। वन विभाग में वन्य क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए कानूनी प्रावधानों

---

[31] हाथियों की आवाजाही में बाधा डालने के लिए अंतर-राज्यीय सीमा के निकट पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाथी निरोधक खाई खोदना, गज अभयारण्य के क्षीण वनों में पर्याप्त भोजन और पानी की कमी, गज अभयारण्य और हाथी गलियारों में अतिक्रमण और हाथियों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान किए बिना गज अभयारण्य में रैखिक अवसंरचना जैसे रेलवे, सड़क मार्ग, हाई-टेंशन लाइन और सिंचाई नहरों का निर्माण।

के अभाव का तर्क भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वन क्षेत्र सहित इसके मुख्य क्षेत्र का प्रबंधन भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत किया जा सकता था, जो राज्य सरकार को अधिसूचित रिजर्व या संरक्षित वनों के अंदर कुछ प्रतिबंध लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय अपनाने का अधिकार देता है।

अनुशंसा 3: विभाग हाथी अभयारण्य के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाथियों के प्राकृतिक आवास और प्रवासी मार्ग बहाल हो तथा मानव-हाथी संघर्ष न्यूनतम हो जाएं।

2.2.6 क्षेत्रीय मास्टर प्लान

एनडब्ल्यूएपी-2 (2002-2016) के अनुसार, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर के क्षेत्र अक्सर महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारे की कड़ी होते हैं और जैव विविधता के टुकड़ों के अलगाव को रोकने के लिए उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। इसने आगे अनुशंसा की कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र और वन्यजीव गलियारों के आसपास के सभी चिन्हित क्षेत्रों को पारिस्थितिक रूप से नाजुक घोषित किया जाए।

इसके अलावा, संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) की घोषणा के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों (फरवरी 2011) के अनुसार, ईएसजेड का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक प्रकार का आघात अवशोषक बनाना है और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करना है। ईएसजेड का मूल उद्देश्य खनन, आरा मिलों, उद्योगों आदि जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक लगाना, पेड़ों की कटाई, होटलों और रिसॉर्टों की स्थापना को विनियमित करना और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास कृषि प्रणालियों में भारी बदलावों को रोकना है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों में व्याप्त नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार ने (मार्च 2012 और अगस्त 2019 के बीच) झारखण्ड में सभी 12 संरक्षित क्षेत्रों को कवर करते हुए नौ ईएसजेड अधिसूचित किए थे **(परिशिष्ट 2.5)**। अधिसूचनाओं के अनुसार, राज्य सरकार को स्थानीय लोगों और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों[32] के हितधारकों के परामर्श से ईएसजेड की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के अंदर प्रत्येक ईएसजेड के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार और अनुमोदित करना था। क्षेत्रीय मास्टर प्लान में बुनियादी ढांचे में सुधार और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को शामिल किया जाना था, जैसे कि नष्ट हो चुके क्षेत्रों का पुनरुद्धार, जल निकायों का संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों का प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताएं और

[32] वन, कृषि, राजस्व, शहरी विकास, पर्यटन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और लोक निर्माण विभाग।

पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलू जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने अधिसूचनाओं और अनुमोदित क्षेत्रीय मास्टर प्लान के प्रावधानों की प्रभावी निगरानी के लिए संबंधित क्षेत्र के आयुक्त की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति[33] भी गठित की है।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी ईएसजेड के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार नहीं किए गए थे, यहां तक कि उनकी अधिसूचना के तीन से 11 वर्ष से अधिक समय के बाद भी, जबकि 2019-21 के दौरान तीन वन्य जीव आश्रयणी में इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा 80 लाख[34] रुपए का आवंटन किया गया था। आगे यह भी पाया गया कि जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर को 24 महीने की अवधि के अंदर दलमा वन्य जीव आश्रयणी के क्षेत्रीय मास्टर प्लान की तैयारी के लिए चुना गया था (मार्च 2022), लेकिन मार्च 2024 तक इसे तैयार नहीं किया गया था। आगे, अन्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा जोनल मास्टर प्लान तैयार करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

क्षेत्रीय मास्टर प्लान की अनुपस्थिति में, ईएसजेड क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियों की स्थिति, संरक्षित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं की जा सकी। आगे, उचित योजना के अभाव में ऐसी प्रतिबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ठोस प्रयासों की कमी का जोखिम भी बढ़ गया। निगरानी समितियों ने अपनी बैठकों में यह भी पाया कि संरक्षित क्षेत्रों में तथा इसके आसपास प्रतिबंधित गतिविधियां जारी हैं, जिससे इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

क्षेत्रीय मास्टर प्लान की अनुपस्थिति के कारण स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के वैकल्पिक स्रोत सृजित करने के लिए अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करने के प्रयासों में भी कमी आई, जिससे संरक्षित क्षेत्रों पर जैविक दबाव कम किया जा सके।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2024) कि सी.एस.एस. (आई.डी.डब्ल्यू.एच.) के तहत धन के अपर्याप्त आवंटन के कारण दलमा वन्य जीव आश्रयणी का क्षेत्रीय मास्टर प्लान पूरा नहीं किया जा सका। आगे बताया गया कि दलमा वन्य जीव आश्रयणी के क्षेत्रीय मास्टर प्लान पर काम फिर से शुरू किया जाएगा तथा अन्य 11 संरक्षित क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार करने के प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। निकास सम्मेलन के दौरान, विभाग ने आश्वासन दिया

---

[33] राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक सदस्य, चार मनोनीत सदस्य (वन विभाग से एक, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन से एक, जैव-विविधता पर एक विशेषज्ञ और राज्य के किसी प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी पर एक विशेषज्ञ), संबंधित क्षेत्रीय प्रभागीय वन अधिकारी सदस्य के रूप में, और प्रभागीय वन अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में

[34] कोडरमा (₹ 30 लाख), तोपचांची (₹ 10 लाख) और दलमा (₹ 40 लाख)।

(जुलाई 2024) कि राज्य के सभी ईएसजेड के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे।

अनुशंसा 4: विभाग, संरक्षित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर, ईएसजेड में प्रतिबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सभी ईएसजेड के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार कर सकता है।

2.3 वित्तीय प्रबंधन

2.3.1 बजट प्रावधान और व्यय

संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए धनराशि केंद्रीय योजनाओं, राज्य योजनाओं और प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 2018-23 के दौरान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का व्यय ₹ 4,049.41 करोड़ था, जिसमें से ₹ 3,732.30 करोड़ बजट के माध्यम से तथा ₹ 317.11 करोड़ बैंक खाते (कैम्पा के अंतर्गत) के माध्यम से खर्च किए गए। ₹ 4,049.41 करोड़ के व्यय में ₹ 2,781.37 करोड़ (69 प्रतिशत) वानिकी योजनाओं पर व्यय शामिल है, जिसका उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों सहित वनों का उन्नयन और संरक्षण करना है, जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: वानिकी योजनाओं पर विमुक्त राशि एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में))

वर्ष	केंद्रीय योजनाएं		राज्य की योजनाएं		कैम्पा		कुल	
	विमुक्ति	व्यय	विमुक्ति	व्यय	विमुक्ति	व्यय	विमुक्ति	व्यय
2018-19	16.57	14.17	303.02	263.52	286.25	239.46	605.84	517.15
2019-20	23.49	18.04	337.21	301.58	300.43	223.57	661.13	543.19
2020-21	36.22	32.20	276.13	255.33	251.79	214.93	564.14	502.46
2021-22	13.81	9.78	270.83	252.03	280.92	240.99	565.56	502.80
2022-23	10.00	5.81	418.95	393.46	354.93	316.50	783.88	715.77
कुल	**100.09**	**80.00**	**1,606.14**	**1,465.92**	**1,474.32**	**1,235.45**	**3,180.55**	**2,781.37**

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

तालिका 2.2 से देखा जा सकता है कि वानिकी योजनाओं पर ₹ 3,180.55 करोड़ विमुक्त किए गए, जिनमें से ₹ 2,781.37 करोड़ का उपयोग किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांचित प्रमंडलों में देखा गया कि ₹ 399.18 करोड़ का कम उपयोग योजनाओं के गैर-कार्यान्वयन (**परिशिष्ट 2.6)** के कारण हुआ है।

2.3.2 संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन पर व्यय

वर्ष 2018-23 के दौरान नमूना जांचित प्रमंडलों ने राज्य सरकार द्वारा विमुक्त किये गये ₹ 397.86 करोड़ (**परिशिष्ट 2.7**) के सापेक्ष ₹ 356.64 करोड़ का व्यय किया था। ₹ 41.22 करोड़ की बचत वनरोपण, मृदा संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, क्षमता निर्माण आदि योजनाओं के गैर-कार्यान्वयन के कारण हुई, जिनकी चर्चा नीचे की गई है।

- हजारीबाग वन्यजीव प्रमंडल वन्यजीव पर्यावास विकास के लिए कैम्पा के तहत 2019-22 के दौरान प्राप्त ₹ 12.63 करोड़ में से ₹ 7.18 करोड़ (57 प्रतिशत) का उपयोग करने में असमर्थ रहा, जिसमें सिल्वीकल्चर, जल निकाय निर्माण, खरपतवार उन्मूलन और गर्मियों के दौरान वन्यजीवों के लिए पानी की आपूर्ति शामिल है, जिसका मुख्य कारण जनशक्ति की कमी है, जैसा कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी ने बताया।
- पीटीआर उत्तरी और दक्षिणी प्रमंडल, पीटीआर में चारागाह के विकास और रखरखाव के लिए कैम्पा, राज्य और केंद्रीय योजनाओं के तहत 2018-23 के बीच प्राप्त ₹ 12.87 करोड़ में से ₹ 2.53 करोड़ (20 प्रतिशत) का उपयोग नहीं कर सके, जबकि जनवरी 2022 में एनटीसीए समिति ने अवलोकन किया था कि चारागाह क्षेत्र छोटा है और शिकार आधार को बढ़ाने के लिए विस्तार की आवश्यकता है।
- हाथी परियोजना, जमशेदपुर प्रमंडल, 2021-23 में सिल्वीकल्चर, जल संरक्षण, बांस रोपण और चेक-डैम के निर्माण के लिए कैम्पा के अंतर्गत विमुक्त ₹ 4.77 करोड़ का उपयोग नहीं कर सका। इसी प्रकार, प्रमंडल कॉरिडोर विकास के लिए आईडीडब्ल्यूएच के तहत 2021-22 में विमुक्त ₹ 38.98 लाख रुपये का उपयोग नहीं कर सका।
- रांची वन्यजीव प्रमंडल राज्य में मानव-हाथी संघर्ष के अध्ययन और मूल्यांकन और हाथियों के पुनर्वास के लिए 11 त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (क्यूआरटी) के क्षमता निर्माण के लिए राज्य योजना के तहत 2020-21 में प्राप्त ₹ 55.40 लाख का उपयोग नहीं कर सका, जबकि राज्य में मानव-हाथी संघर्ष एक प्रमुख मुद्दा था, जैसा कि **कंडिका 2.4.5** में चर्चा की गई है।

इस प्रकार, नमूना जाचित प्रमंडल संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा तथा मानव-पशु संघर्षों को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2024) कि विमुक्त धनराशि के विरुद्ध व्यय सामान्य परिस्थितियों में सुनिश्चित किया जाता है। हालांकि, धनराशि का देरी से विमुक्त होना, मार्च माह में 15 प्रतिशत से अधिक व्यय पर प्रतिबंध तथा सेवानिवृत्ति और बड़ी संख्या में रिक्तियों के कारण मानव संसाधन की कमी के कारण धनराशि का उपयोग नहीं हो पाया।

धनराशि को देरी से विमुक्त करने के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग अनुमोदित योजनाओं के अनुसार समय पर प्रमंडलों को धनराशि विमुक्त करने की व्यवस्था कर सकता था।

2.3.3 पलामू टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की धारा 38 X (1) के अंतर्गत, झारखण्ड सरकार ने पीटीआर के प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए पलामू ब्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन (पीटीसीएफ) का गठन किया था (जनवरी 2014)। पीटीसीएफ को सरकार या संगठनों से प्राप्त सहायता अनुदान, दान, अंशदान या उपहार के माध्यम से धन की व्यवस्था करनी थी। जनवरी 2014 में अधिसूचित पीटीसीएफ मैनुअल के पैरा 11 के अनुसार, सीसीएफ एवं एफडी (पीटीआर) और डीएफओ (कोर और बफर क्षेत्र) द्वारा तीन[35] बैंक खाते संचालित किए जाने थे और प्रत्येक बैंक खाते के लिए अलग-अलग रोकड़ पंजी रखी जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारित तीन बैंक खातों के मुकाबले, जुलाई 2023 तक सीसीएफ एंड एफडी और डीएफओ द्वारा आठ[36] बैंक खाते संचालित किए गए थे। इसके अलावा, सीसीएफ एवं एफडी तथा डीएफओ भी, दिन-प्रतिदिन के लेन-देन को अभिलेखित करने के लिए, किसी भी बैंक खाते के विरुद्ध निर्धारित अनुसार रोकड़ पंजी नहीं रख रहे थे। 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए पीटीसीएफ के वार्षिक लेखों के अनुसार, कुल प्राप्तियां ₹ 33.32 करोड़ थीं और कुल भुगतान ₹ 6.34 करोड़ थे (**परिशिष्ट 2.8)**। पीटीसीएफ से संबंधित वार्षिक लेखों और अन्य अभिलेखों की आगे की जांच से निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- पीटीसीएफ की शासी निकाय[37] (जीबी) ने झारखण्ड सरकार द्वारा दिए गए अनुदान (सितंबर 2022) के मुकाबले ₹ 9.50 करोड़ के डब्ल्यूपी को मंजूरी दी (मार्च 2023)। डीएफओ, पीटीआर (दक्षिणी) ने सीसीएफ एंड एफडी, पीटीआर को ₹ 9.50 करोड़ की उपयोगिता प्रतिवेदन भी प्रस्तुत की थी (जून 2023)। हालाँकि,

---

35 पीटीसीएफ के नाम पर सीसीएफ और एफडी, पलामू टाइगर प्रोजेक्ट, डीएफओ, कोर एरिया (अब पीटीआर, उत्तरी) और डीएफओ, बफर एरिया, (अब पीटीआर दक्षिणी) द्वारा संचालित किया जाना था। सीसीएफ और एफडी का खाता पीटीसीएफ के सभी फंड की प्राप्ति के लिए मुख्य खाता होना था। इस खाते से आगे के खर्च के लिए अन्य दो खातों को फंड उपलब्ध कराया जाना था।

36 सीसीएफ एवं एफडी: एसबीआई (xxxxxxx8331) और एचडीएफसी (xxxxxxxxxx3817); डीएफओ, कोर एरिया: केनरा बैंक (xxxxxxxxx0474 और xxxxxxxxx1226) और एचडीएफसी (xxxxxxxxxx4679) और डीएफओ, बफर एरिया: आईसीआईसीआई (xxxxxxxxx0907), यूनियन बैंक (xxxxxxxxxxxx5684) और एचडीएफसी (xxxxxxxxxx7412)।

37 पीटीसीएफ की नीतियों और बजट को तैयार करने और पीटीआर में गतिविधियों के पूरक के लिए कार्य योजनाओं को मंजूरी देने के लिए मैनुअल के पैरा 5 के तहत विभाग द्वारा गठित (सितंबर 2016)।

लेखापरीक्षा व्यय की सत्यता का विश्लेषण नहीं कर सका क्योंकि रोकड़ पंजी का रखरखाव नहीं किया गया था।

- पीटीसीएफ के जीबी ने पीटीसीएफ फंड को अस्थायी रूप से जरूरी कार्यों और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को भुगतान के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया (फरवरी 2018 और नवंबर 2021), जो राज्य से नियमित आवंटन प्राप्त करने के बाद निधियों की वापसी की जानी थी। 2018-22 के दौरान, सीसीएफ एंड एफडी, पीटीआर ने डीएफओ, पीटीआर (दक्षिणी और उत्तरी) को ₹ 2.39 करोड़ हस्तांतरित किए, जिसके विरुद्ध, डीएफओ ने दैनिक मजदूरी पर ₹ 1.35 करोड़ और विश्राम गृहों के रखरखाव पर ₹ 10 लाख खर्च किए। हालांकि, डीएफओ ने सीसीएफ एंड एफडी, पीटीआर को केवल ₹ 88.68 लाख ही लौटाए **(परिशिष्ट 2.8)**। डीएफओ के पास पीटीसीएफ की रोकड़ पंजी के अभाव में, लेखापरीक्षा डीएफओ को प्राप्त नियमित आवंटन के साथ प्रतिवेदित व्यय के उद्देश्य को सत्यापित नहीं कर सकी। इसके अलावा, सीसीएफ एंड एफडी, पीटीआर ने 2022-24 (जुलाई 2023 तक) के दौरान पीटीआर उत्तरी को ₹ 78.79 लाख और पीटीआर दक्षिणी को ₹ 1.19 करोड़ हस्तांतरित किए थे। हालाँकि, डीएफओ द्वारा रोकड़ पंजी का रखरखाव नहीं किये जाने के कारण इसका उपयोग (जुलाई 2023 तक) को सत्यापित नहीं किया जा सका।
- सीसीएफ एंड एफडी, पीटीआर और डीएफओ, पीटीआर उत्तर ने 2018-19 में वन प्रक्षेत्र अधिकारी (आरएफओ) को ₹ 92.09 लाख का अग्रिम भुगतान किया। आरएफओ ने 2018-19 में डीएफओ, पीटीआर उत्तरी को ₹ 33.93 लाख भी लौटा दिए थे, लेकिन रोकड़ पंजी के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सका कि किस उद्देश्य के लिए अग्रिम दिया गया था और आरएफओ के पास शेष राशि की स्थिति क्या थी।
- गुमला जिले में अम्तीपानी बॉक्साइट खनन परियोजना को भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय मंजूरी में निर्धारित शर्तों के अनुसार, मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रभाव क्षेत्र अर्थात पीटीआर, पीटीआर के ईएसजेड और महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी में संरक्षण गतिविधि के लिए पीटीसीएफ को एक करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे (अगस्त 2022)। इस राशि का उपयोग जीबी द्वारा अनुमोदित वार्षिक परिचालन योजना (ए.पी.ओ.) के आधार पर किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जुलाई 2023 तक 2022-23 या 2023-24 के लिए कोई एपीओ तैयार नहीं किया गया था, लेकिन इसके बावजूद, सीसीएफएंडएफडी ने डीएफओ, पीटीआर उत्तर और पीटीआर दक्षिणी को राशि हस्तांतरित कर दी (सितंबर 2022)।

इस प्रकार, चूंकि पीटीसीएफ द्वारा रोकड़ पंजी का रखरखाव नहीं किया गया था, लेखापरीक्षा किए गए व्यय और डीएफओ/आरएफओ को प्रदान किए गए अस्थायी अग्रिमों की स्थिति को सत्यापित नहीं कर सकी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया (अगस्त 2024) और कहा कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा निकास सम्मेलन (जुलाई 2024) के दौरान यह आश्वासन भी दिया गया कि रोकड़ पंजी और संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा।

अनुशंसा 5: विभाग पीटीसीएफ द्वारा रोकड़ पंजी का रखरखाव सुनिश्चित कर सकता है तथा डीएफओ को दिए गए अग्रिम की वसूली कर सकता है।

2.4 वन्यजीवन और उसके आवासों का संरक्षण और सुरक्षा

संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन योजनाओं से पता चला कि अपर्याप्त मानव बल और बुनियादी ढांचा, भारी जैविक दबाव और वनों का क्षय, संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण को प्रभावित करने वाली मुख्य चिंताएं थीं। तदनुसार, सामान्य उद्देश्य अर्थात (i) वन पारिस्थितिकी तंत्र का उसकी प्राकृतिक स्थिति में संरक्षण (ii) क्षीण वनों की बहाली (iii) जलग्रहण क्षेत्रों में सुधार (iv) संरक्षित क्षेत्रों के संसाधनों पर और उसके आसपास रहने वाले लोगों की निर्भरता में कमी (v) लोगों के बीच प्रकृति शिक्षा के प्रसार के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना (vi) प्रबंधन उन्मुख अनुसंधान और निगरानी (vii) मानव-पशु संघर्ष को न्यूनतम करना (viii) जिम्मेदारी के सभी स्तरों पर कौशल विकास (ix) संरक्षित क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और (x) भू-दृश्य संपर्क को बनाए रखना, इन पर प्रबंधन योजना में ध्यान केंद्रित किया गया।

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रमुख क्षेत्रों को मोटे तौर पर (i) संरक्षण (ii) अग्नि प्रबंधन (iii) आवास प्रबंधन (iv) पशु स्वास्थ्य निगरानी (v) मानव-पशु सह-अस्तित्व (vi) बुनियादी ढांचे और संचार का विकास (vii) पारिस्थितकी पर्यटन और (viii) पारिस्थितिक विकास समिति में वर्गीकृत किया गया था। संबंधित गतिविधियों के कार्यान्वयन में देखी गई कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.4.1 संरक्षित क्षेत्र का संरक्षण

संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीमाओं का सर्वेक्षण और सीमांकन; वन और वन्यजीव अपराध को रोकने और नियंत्रित करने के लिए नियमित गश्त; गतिशीलता और संचार को बढ़ाने के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास; और पर्याप्त और कुशल जनशक्ति की तैनाती को संरक्षित क्षेत्रों में प्रमुख गतिविधियों के रूप में माना जाता है।

2.4.1.1 संरक्षित क्षेत्र सीमाओं का समेकन

किसी संरक्षित क्षेत्र के क्षेत्र की सीमाएं राज्य द्वारा डब्ल्युपीए, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित की जाती हैं। इसके बाद इस क्षेत्र को सर्वेक्षण के माध्यम से समेकित किया जाना है, तथा विभाग द्वारा सीमा स्तंभों को स्थापित करके सीमाओं का सीमांकन किया जाना है। नमूना जांचित प्रमंडलों में संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजना

के विश्लेषण से पता चला कि कृषि के लिए भूमि का अतिक्रमण, अवैध कटाई, मवेशी चराई और झाड़ियों को साफ करने के लिए मानव निर्मित आग आदि सामान्य खतरे हैं, जो संरक्षित क्षेत्रों में सीमा (आंतरिक और बाह्य) सीमांकन की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। इन खतरों को, जमीन पर पक्के सीमा स्तंभों के निर्माण, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वेक्षण और अन्य तरीकों का उपयोग करके, काफी हद तक कम किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांचित प्रमंडलों ने राज्य में 12 संरक्षित क्षेत्रों के लिए 73,448 सीमा स्तंभों की आवश्यकता का आकलन किया था, जो प्रति वर्ग किलोमीटर 15 से 135 सीमा स्तंभों के बीच था (**परिशिष्ट 2.9 क**)। हालाँकि, इसके विपरीत, मार्च 2023 तक, संरक्षित क्षेत्र में केवल 25,619 (35 प्रतिशत) सीमा स्तंभ थे, जिनमें से केवल 9,318 स्तंभ (36 प्रतिशत) डीजीपीएस सर्वेक्षण के साथ स्थापित किए गए थे। शेष 16,301 स्तंभों को डीजीपीएस सर्वेक्षण द्वारा प्रमाणित किया जाना था तथा संबंधित प्रमंडलों द्वारा उनके स्थान का डिजिटलीकृत आंकड़ों के साथ प्रति-सत्यापन किया जाना था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि 2018-21 के दौरान, विभाग ने डीजीपीएस सर्वेक्षण का उपयोग करके 6,755 सीमा स्तंभों को स्थापित करने के लिए चार नमूना जांचित प्रमंडलों को ₹ 2.70 करोड़ विमुक्त किए थे। हालाँकि, प्रमण्डलों द्वारा ₹ 1.29 करोड़ की लागत से केवल 3,335 सीमा स्तंभ ही स्थापित किए गए (**परिशिष्ट 2.9 ख**)। वर्ष 2021-23 के दौरान विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में सीमा स्तंभों के निर्माण के लिए कोई धनराशि विमुक्त नहीं की गई।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने एलयूएलसी आंकड़ा से पाया कि अक्टूबर 2023 तक, संरक्षित क्षेत्रों[38] के अंदर स्थित 730 गांवों में से 152 (21 प्रतिशत) की सीमाओं का डिजिटलीकरण पूरा नहीं हुआ था। सीमाओं के डिजिटलीकरण के अभाव में, डीजीपीएस सर्वेक्षण के साथ सीमा स्तंभों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। इसके अलावा, पुराने सीमा स्तंभ, जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसा कि **चित्र 2.1** और **2.2** से देखा जा सकता है, उन्हें संरक्षित क्षेत्र के बेहतर चिह्नांकन के लिए बदलने की आवश्यकता थी।

[38] उधवा झील पक्षी आश्रयणी को छोड़कर 11 संरक्षित क्षेत्र।

चित्र 2.1	चित्र 2.2
दलमा वन्य जीव आश्रयणी में पुराना और आसानी से दिखाई न देने वाला सीमा स्तंभ (24 अगस्त 2023)	*उधवा झील पक्षी आश्रयणी में पुराना और जलमग्न सीमा स्तंभ (22 सितंबर 2023)*

इस प्रकार, विभाग ने डीजीपीएस सर्वेक्षण के आधार पर सीमा स्तंभों के निर्माण के माध्यम से संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं को सुदृढ़ करना सुनिश्चित नहीं किया, ताकि बाहरी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जा सके, जो संरक्षित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती थीं। इसके अलावा, सीमा स्तंभों का निर्माण न होने के कारण संरक्षित क्षेत्र भूमि पर अतिक्रमण की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2024) कि संरक्षित क्षेत्र सीमाओं के डिजिटलीकरण के साथ-साथ शेष स्तंभों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। समापन सम्मेलन के दौरान, विभाग ने यह भी आश्वासन दिया (जुलाई 2024) कि संरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित गांवों की सीमा के डिजिटलीकरण और स्तंभों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुशंसा 6: विभाग डीजीपीएस सर्वेक्षण का उपयोग करके सीमा स्तंभों के निर्माण के माध्यम से संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं को मजबूत करने के लिए कदम उठा सकता है।

2.4.1.2 संरक्षित क्षेत्र में गश्त

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (धारा 29) में प्रावधानित है कि कोई भी व्यक्ति मुख्य वन्यजीव वार्डेन द्वारा दिए गए अनुज्ञा-पत्र के अनुसार ही आश्रयणी से वन्य उत्पाद सहित किसी भी वन्यजीव को नष्ट, शोषण या हटायेगा। वन क्षेत्रों में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए नियमित गश्त की आवश्यकता है। इसके अलावा एनटीसीए के मार्गदर्शिका के अनुसार, गश्त शिविर में दैनिक गश्त लॉग/पंजी बनाए रखना आवश्यक है। इन पंजियों में गश्त की शुरुआत की तारीख, समय और जीपीएस निर्देशांक, कुल व्यक्तियों की संख्या और गश्त का तरीका दर्ज किया जाएगा। इसमें सभी अवैध गतिविधियों को समय, तारीख और निर्देशांक के साथ एक डाटा शीट में दर्ज किया जाएगा। अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियों के चिह्नों और देखे जाने का अभिलेख भी जीपीएस निर्देशांकों के साथ दर्ज किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन योजना ने गश्ती दस्तों[39]. के गठन का प्रस्ताव रखा। गश्ती दस्तों को पर्याप्त वाहन, संचार उपकरण, सुरक्षा उपकरण/ गियर[40] के साथ-साथ आवश्यक[41] प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना था। इसके अलावा, प्रबंधन योजना ने रणनीतिक स्थानों पर नए निगरानी मीनार के निर्माण और आवास सुविधा के साथ मौजूदा टावरों में सुधार का भी प्रस्ताव रखा, जिसका उपयोग गश्त/शिकार विरोधी शिविरों या प्रभावी रात्रि गश्त के लिए किया जा सके।

(i) गश्त में कमियां

वर्ष 2018-23 के दौरान, प्रमण्डलों द्वारा प्रति वर्ष 361 से 479 स्थानीय लोगों को दैनिक वेतन पर ट्रैकर्स के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाओं का उपयोग संरक्षित क्षेत्र में गश्त (**परिशिष्ट 2.10 क**) के लिए किया गया था। पूर्व सैन्य/अर्धसैन्य कर्मियों को 10 संरक्षित क्षेत्रों में गश्त के लिए नियुक्त नहीं पाया गया, सिवाय पीटीआर के जहां 220 से 309 स्थानीय ट्रैकर्स के अतिरिक्त स्ट्राइक फोर्स दस्ते के अंतर्गत 11 से 17 पूर्व सैन्य/पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। इसके अलावा, 2018-23 के दौरान 36 से 40 प्रतिशत वन रक्षकों और 76 से 91 प्रतिशत वनपालों की कमी थी, जिन्हें इन गश्ती दस्तों का नेतृत्व करना था। आगे, नमूना जांचित प्रमण्डलों ने गश्त में लगे स्थानीय लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण भी नहीं दिया। नमूना जांचित छः प्रमण्डलों में से तीन[42] में गश्त के दौरान आवरित किए गए क्षेत्रों और देखी गई घटनाओं को दर्ज करने के लिए गश्त पंजी भी संधारित नहीं किए जा रहे थे। इस प्रकार, प्रमण्डलों ने कुशल गश्ती दस्तों द्वारा संरक्षित क्षेत्र की गश्त सुनिश्चित नहीं की, जैसा कि प्रबंधन योजना में परिकल्पित किया गया था।

जवाब में, विभाग ने बताया (अगस्त 2024) कि स्थानीय ग्रामीणों को, जिन्हें स्थानीय भूभाग और खुफिया जानकारी का अच्छा ज्ञान है, सर्वोत्तम संभव सुरक्षा प्राप्त करने के लिए गश्त में लगाया जा रहा है। आगे बताया गया कि प्रक्षेत्र कार्यालयों में गश्त पंजी में संधारित किया जाता है।

हालांकि, तथ्य यह है कि पूर्व सैन्य/अर्धसैनिक कर्मियों को, जैसा कि प्रबंधन योजनाओं में अपेक्षित है, गश्ती दस्तों में तैनात नहीं किया गया था। आगे, लेखापरीक्षा के दौरान तीन नमूना जांचित प्रमंडलों में गश्त पंजी संधारित नहीं किया जा रहा था।

---

39 इसमें वनपाल, वन रक्षक और पूर्व सेना/अर्धसैन्य बल के जवान शामिल होंगे।

40 जंगल बूट, वर्दी, टॉर्च, दवाइयां आदि।

41 निहत्थे युद्ध, उत्तरजीविता कौशल, आग्नेयास्त्रों का उपयोग, प्राथमिक चिकित्सा, तैराकी, ड्राइविंग आदि।

42 हज़ारीबाग़, पीटीआर दक्षिणी और साहिबगंज।

(ii) वाहनों की कमी

आठ संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजनाओं में गश्त के लिए मौजूदा 13 चार पहिया और 21 दो पहिया वाहनों के अलावा अतिरिक्त 23 चार पहिया और 132 दो पहिया वाहनों की आवश्यकता (मार्च 2023 तक) का आकलन किया गया था (**परिशिष्ट 2.10 ख**)। तीन संरक्षित क्षेत्र[43] के प्रबंधन योजना में गश्त वाहनों का कोई आकलन नहीं किया गया था। हालांकि, संबंधित प्रमंडलो ने अपनी वार्षिक योजनाओं में आवश्यक वाहनों की खरीद के प्रस्तावों को शामिल नहीं किया और इस तरह, मार्च 2024 तक वाहनों की खरीद नहीं की गई। इस प्रकार, प्रमंडलो के पास वाहनों की कमी के कारण, संरक्षित क्षेत्र की प्रभावी गश्त सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2024) कि क्षेत्र में आवश्यक और वास्तविक वाहनों की संख्या में अंतर है, और वन विभाग ने 2024-25 में वाहन खरीदने की योजना बनाई है।

(iii) उचित उपकरण और संचार नेटवर्क का अभाव

संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन योजना ने प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र में एक वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने और वायरलेस सेट की खरीद की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। हालाँकि, जिन संरक्षित क्षेत्र के पास कोई वायरलेस तंत्र नहीं था, उन्होंने क्षेत्रिय कर्मचारियों और गश्ती दस्तों के साथ एक कुशल संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए अपने प्रबंधन योजना में इन आवश्यकताओं का आकलन नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2024 तक 12 में से पाँच संरक्षित क्षेत्रों में वायरलेस तंत्र नहीं थे (**परिशिष्ट 2.11**)। शेष सात संरक्षित क्षेत्र[44] में, 113 वायरलेस सेट थे, जिनमें से पाँच संरक्षित क्षेत्रों में केवल 66 वायरलेस सेट कार्यशील थे। इसके अलावा, चूंकि प्रमंडलो ने खरीद के विवरण सहित वायरलेस सेटों की विस्तृत सूची नहीं रखी थी, लेखापरीक्षा इन उपकरण की आयु या अप्रचलन (यदि कोई हो) का आकलन नहीं कर सका।

हजारीबाग वन्यजीव आश्रयणी में गश्ती कर्मियों को भी उचित वर्दी और सुरक्षा उपकरणों के बिना तैनात देखा गया, जो प्रभावी गश्त के लिए आवश्यक है, जैसा कि **चित्र 2.4** से देखा जा सकता है।

---

[43] बेतला एनपी, पलामू वन्यजीव आश्रयणी और उधवा झील पक्षी आश्रयणी।

[44] दलमा, हज़ारीबाग़, कोडरमा, महुआडांड़, पीटीआर (पलामू और बेतला) और उधवा।

चित्र 2.3	चित्र 2.4
दलमा* वन्य जीव आश्रयणी *में कम दृश्यता वाला निगरानी मीनार (18 अगस्त 2023)	***हजारीबाग* वन्य जीव आश्रयणी *में उचित सुरक्षा उपकरण के बिना ट्रैकर्स (18 अगस्त 2023)***

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2024) कि वह संरक्षित क्षेत्र में गैर-कार्यशील वायरलेस तंत्रों को कार्यशील करने पर काम कर रहा है, और लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में, सभी संरक्षित क्षेत्र को एक वायरलेस तंत्र द्वारा कवर किया जाएगा।

(iv) निगरानी मीनारों में कमियां

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 संरक्षित क्षेत्र में से दो (लावालौंग और पारसनाथ वन्य जीव आश्रयणी) में संरक्षित क्षेत्र पर नजर रखने और गश्ती दस्तों के लिए रात्रि शिविर के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए आवश्यक निगरानी मीनार नहीं थे। हालांकि, प्रमंडलो ने न तो उनकी आवश्यकता का आकलन किया था और न ही विभाग को इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा था। आगे, शेष 10 संरक्षित क्षेत्रों में मौजूदा निगरानी मीनारों में गश्ती कर्मियों की नियमित तैनाती या गश्ती शिविर के रूप में उनके उपयोग के लिए उचित बुनियादी सुविधाएं जैसे रहने का कमरा, शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, बिजली आदि नहीं थीं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया कि दलमा वन्य जीव आश्रयणी में मौजूदा निगरानी मीनार से संरक्षित क्षेत्र की दृश्यता पेड़ों की वृद्धि **(चित्र 2.3)** के कारण सीमित थी।

राष्ट्रीय ब्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की समिति ने भी पीटीआर में मौजूदा निगरानी मीनारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ उन्नत करने की अनुशंसा (जनवरी 2022) की थी ताकि उन्हें गश्ती शिविरों के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। जुलाई 2023 तक, पीटीआर के 114 निगरानी मीनारों में से केवल 30 निगरानी मीनारों (26 प्रतिशत) में शौचालय थे जबकि केवल 25 निगरानी मीनारों (22 प्रतिशत) में पीने के पानी की सुविधा थी।

विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि एनटीसीए की सुरक्षा लेखापरीक्षा टीम ने अपने दौरे के दौरान पीटीआर के सभी मानवयुक्त निगरानी मीनारों को अच्छी रेटिंग दी थी क्योंकि वहां स्थित सभी अवैध शिकार विरोधी शिविरों को उचित बुनियादी सुविधाएं

प्रदान की गई थीं। आगे यह कहा गया कि विशेष मरम्मत की आवश्यकता वाले निगरानी मीनारों की पहचान की जाएगी और जल्द से जल्द उनकी मरम्मत की जाएगी। हालाँकि, अन्य संरक्षित क्षेत्रों के निगरानी मीनारों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया।

(v) ब्याघ्र संरक्षण बल का निर्माण

ब्याघ्र परियोजना के तहत, भारत सरकार ने पीटीआर के लिए ब्याघ्र संरक्षण बल (टीपीएफ) के दो दस्तों के निर्माण के लिए धनराशि को मंजूरी (अक्टूबर 2007) दी थी, ताकि संरक्षण को मजबूत करने के लिए क्षेत्र दल कर्मियों के प्रयासों को संवर्द्धित किया जा सके। प्रत्येक टीपीएफ को 10 पूर्व सैन्य कर्मियों (चार बंदूकधारियों सहित) और 15 स्थानीय लोगों के साथ बनाया जाना था। टीपीएफ को कैप्सूल फील्ड प्रशिक्षण के माध्यम से पेशेवर रूप से उन्मुख किया जाना था और वायरलेस, हथियार, वाहन और कार्यों को करने के लिए उचित प्राधिकरण से लैस किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पीटीआर ने डीएफओ को टीपीएफ में कुशल कर्मियों को तैनात करने का निर्देश (अक्टूबर 2016) दिया था क्योंकि अकुशल कर्मियों की तैनाती से बाघों की निगरानी के लिए आवश्यक आंकड़े एकत्र करने का उद्देश्य पूरा नहीं होता था। हालांकि, प्रमंडलो ने 2018-23 के दौरान प्रत्येक वर्ष टीपीएफ में 89 से 130 अकुशल स्थानीय लोगों को तैनात किया और ₹ 4.26 करोड़ विमुक्त किए जाने के मुकाबले ₹ 4.24 करोड़ का व्यय किया। इस प्रकार, कुशल कर्मियों की तैनाती के माध्यम से ब्याघ्र आरक्ष की सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए टीपीएफ में कभी भी कुशल कर्मियों को तैनात नहीं किया गया।

विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि पीटीआर में 300 ट्रैकर्स/टीपीएफ की एक मजबूत टीम है, जिनमें ज्यादातर स्थानीय लोग हैं, जो इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हैं और समय-समय पर विभिन्न प्रबंधन गतिविधियों में प्रशिक्षित हैं। ट्रैकर्स/टीपीएफ जानवरों के संकेत एकत्र करने, सर्वेक्षण करने और आवास वृद्धि कार्य में कुशल हैं।

हालांकि, तथ्य यह है कि पूर्व सैन्य कर्मियों को, आवश्यकतानुसार, टीपीएफ में तैनात नहीं किया गया था। इसके अलावा, टीपीएफ में तैनात स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण से संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। यह भी देखा गया कि मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक भी टीपीएफ में अकुशल कर्मियों की तैनाती से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वे पीटीआर की निगरानी और सुरक्षा के लिए सक्षम नहीं थे।

अनुशंसा 7: विभाग पर्याप्त वाहनों, संचार उपकरणों और सुरक्षा उपकरणों के साथ संरक्षित क्षेत्र की गश्त के लिए कुशल कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित कर सकता है।

2.4.1.3 मानव संसाधन का प्रबंधन

एनडब्ल्यूएपी-2 (2002-16) में दावा किया गया था कि चुनौतीपूर्ण वन्यजीव संरक्षण परिदृश्य के लिए प्रतिबद्ध वन्यजीव प्रबंधकों की आवश्यकता है, जिनके पास वैज्ञानिक क्षमता और संचार कौशल के द्वारा सामाजिक जागरूकता हो। उन्हें संगठित आपराधिक तत्वों के विरुद्ध तीव्र पहचान और प्रवर्तन क्षमताओं की भी आवश्यकता है। आधुनिक तकनीक के उपयोग सहित जैव विविधता की पूरी श्रृंखला के संरक्षण का ज्ञान रखने वाले कुशल वन्यजीव जीवविज्ञानी और सामाजिक वैज्ञानिक भी आवश्यक हैं। अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों के पास भी जमीनी स्तर पर समान कौशल होना चाहिए। आगे, अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों के निरंतर कौशल उन्नयन के लिए प्रत्येक राज्य में एक वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी प्रस्तावित था।

(i) अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की कमी

विभाग के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के अनुसार, आरएफओ, वनपाल और वनरक्षी क्रमशः प्रक्षेत्र, बीट और सब-बीट की देखभाल करते हैं, और उन्हें संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन के लिए अग्रिम पंक्ति स्टाफ माना जाता है। वन्यजीव प्रमंडलो में मार्च 2019 और मार्च 2023 तक अग्रिम पंक्ति स्टाफ की स्वीकृत बल और कार्यरत बल **चार्ट 2.1** में दिखाई गई है।

चार्ट 2.1: वन्यजीव प्रमंडलो में अग्रिम पंक्ति स्टाफ की स्वीकृत बल और कार्यरत बल

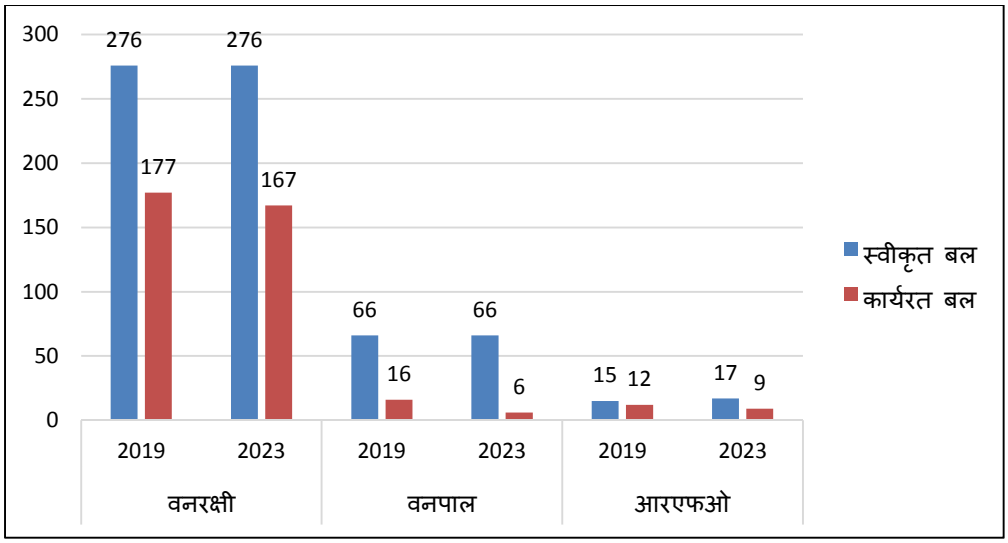

मार्च 2019 तक, 357 स्वीकृत बल के मुकाबले कार्यरत बल 205 (57 प्रतिशत) थी, जो मार्च 2023 में घटकर 182 (51 प्रतिशत) हो गई। हालांकि, विभाग ने 2018-23 के दौरान अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू नहीं किया था, यद्यपि 2018-30 के लिए झारखण्ड के विजन डॉक्यूमेंट में 2021 तक सभी रिक्तियों को भरने का लक्ष्य रखा गया था। अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की कमी ने

योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित किया और संरक्षित क्षेत्र की अपर्याप्त सुरक्षा कारण बना।

लेखापरीक्षा ने क्षेत्र (प्रति वर्ग किमी) के संदर्भ में संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन के लिए अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों के स्वीकृत बल में विसंगतियों को भी देखा, जैसा कि **चार्ट 2.2** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.2: संरक्षित क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की स्वीकृत बल के अनुसार प्रति वर्ग किमी प्रशासनिक क्षेत्र (प्रक्षेत्र, बीट और सब-बीट)

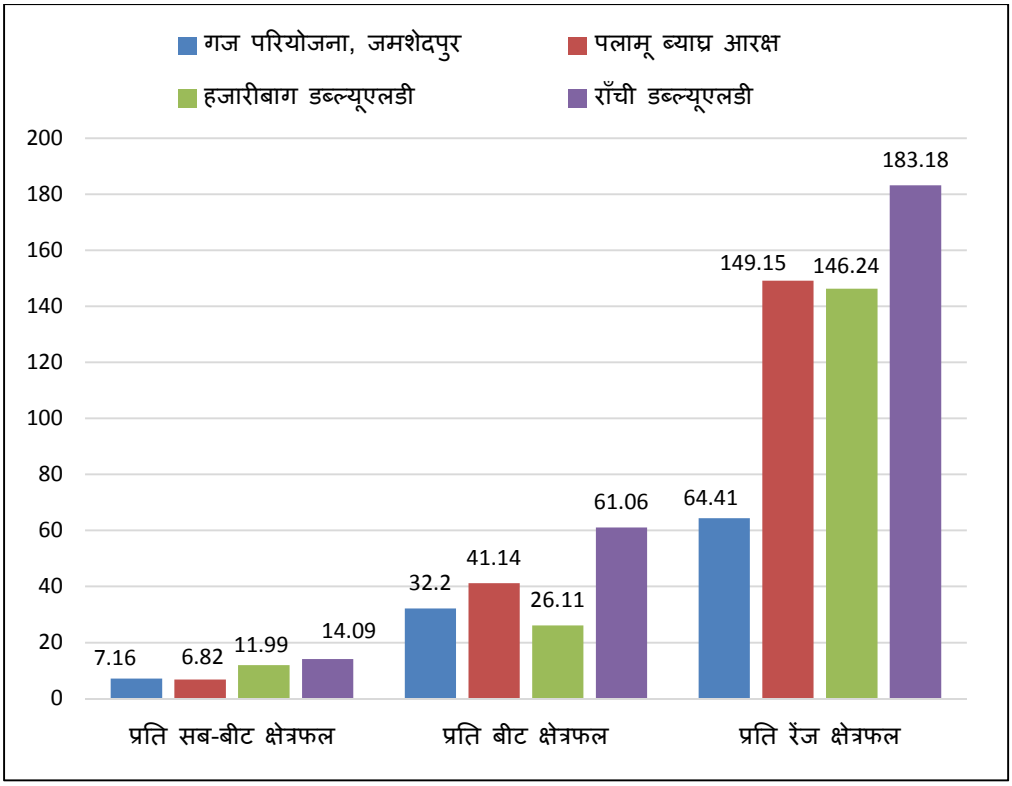

जैसा कि **चार्ट 2.2** में दिखाया गया है, प्रति उप-बीट प्रशासनिक क्षेत्र सात से 14 वर्ग किलोमीटर, प्रति बीट 26 से 61 वर्ग किलोमीटर और प्रति प्रक्षेत्र 64 से 183 वर्ग किलोमीटर तक था। इस प्रकार, कुछ संरक्षित क्षेत्रों में, प्रशासनिक क्षेत्र प्रति अग्रिम पंक्ति कर्मचारी अन्य संरक्षित क्षेत्र की तुलना में दोगुने से भी अधिक थे, जो प्रक्षेत्र में कर्मचारियों के बंटवारे और तैनाती में विसंगतियों को दर्शाता है। आगे, स्वीकृत बल की तुलना में 49 प्रतिशत अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की कमी के कारण मौजूदा अधिकारियों के कार्यभार में असामान्य वृद्धि हुई, जिसका संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन योजना ने संरक्षित क्षेत्रों के अपर्याप्त प्रबंधन के पीछे एक कारण के रूप में अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की कमी को भी मान्यता दी थी और अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की अतिरिक्त संख्या, अलग प्रक्षेत्र के निर्माण और विशेषज्ञ अधिकारियों के पद का प्रस्ताव दिया था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

- हजारीबाग (2020-30) और कोडरमा (2021-31) वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना ने क्रमशः तीन वनपालों और 14 वनरक्षियों के अतिरिक्त पदों का प्रस्ताव दिया था।
- उधवा झील पक्षी आश्रयणी के प्रबंधन योजना (2021-31) ने संरक्षित क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए दैनिक आंकड़ा संग्रहण के लिए उधवा में दो बीट और चार उप-बीट के साथ एक अलग प्रक्षेत्र का प्रस्ताव (जनवरी 2022) रखा था।
- इसके अतिरिक्त, प्रबंधन योजना ने संरक्षित क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन के लिए अनुसंधान कार्य करने, जंगली जानवरों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने तथा प्रमंडल और अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों के बीच बेहतर संचार सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ अधिकारियों[45] के पदों के सृजन का प्रस्ताव दिया था।

हालांकि, विभाग ने संरक्षित क्षेत्रों के लिए अग्रिम पंक्ति कर्मचारी के अतिरिक्त पदों को मंजूरी देने या विशेष अधिकारियों के पद सृजित करने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि 2018-23 के दौरान अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की भर्ती का मुद्दा लगातार राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया था। हालांकि, भर्ती नियमों से संबंधित मुद्दों के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी, जिसे अब सुलझा लिया गया है और भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। विशेषज्ञ अधिकारियों के संबंध में कहा गया कि पीटीआर में तीन जीवविज्ञानी और दो पशु चिकित्सक तैनात किए गए हैं।

(ii) कौशल विकास

वन उप महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्यों को 'वनपालों और वनरक्षियों के प्रशिक्षण' पर मार्गदर्शिका निर्गत किए थे (मार्च 2013)। मार्गदर्शिका में वनपालों/ वनरक्षियों के लिए छः महीने का अनिवार्य परिचयात्मक प्रशिक्षण और प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार पुनश्चर्या पाठ्यक्रम उनके ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए निर्धारित किए गए थे। विशेष कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के रूप में विशेष लघु अवधि के पाठ्यक्रम भी निर्धारित किए गए थे। इसके अलावा, उचित कैरियर नियोजन के लिए प्रशिक्षुओं का एकीकृत डेटा बेस बनाए रखना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में वनपालों और वन रक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए तीन[46] प्रशिक्षण संस्थान हैं। हालांकि, नमूना जांचित प्रमंडलो में तैनात 175 वनरक्षियों में से, केवल 16 (नौ प्रतिशत) वनरक्षियों को छः महीने का अनिवार्य परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया गया था (जुलाई 2023 तक), जबकि 138 वनरक्षियों

[45] अनुसंधान अधिकारी, प्रकृतिवादी, वायरलेस ऑपरेटर और पशु चिकित्सक।

[46] वनपाल एवं वनरक्षी प्रशिक्षण स्कूल, चाईबासा, हजारीबाग एवं महिलोंग, रांची।

को केवल एक महीने का परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया गया था **(परिशिष्ट 2.12)**। 2018-23 के दौरान केवल 137 वनरक्षियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया था। जुलाई 2023 तक रांची वन्यजीव प्रमंडल में तैनात 14 वनरक्षियों में से किसी को भी सेवा में शामिल होने के बाद से परिचयात्मक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था (जुलाई और अगस्त 2017।

आगे, 175 वनरक्षियों में से केवल 57 वनरक्षियों को वन्यजीव अपराध नियंत्रण (24 वनरक्षियों), वन अग्नि प्रबंधन (आठ वनरक्षियों), ट्रैंक्विलाइजेशन और संघर्ष शमन (16 वनरक्षियों), वन सर्वेक्षण (आठ वनरक्षियों) और प्रकृति गाइड (एक वनरक्षी) पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। पालकोट वन्य जीव आश्रयणी के प्रबंधन योजना (2020-30) ने अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों के लिए वन्यजीव प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया था क्योंकि संरक्षित क्षेत्र में कोई प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं था। हालांकि, 2021-23 के दौरान पालकोट के 14 वनरक्षियों में से केवल चार को विभाग द्वारा ये प्रशिक्षण दिए गए।

इस प्रकार, संरक्षित क्षेत्र के प्रभावी और वैज्ञानिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों को अपेक्षित परिचयात्मक और विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्गत वनपालों और वनरक्षियों के प्रशिक्षण संबंधी मार्गदर्शिका में परिकल्पित किया गया था। जवाब में, विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि 2017 में राज्य में 2,400 वनरक्षियों की भर्ती की गई थी। चूंकि, तीनों प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता केवल 240 थी, इसलिए संरक्षित क्षेत्रों में तैनात वनरक्षियों को केवल एक महीने का परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया जा सकता था। औपचारिक छः महीने का परिचयात्मक प्रशिक्षण 2022-23 से शुरू किया गया है और सभी वनरक्षियों को जल्द से जल्द प्रशिक्षित किया जाएगा। विशेष प्रशिक्षण के संबंध में बताया गया कि अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण नियमित आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं।

हालांकि, तथ्य यह है कि संरक्षित क्षेत्रों में तैनात अधिकांश वनरक्षियों को संरक्षित क्षेत्र के संरक्षण के लिए आवश्यक छः महीने का अनिवार्य परिचयात्मक प्रशिक्षण और अन्य विशिष्ट कार्यस्थल पर प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

अनुशंसा 8: विभाग प्राथमिकता के आधार पर अग्रिम पंक्ति स्टाफ और विशेषज्ञ अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है और आवश्यकतानुसार परिचयात्मक और विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है।

2.4.1.4 वन अपराधों की जांच

भारतीय वन अधिनियम, 1927(धारा 52) में प्रावधानित है कि जब यह मानने का कारण हो कि किसी वन-उपज के संबंध में वन-अपराध किया गया है, तो ऐसी उपज को सभी औजारों सहित किसी भी वन-अधिकारी द्वारा जब्त किया जा सकता है। किसी भी संपत्ति को जब्त करने वाले प्रत्येक अधिकारी को, यथाशीघ्र, अपराध की

सुनवाई करने के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को ऐसी जब्ती की प्रतिवेदन देनी होगी। आगे, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, भारत सरकार की वन्यजीव अपराध जांच पुस्तिका, 2013 में यह निर्धारित किया गया है कि अपराधों की जांच क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में अपराध प्रतिवेदन दर्ज करने के साथ शुरू होनी चाहिए और शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए।

वन अपराधों को कम करने के लिए, सभी संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजना ने संबंधित प्रमंडलो द्वारा अपराध पंजी का रखरखाव करने, आदतन अपराधियों की संचिकाओं को रखने, तथा कम से कम छः महीने में एक बार पुलिस के साथ अपराध संचिकाओं को साझा करने, तथा निकटवर्ती वन प्रमंडलो के साथ भी सूचना साझा करने का प्रस्ताव था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-23 के दौरान नमूना जांचित प्रमंडलो में 1,057 अपराधों की सूचना दी गई थी। हालांकि, इन अपराधों में से, मार्च 2023 तक संबंधित डीएफओ द्वारा केवल 748 मामलों (71 प्रतिशत) **(परिशिष्ट 2.13)** के लिए अभियोजन प्रतिवेदन (अभियोजन प्रतिवेदन) अदालत में प्रस्तुत की गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा (नमूनाजांचित 52 मामलों में) कि संबंधित डीएफओ ने अपराधों के पंजीकरण के बाद अदालत में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नौ से 68 महीने का समय लिया **(परिशिष्ट 2.14)**। नमूना जांचित प्रमंडलो में देखी गई अन्य कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

- किसी भी निर्धारित समयसीमा के अभाव में, नमूना जांचित 52 मामलों में से आठ में **(परिशिष्ट 2.14)** अदालत में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में पांच साल से अधिक की देरी हुई।
- नमूना जांचित प्रमंडलो ने पुलिस तथा समीपवर्ती वन प्रमंडलो के साथ साझा करने के लिए अपराध संभावित क्षेत्रों का मानचित्रण और आदतन अपराधियों की दस्तावेज तैयार नहीं किया।
- नमूना जांचित प्रमंडलो ने जब्त की गई संपत्तियों की सूची नहीं बनाई, ताकि उनकी रिहाई, क्षय या निपटान की निगरानी की जा सके और संरक्षित क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों में उनके उपयोग की संभावना का आकलन किया जा सके।
- हजारीबाग वन्यजीव प्रमंडल ने दिशा-निर्देशों के अभाव में छः संरक्षित क्षेत्र[47] के 39 अभियोजन प्रतिवेदन में समान प्रकृति के अपराधों जैसे भूमि, पेड़ों, झाड़ियों आदि को नुकसान पहुंचाने के लिए मुआवजा और जुर्माना नहीं लगाया। इसके अलावा, हाथी परियोजना, जमशेदपुर और साहिबगंज वन प्रमंडल ने किए गए

[47] गौतम बुद्ध, हज़ारीबाग, कोडरमा, लावालौंग, पारसनाथ और तोपचांची।

अपराधों के खिलाफ कोई मुआवजा का निर्धारण या जुर्माना नहीं लगाया **(परिशिष्ट 2.14)**।

इस प्रकार, नमूनाजांचित प्रमंडलो में अपराध प्रबंधन प्रभावी नहीं था क्योंकि न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी हुई, अपराध क्षेत्रों की मैपिंग का अभाव था, पुलिस और समीपवर्ती वन प्रमंडलो के साथ सूचना साझा नहीं की गई और जब्त वस्तुओं की सूची का रखरखाव नहीं किया गया। अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की कमी और संरक्षित क्षेत्र की अपर्याप्त गश्त के कारण अपराधों की कम रिपोर्टिंग या पहचान की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी/विलंब जांच अधिकारी स्तर पर रिक्तियों के कारण था और जांच की दिशा में सुधार की गुंजाइश है जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है। उपलब्ध कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। मुआवजा वसूलने के संबंध में, यह कहा गया कि अपराध की गंभीरता को उजागर करने के लिए अभियोजन प्रतिवेदन में आरोप लगाए जाते हैं और केवल न्यायालयों को ही वास्तविक जुर्माना लगाने का अधिकार है।

मुआवजा न वसूलने के संबंध में उत्तर आश्वस्त करने वाला नहीं है, क्योंकि हजारीबाग प्रमंडल ने न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले मुआवजा और जुर्माना लगाया था।

अनुशंसा 9: विभाग वन अपराधों की जांच और समयबद्ध तरीके से न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर सकता है।

2.4.2 वन अग्नि प्रबंधन

वन अग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएफएफ), 2018, आग को रोकने पर जोर देती है और वन प्रबंधन नीतियों और कार्यक्रमों में आग के खतरों के खिलाफ वन की लचीलापन में सुधार को प्राथमिकता देने का सुझाव देती है। वन अग्नि प्रबंधन में अग्नि जोखिम क्षेत्रों के मैपिंग के माध्यम से योजना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा तकनीकी हस्तक्षेप, कुशल क्षेत्रीय कर्मचारियों, अग्नि निरीक्षकों और सामुदायिक अग्निशामकों के माध्यम से आग की रोकथाम, पहचान और दमन के लिए तंत्र विकसित किया जाता है। कार्य योजना आग प्रभावित क्षेत्र की प्राकृतिक रूपरेखा को बहाल करने के लिए आग के बाद के प्रबंधन पर जोर देती है।

2.4.2.1 अग्नि प्रबंधन योजना

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) ने वनों में लगने वाली आग की वास्तविक समय निगरानी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) के सहयोग से राज्य वन विभागों को अग्नि संकेतों के प्रसार की पहल (2016 से) की थी। भारतीय राज्य वन प्रतिवेदन

(आईएसएफआर) 2021 ने झारखण्ड में कुल वन क्षेत्र (23,721 वर्ग किमी) के 11.33 प्रतिशत (2,686.97 वर्ग किमी[48]) को (i) अत्यधिक उच्च और (ii) उच्च अग्नि प्रवण क्षेत्र और शेष क्षेत्र[49] (21,034.03 वर्ग किमी) को मध्यम या कम अग्नि प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया था। तदनुसार, विभाग ने संरक्षित क्षेत्र (प्रमंडल-वार) में अग्नि प्रवण क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों की पहचान की थी (जनवरी 2023), जैसा कि **चार्ट 2.3** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.3: प्रमंडल-वार अग्नि प्रवण क्षेत्र

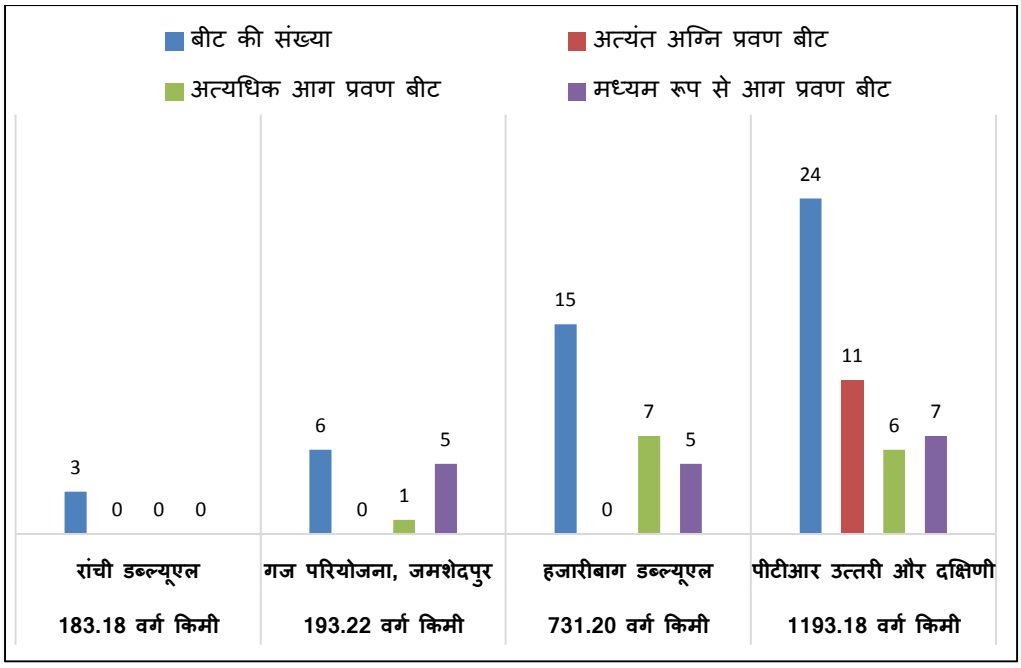

चार्ट 2.3 से देखा जा सकता है कि संरक्षित क्षेत्र में 48 बीटों में से 25 (52 प्रतिशत) अत्यंत या अत्यधिक आग प्रवण क्षेत्र में थे, जिनमें अधिकतम पीटीआर में थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-21 के दौरान इन तीन अग्नि मौसमों के दौरान एफएसआई द्वारा झारखण्ड को क्रमशः 6,221 (नवंबर 2018 से जून 2019), 2,613 (नवंबर 2019 से जून 2020) और 21,713 (नवंबर 2020 से जून 2021) अग्नि संकेत भेजे गए थे। 2020-21 के दौरान झारखण्ड में 1,082 बड़ी जंगल की आग की घटनाओं में से 514 घटनाओं में आग बुझाने में एक से पांच दिन लगे थे, जबकि 46 घटनाओं में छः से 10 दिन लगे थे और तीन घटनाओं में 11 से 14 दिन लगे थे। प्रमंडलीय अभिलेखों के अनुसार, 2018-23 के दौरान आग की घटनाओं के कारण संरक्षित क्षेत्र का 4,027 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था **(परिशिष्ट 2.15)**। नमूना जांचित प्रमंडलो ने एफएसआई द्वारा भेजे गए अग्नि संकेतो के आंकड़ों को संकलित

[48] अत्यधिक आग प्रवण: 47.36 वर्ग किमी., बहुत अधिक आग प्रवण: 480.45 वर्ग किमी. तथा अत्यधिक आग प्रवण: 2,159.16 वर्ग किमी.

[49] मध्यम रूप से आग प्रवण: 4,227.02 वर्ग किमी., तथा कम आग प्रवण: 16,807.01 वर्ग किमी.

नहीं किया था और इसलिए, लेखापरीक्षा इन संकेतो के विरुद्ध शुरू की गई कार्रवाई का पता नहीं लगा सकी।

आगे, संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन योजना में हर साल अग्नि प्रबंधन योजना तैयार करने का सुझाव दिया गया था। हालांकि, नमूना जांचित प्रमंडलो ने 2018-23 के दौरान वार्षिक अग्नि प्रबंधन योजनाएं तैयार नहीं की थीं। प्रमंडलो ने पिछले अग्नि घटनाओं के कारणों, प्रभाव और तीव्रता का विश्लेषण किए बिना या उचित आवश्यकता का आकलन किए बिना विभाग के पास अग्नि शमन उपायों जैसे अग्नि रेखाओं के रखरखाव और अग्निशमन दस्तों की तैनाती के लिए निधियों की मांग रखी थी।

विभाग ने बताया (अगस्त 2024) कि राज्य में वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत अग्नि रेखाओं के निर्माण एवं रख-रखाव का कार्य किया गया था। अग्नि कार्य योजना और अग्नि मानचित्र तैयार कर लिए गए हैं तथा कार्रवाई प्रतिवेदन एफएसआई की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अग्नि कार्य योजना तैयार करने और अग्नि अलर्ट पर कार्रवाई प्रतिवेदन के संबंध में उत्तर आश्वस्त करने वाला नहीं है क्योंकि नमूना जांचित प्रमंडलो ने अग्नि कार्य योजना और 2018-23 के दौरान संरक्षित क्षेत्र में हुई अग्नि घटनाओं **(परिशिष्ट 2.15)** के आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सके।

2.4.2.2 अग्नि रेखाओं का रख-रखाव

राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना, 2018 में पूर्व की अग्नि घटनाओं के आंकड़ों, वनों के प्रकार, बस्तियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए अग्नि रेखाओं[50] के रख-रखाव की स्थिति, कार्यक्षमता और पर्याप्तता की समीक्षा और नई अग्नि रेखाओं का आकलन निर्धारित किया गया है।

संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन योजना ने भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित अंतराल पर निरीक्षण के लिए मौजूदा अग्नि रेखाओं की मैपिंग और सफाई, नई अग्नि रेखाओं को काटने और प्रक्षेत्र-वार अग्नि रेखा पंजी के रखरखाव का भी प्रस्ताव दिया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2023 तक संरक्षित क्षेत्र में अग्नि रेखाओं/ट्रेन्च की लंबाई 1,268 किमी थी **(परिशिष्ट 2.16)**। 2018-22 के दौरान अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में 224.09 हेक्टेयर से 2,009.07 हेक्टेयर तक की वृद्धि **(परिशिष्ट 2.15)** के बावजूद, 2018-23 के दौरान केवल 635 (50 प्रतिशत) से 727 किमी (57 प्रतिशत) अग्नि रेखाओं को सूखे पत्तों और झाड़ियों से साफ किया गया था। अग्नि रेखाओं के रखरखाव और आवश्यकता आकलन में कमियों पर नीचे चर्चा की गई है।

---

[50] यह उन साफ़ या नियंत्रित क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहाँ जंगल की आग को फैलने से रोकने के लिए अवरोध पैदा करने के लिए वनस्पति को हटा दिया गया है। ये रेखाएँ आग की प्रगति को धीमा करने और अग्निशमन प्रयासों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करने के लिए एक रोकथाम उपाय के रूप में कार्य करती हैं।

- पीटीआर, उत्तरी प्रमंडल ने 2017-18 तक पीटीआर में 367 किलोमीटर लंबी अग्नि रेखाएँ बताई थीं। 2018-19 से यह घटकर 121 किलोमीटर रह गई है, जबकि पीटीआर के 24 बीट[51] में से 17 बीट अत्यंत/अत्यधिक अग्नि प्रभावित क्षेत्र में हैं।
- महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी में 145 किलोमीटर की अग्नि रेखाएँ का रखरखाव 2018-23 के दौरान बिल्कुल नहीं किया गया, जबकि 2018-20 और 2022-23 के दौरान संरक्षित क्षेत्र में 59.24 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आग की घटनाओं के 37 मामले सामने आए। प्रमंडल द्वारा 2020-22 के आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया गया था।
- संरक्षित क्षेत्र में अग्नि रेखाएं की लंबाई 0.27 किमी प्रति वर्ग किमी (कोडरमा वन्य जीव आश्रयणी) और 2.29 किमी प्रति वर्ग किमी (महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी) के बीच थी। जबकि, पीटीआर में, जिसमें सबसे अधिक अग्नि प्रभावित क्षेत्र था, अग्नि रेखाएं की लंबाई केवल 0.41 किमी प्रति वर्ग किमी थी।
- नमूना जांचित प्रमंडलो ने 2018-23 के दौरान नई अग्नि रेखाओ की आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया था और न ही निर्धारित प्रक्षेत्रवार अग्नि रेखा पंजी का रखरखाव किया गया था।

इस प्रकार, प्रमंडलो ने न तो संवेदनशील अग्नि प्रवण क्षेत्रों के संबंध में अग्नि रेखाओं की आवश्यकता का आकलन किया और न ही संरक्षित क्षेत्र में अग्नि घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए अग्नि रेखाओं का रखरखाव किया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि अग्नि रेखाओं की सफाई और रखरखाव निधि की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है जो आवश्यकता से कम है। यह भी कहा गया कि लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में प्रबंधन योजना के निर्धारण की समीक्षा की जाएगी।

अपर्याप्त निधियों के बारे में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जांचित प्रमंडलो द्वारा वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना या वार्षिक अग्नि प्रबंधन योजना तैयार किए बिना अग्नि रेखाओं के रखरखाव के लिए निधि की मांग की गई थी।

2.4.2.3 अग्निशमन कौशल और उपकरण

राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना, 2018 में अग्निशमन में शामिल क्षेत्रदल अधिकारियों/कर्मचारियों, मौसमी अग्निशमन कर्मियों और सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई थी। उन्हें लीफ लिटर ब्लोअर और सुरक्षात्मक कपड़ों सहित पर्याप्त अग्निशमन उपकरणों से लैस किया जाना था। अत्यधिक आग

[51] जिसमें महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी की बीट भी शामिल हैं।

लगने वाले क्षेत्रों में आग लगने के मौसम से पहले मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना था। संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन योजना ने वार्षिक अग्नि प्रबंधन योजनाओं के आधार पर अग्निशमन कर्मियों के कौशल विकास और अग्निशमन उपकरणों जैसे अग्निशामक यंत्र, गमबूट, अग्निरोधी सूट आदि की खरीद का भी निर्धारण किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांचित प्रमंडलो ने 2018-23 के दौरान अग्निशमन दस्ते में तैनात कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की थी या अग्निशमन उपकरणों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया था। नमूना जांचित प्रमंडलो में 2018-23 के दौरान अग्नि संभावित किसी भी बीट में मॉक ड्रिल भी आयोजित नहीं की गई थी। नमूना जांचित प्रमंडलो में अग्निशमन दस्तों का मूवमेंट पंजी भी नहीं रखा था, जो आवश्यक थी। नतीजतन, लेखापरीक्षा के दौरान अग्निशमन दस्तों की क्षेत्र-विशिष्ट आवाजाही और प्रतिक्रिया समय का आकलन नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अग्निशमन दस्ते (आमतौर पर पांच व्यक्तियों से युक्त) को आग के मौसम के दौरान 12 संरक्षित क्षेत्रों में से केवल सात में तैनात किया गया था **(परिशिष्ट 2.10)**। पीटीआर, महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी और पालकोट वन्य जीव आश्रयणी में 2018-23 के दौरान कोई अलग से अग्निशमन दस्ता तैनात नहीं किया गया था। पीटीआर और महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी में आग की घटनाओं को कम करने के लिए, प्रमण्डल सामुदायिक स्वयंसेवकों पर निर्भर थे, जबकि पालकोट वन्य जीव आश्रयणी में इसे त्वरित प्रतिक्रिया टीमों[52] द्वारा संभाला गया था।

नमूना जांचित प्रमण्डलो ने अग्निशमन उपकरणों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया। मार्च 2023 तक, प्रमण्डलो के पास उपलब्ध 216 अग्निशामक यंत्रों में से 163 (75 प्रतिशत) काम में लाने योग्य अग्निशामक यंत्र थे। प्रति वर्ग किलोमीटर काम में लाने योग्य अग्निशामक यंत्रों और अग्निशमन दस्तों की उपलब्धता अलग-अलग संरक्षित क्षेत्र में असंगत थी, जैसा कि **चार्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

[52] मानव-पशु संघर्ष को रोकने के लिए एक विध्वंस-विरोधी टीम का गठन किया गया।

2.4: संरक्षित क्षेत्र में सेवा योग्य अग्निशामक यंत्रों और अग्निशमन दस्तों की उपलब्धता (प्रति वर्ग किलोमीटर) में विसंगति

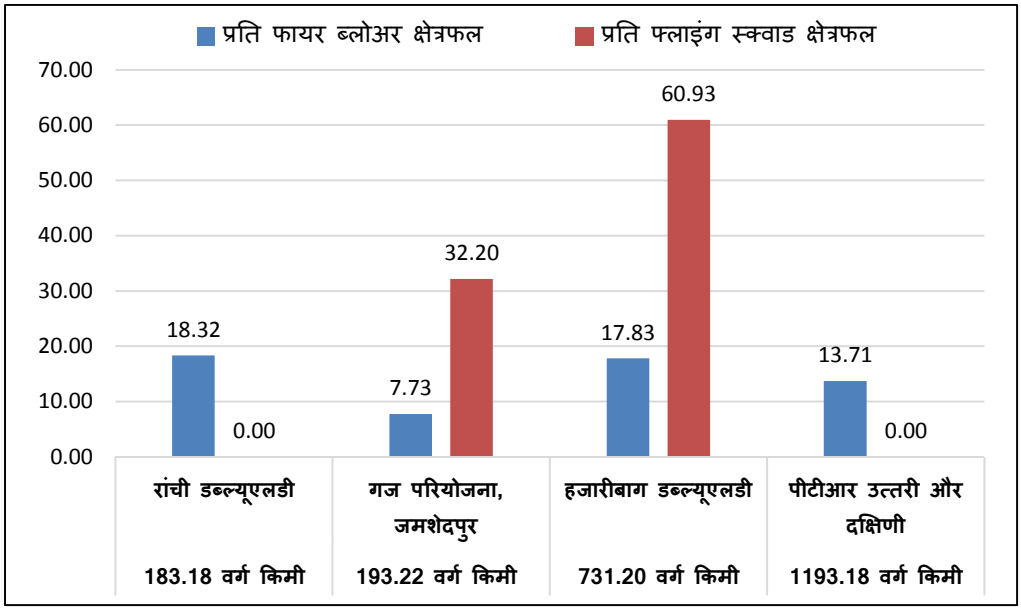

चार्ट 2.4 से देखा जा सकता है कि नमूना जांचित प्रमण्डलो ने उपयोगी अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता और अग्निशमन दस्तों की तैनाती के मामले में एक समान पैमाने नहीं अपनाए थे। आगे, अत्यधिक/अधिक प्रभावित अग्नि प्रवण बीट के मुकाबले अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता भी अनियमित थी क्योंकि पीटीआर (महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी सहित) में ऐसे बीट का 71 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद प्रति 14 वर्ग किमी में एक अग्निशामक यंत्र था, जबकि हाथी परियोजना (दलमा वन्यजीव आश्रयणी) में ऐसे बीट का 17 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद प्रति आठ वर्ग किमी में एक अग्निशामक यंत्र था। इसके अतिरिक्त, हाथी परियोजना[53], जमशेदपुर को छोड़कर नमूना जांचित पांच प्रमण्डलो के पास न तो अग्निशमन किट[54] थे और न ही 2018-23 के दौरान उन्हें खरीदा गया था।

इस प्रकार, नमूना जांचित प्रमण्डलो ने अग्निशमन उपकरणों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया था या न ही अग्निशमन में लगे स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। आगे, प्रमण्डलो में अग्नि प्रवण क्षेत्रों में अग्निशामक यंत्रों की तर्कसंगत उपलब्धता और अग्निशमन दस्तों की तैनाती भी सुनिश्चित नहीं की गई थी, जिसके कारण 2018-22 के दौरान आग की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई।

जवाब में, विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता का अब आकलन किया गया है और 2023-24 और

---

[53] प्रमण्डल ने 2018-19 के दौरान 20 अग्निशमन किट खरीदे।

[54] फायर जैकेट, गमबूट, अग्निशमन अर्क, फायर हुक, फायर ग्लास, हेलमेट, आदि।

2024-25 में अधिक अग्निशामक यंत्र और अग्निशमन किट की खरीद के लिए प्रावधान किया गया है। यह भी कहा गया कि आवश्यकतानुसार अग्नि सुरक्षा दस्ते गठित किए गए हैं और आग की घटनाओं के प्रभाव को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया गया है। पीटीआर में, प्रत्येक गांव के लिए ग्रामीणों की एक अलग टीम को अग्निशमन दल के रूप में नियोजित किया जा रहा है, जबकि पालकोट वन्य जीव आश्रयणी में, अग्नि मौसम के दौरान अग्नि पहरेदार को नियोजित किया जाता है।

आवश्यक अग्निशमन दस्ते के गठन के संबंध में विभाग का तर्क आश्वस्त करने वाला नहीं है क्योंकि नमूना जांचित प्रमण्डलों ने अग्निशमन दस्तों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना में निर्धारित अग्नि मौसम से पहले अग्निशमन के लिए नियुक्त कर्मचारियों और ग्रामीणों को प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल भी सुनिश्चित नहीं किया गया था।

2.4.2.4 अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का पुनरुद्धार

राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना, 2018 में अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के लिए उनकी प्राकृतिक रूपरेखा को बहाल करने के लिए एक उचित पुनरुद्धार योजना तैयार करने की परिकल्पना की गई थी। भूमि की नमी धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त मृदा नमी संरक्षण उपायों को अपनाया जाना था और अग्नि प्रभावित क्षेत्र के चारों ओर स्वदेशी वनस्पति अवरोधों का निर्माण किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-23 के दौरान 4,027 हेक्टेयर संरक्षित क्षेत्र आग से प्रभावित हुए थे **(परिशिष्ट 2.15)**। हालाँकि, नमूना जाँचित प्रमण्डलो ने न तो आग से होने वाले नुकसान का आकलन किया था और न ही अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोई पुनरुद्धार योजना तैयार की थी। पुनरुद्धार योजनाओं की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र, मृदा संरक्षण और वृक्षारोपण की चालू योजनाओं के अंतर्गत आते हैं या नहीं। इस प्रकार, नमूना-जांचित प्रमण्डलों ने अग्नि प्रभावित क्षेत्रों की प्राकृतिक रूपरेखा की बहाली सुनिश्चित नहीं की।

विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि वनों की आग की प्रकृति ज्यादातर जमीन/सतह की आग थी, जिससे न्यूनतम नुकसान हुआ। यह भी कहा गया कि अग्नि प्रभावित क्षेत्रों की पुनरुद्धार प्रबंधन योजना में निर्धारित है, और तदनुसार संबंधित संरक्षित क्षेत्र में कार्रवाई की गई थी।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि नमूना जांचित संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन योजना में पुनरुद्धार के उपाय निर्धारित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, अग्नि प्रभावित क्षेत्रों की पुनरुद्धार के लिए 2018-23 के दौरान कार्यान्वित की गई गतिविधियों का साक्ष्य, यदि कोई हो, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

अनुशंसा 10: विभाग अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के लिए वार्षिक अग्नि प्रबंधन योजनाओं और पुनरुद्धार योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित कर सकता है। विभाग अग्निशमन कर्मियों का प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल का आयोजन और अग्निशमन दस्तों के लिए पर्याप्त अग्निशमन किट, संचार उपकरण और अग्निशामक यंत्र प्रदान करना भी सुनिश्चित कर सकता है।

2.4.3 पर्यावास प्रबंधन

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना-2 (2002-16) में कहा गया है कि बढ़ते कृषि, औद्योगिक और जनसांख्यिकीय दबाव के कारण वन्यजीव और जैव-विविधता के भंडार या तो सिकुड़ गए हैं या गायब हो गए हैं। इसलिए, मुख्य प्रबंधन उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों को प्रतिकूल प्रभाव से बचाना और प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा देना होना चाहिए, क्योंकि यह जंगली स्वदेशी वनस्पतियों और जीवों की शाश्वतता या वापसी सुनिश्चित करने का सबसे पक्का तरीका है। आगे, प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए संरक्षण क्षेत्रों और क्षीण पर्यावासों की पहचान की जानी चाहिए और इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबंधन उपाय तैयार किए जाने चाहिए।

2.4.3.1 वन आवरण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि झारखण्ड में वर्ष 2015 में अभिलेखित वन क्षेत्र (आरएफए) 23,605 वर्ग किमी था और वर्ष 2016 में 25,118 वर्ग किमी था। हालांकि, झारखण्ड में आरएफए के अंतर्गत वन **क्षेत्र**[55] 2015 में 51 प्रतिशत और 2021 में 49 प्रतिशत था, जो 2015 में 62 प्रतिशत और 2021 में 67 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत[56] से कम था। 2015 की तुलना में 2021 में आरएफए और वन आवरण में बदलाव **तालिका 2.3** में दिखाया गया है।

तालिका 2.3: झारखण्ड में आरएफए और वन आवरण

(क्षेत्रफल वर्ग किमी में)

श्रेणियां	**आईएसएफआर, 2015**	**आईएसएफआर, 2021**	**2015 से 2021 में बदलाव**
अभिलेखित वन आवरण	23,605	25,118	(+)1,513
कुल वन आवरण	23,478	23,721	(+)243
आरएफए के अंदर वन आवरण	12,149	12,282	(+)133
आरएफए के बाहर वन आवरण	11,329	11,439	(+)110

[55] वृक्षों से आच्छादित भूमि का क्षेत्र, जिसे किसी भी भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें वृक्ष छत्र घनत्व कम से कम 10 प्रतिशत हो तथा क्षेत्रफल एक हेक्टेयर से अधिक हो।

[56] आईएसएफआर 2015 के अनुसार, 4,10,806 वर्ग किमी (केवल 12 राज्यों के लिए) के आरएफए के मुकाबले, आरएफए के अंतर्गत वन क्षेत्र 2,53,373 वर्ग किमी था।

जैसा कि **तालिका 2.3** में दिखाया गया है, 2015 की तुलना में 2021 में झारखण्ड में आरएफए में 1,513 वर्ग किमी की वृद्धि हुई। हालांकि, वन आवरण में केवल 133 वर्ग किमी की वृद्धि हुई, हालांकि विभाग ने कई वानिकी योजनाएं लागू की थीं **(परिशिष्ट 2.6)**।

भूमि उपयोग भूमि कवर (एलयूएलसी) आंकड़े के अनुसार, 4,228.95 वर्ग किमी[57] क्षेत्र को आवृत्त करने वाले 12 संरक्षित क्षेत्र के, 2017 की तुलना में 2021 में संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र में 67.89 वर्ग किमी (2.60 प्रतिशत) की कमी आई है। इसी अवधि के दौरान, इन 12 संरक्षित क्षेत्रों में खुला मैदान में 75.04 वर्ग किमी (13.51 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और निर्मित क्षेत्र में 22.43 वर्ग किमी (22.35 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। पेड़ों से आवृत्त क्षेत्र में अधिकतम कमी गौतम बुद्ध वन्य जीव आश्रयणी (18 प्रतिशत से), लावालौंग वन्य जीव आश्रयणी (9 प्रतिशत से) और पीटीआर (1 प्रतिशत से) में देखी गई। पेड़ों से आवृत्त क्षेत्र में कमी और निर्मित तथा खाली क्षेत्रों में वृद्धि मुख्य रूप से पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्रीय मास्टर प्लान के गैर-कार्यान्वयन **(कंडिका 2.2.6)** और संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अपर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण उपायों **(कंडिकाएँ 2.4.1** और **2.4.2)** के कारण हुई।

इस प्रकार, विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभिन्न वानिकी योजनाओं पर नमूना जांचित प्रमंडलों में ₹ 356.64 करोड़ **(कंडिका 2.3.2)** का व्यय किए जाने के बावजूद, संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत वन आवरण में सुधार नहीं किया जा सका।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि संरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण वाले या अतिक्रमण से मुक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य किए जाते हैं। यह भी कहा गया कि विभाग द्वारा प्रमुख आवास बहाली कार्यों के माध्यम से वन और वृक्ष आवरण में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

निकास सम्मेलन (जुलाई 2024) में, यह कहा गया कि संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत पेड़ों से आवृत्त क्षेत्र में कमी की जांच संबंधित क्षेत्र अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

2.4.3.2 वन्यजीव आबादी

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जंगली जानवरों को छः अनुसूचियों (I से VI) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। झारखण्ड के संरक्षित क्षेत्रों में मुख्य रूप से तेंदुए, भेड़िये, भालू, हिरण, हाथी, सियार, चीतल, सांभर, जंगली सूअर, लकड़बग्घा आदि पाए जाते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि संरक्षित क्षेत्रों में अनुमानित कुल वन्यजीव

[57] इस क्षेत्र में 2,155.76 वर्ग किलोमीटर का अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भीतर 2,073.19 वर्ग किलोमीटर का अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल (रैयती, सरकारी आदि) शामिल है। इस क्षेत्र को आठ श्रेणियों में मैप किया गया था, जैसे कि खाली जमीन, निर्मित क्षेत्र, फसलें, बाढ़ वाली वनस्पति, घास, झाड़ियाँ, पेड़ और पानी।

आबादी 2017-18 में 20,028 से घटकर 2020-21 में 19,882 हो गई है। विभाग ने 2021-22 के दौरान सात[58] संरक्षित क्षेत्र में वार्षिक पशु गणना नहीं की। वन्यजीवों की वर्षवार अनुमानित आबादी **चार्ट 2.5** में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.5: वन्यजीव आबादी

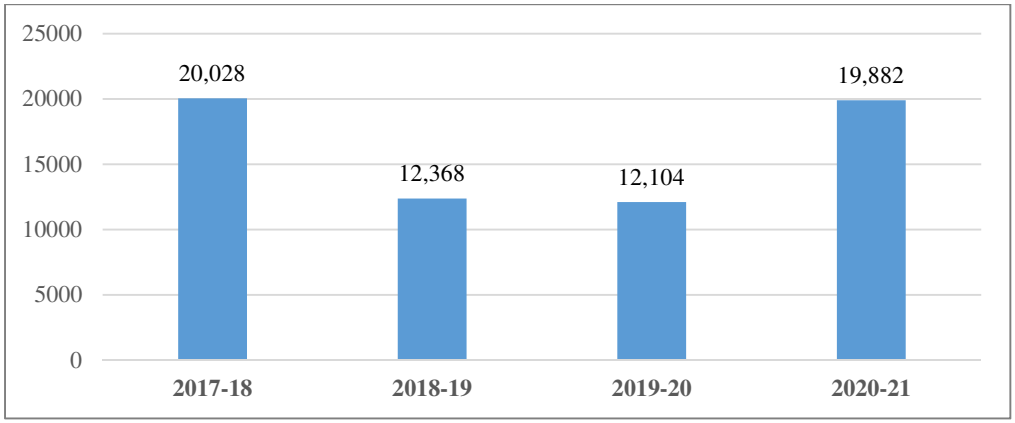

चार्ट 2.5 से देखा जा सकता है कि 2018-19 और 2019-20 के दौरान अनुमानित वन्यजीव आबादी में भारी गिरावट आई है। पिछले वर्ष की आबादी की तुलना में 2018-19 में वन्यजीव आबादी में 38 प्रतिशत (7,660 की कमी) और 2020-21 में 64 प्रतिशत (7,778 की वृद्धि) का व्यापक उतार-चढ़ाव इस बात की संभावना को दर्शाता है कि विभाग ने ट्रांसेक्ट वॉक और वाटरहोल डेटा रिकॉर्डिंग के माध्यम से एकत्र किए गए जनगणना आंकड़ा को मान्य करने के लिए वैज्ञानिक जनगणना तंत्र जैसे कि थर्ड आई निगरानी, स्कैट विश्लेषण, फुटमार्क सर्वेक्षण आदि को नहीं अपनाया था। चार वर्षों (2017-21) के दौरान पालकोट वन्य जीव आश्रयणी **(परिशिष्ट 2.17)** में जंगली जानवरों की संख्या में छः गुना वृद्धि (669 से 4,333) और 2020-21 के दौरान पीटीआर में 25 तेंदुओं की अचानक पहचान, जहां 2017-20 **(परिशिष्ट 2.18)** के दौरान कोई तेंदुआ नहीं देखा गया था, ने भी इंगित किया कि जनगणना वैज्ञानिक रूप से नहीं की जा रही थी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि:

- संरक्षित क्षेत्र में प्रति वर्ग किमी जंगली जानवरों की जनसंख्या घनत्व में दो (लावालौंग वन्य जीव आश्रयणी) और 24 (पालकोट वन्य जीव आश्रयणी) प्रति वर्ग किमी के बीच व्यापक भिन्नता थी **(परिशिष्ट 2.17)**। भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) की प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) प्रतिवेदन 2017-18 ने भी गौतम बुद्ध और लावालौंग वन्य जीव आश्रयणी में बेहद कम वन्यजीव आबादी की ओर इशारा किया। हालाँकि, विभाग संरक्षित क्षेत्रों के अंदर प्राकृतिक आवासों में सुधार नहीं कर सका और वन्यजीव गलियारों को सुरक्षित नहीं कर सका, जैसा कि **कंडिका 2.2.3** में चर्चा की गई है।

[58] हज़ारीबाग़, लावालौंग, कोडरमा, गौतम बुद्ध, तोपचांची, पारसनाथ और पालकोट।

- अनुसूची I से III **(परिशिष्ट 2.18)** में शामिल पांच[59] सामान्य जानवरों की आबादी में परिवर्तन की प्रवृत्तियों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि हिरण (ट्रैगियस मोमिमा), अनुसूची I जानवर; बंदर और लंगूर (अनुसूची II); और लकड़बग्घा और जंगली सूअर (अनुसूची III), की संख्या में काफी कमी आई है, मुख्य रूप से तोपचांची, पारसनाथ, पीटीआर, कोडरमा और गौतम बुद्ध संरक्षित क्षेत्र में।
- 2022 की बाघ जनगणना के अनुसार, राज्य में केवल एक[60] बाघ था, हालांकि राज्य में एक समर्पित बाघ संरक्षण अभयारण्य है, जिस पर 2018-23 के दौरान ₹ 277.70 करोड़ खर्च किए गए थे और जहां 2000 से 2005 के दौरान 34 से 46 बाघों का पता लगाया गया था।

इस प्रकार, झारखण्ड के संरक्षित क्षेत्रों में समग्र वन्यजीव आबादी में पिछले कुछ वर्षों में सुधार नहीं हुआ है, जिसका मुख्य कारण संरक्षित क्षेत्रों पर जैविक दबाव को कम करके जंगली जानवरों के लिए अछूते स्थान का निर्माण न करना, मांसाहारियों के लिए शिकार के आधार की कमी, शाकाहारी जानवरों के लिए अपर्याप्त चारागाह और वन्यजीव जीवों के लिए अनुकूल वातावरण की कमी है।

विभाग ने स्वीकार किया (अगस्त 2024) कि संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव आबादी का घनत्व कम है और कहा कि इसे संबोधित करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों में गहन स्थल-विशिष्ट आवास सुधार कार्य शुरू किए गए हैं। विभाग ने आगे कहा कि संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव आबादी के अनुमान में, जंगली जानवरों की संख्या के साथ-साथ प्रजातियां समय, गिनती के मौसम और जानवरों की गतिविधि के आधार पर भिन्न होती हैं, क्योंकि प्रक्रिया केवल अनुमान है और इसे पूर्ण आंकड़े नहीं माना जा सकता है। पीटीआर में बाघों की उपस्थिति के संबंध में, यह कहा गया कि बीच की अवधि में बाघों की संख्या में गिरावट विभिन्न सुरक्षा मुद्दों और गिनती के तरीके के कारण थी। पीटीआर ने 2024-25 के दौरान चार बाघों की उपस्थिति की सूचना दी है।

वार्षिक आकलन के दौरान वन्यजीवों की संख्या और प्रजातियों में उतार-चढ़ाव के बारे में उत्तर पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने जंगली जानवरों की संख्या में बड़े अंतर या कुछ प्रजातियों के अचानक दिखने के बाद भी जनगणना के आंकड़ों को मान्य करने के लिए अन्य वैज्ञानिक तकनीकों जैसे कि थर्ड आई निगरानी प्रणाली, स्कैट विश्लेषण, पदचिह्न सर्वेक्षण आदि को नहीं अपनाया था।

अनुशंसा 11: विभाग संरक्षित क्षेत्र में वन/वृक्ष आवरण में कमी के कारणों का पता लगाने और उपयुक्त शमन उपायों का सुझाव देने के लिए वानिकी योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन करने पर विचार कर सकता है। संरक्षित क्षेत्र में वन्यजीव आबादी

---

[59] हिरण, लकड़बग्घा, लंगूर, बंदर और जंगली सूअर।

[60] स्कैट डीएनए आधारित जनसंख्या।

के आकलन के लिए वैज्ञानिक जनगणना पद्धति अपनाई जा सकती है और उचित संरक्षण योजना तैयार की जा सकती है।

2.4.3.3 उधवा झील पक्षी आश्रयणी का प्रबंधन

उधवा झील पक्षी आश्रयणी (क्षेत्रफल: 5.65 वर्ग किमी.), अगस्त 1991 में अधिसूचित, दो जल चैनलों[61] से जुड़ी दो[62] झीलों से घिरा हुआ है। झीलें प्रचुर मात्रा में जलीय वनस्पतियों और मछली जीवों का समर्थन करती हैं और पक्षियों के घोंसले बनाने, प्रजनन और बसेरा करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान प्रदान करती हैं। आश्रयणी भारत का एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है जो मध्य एशियाई फ्लाईवे[63] के प्रवासी मार्ग पर स्थित है और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (आईबीए इन राममनी एट अल., 2016) के रूप में भी पहचाना गया है। 2009-18 के दौरान किए गए एक अध्ययन के अनुसार, आश्रयणी में 39 प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों सहित पक्षियों की 146 प्रजातियाँ पाई गईं थी।

उधवा झील पक्षी आश्रयणी की प्रबंधन योजना (2005-06 से 2015-16) (i) जलीय वनस्पतियों और जीवों के लुप्तप्राय, संकटग्रस्त और दुर्लभ तत्वों पर जोर देते हुए जैव-विविधता का संरक्षण करना (ii) गाद और अप्रिय खरपतवार संक्रमण को नियंत्रित करना (iii) झील के पानी के रसायन और इसकी जैविक संरचना का अध्ययन और निगरानी करना (iv) निवासी और प्रवासी पक्षियों के साथ-साथ जलीय वनस्पतियों की चेकलिस्ट को अद्यतन करना और (v) आश्रयणी के आवास सुधार कार्यक्रमों और प्रबंधन के लिए तत्काल कदम उठाना के उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आश्रयणी में पक्षियों की संख्या 2017-18 के दौरान 3,434 से बढ़कर 2018-19 में 3,882 हो गई, लेकिन उसके बाद 2019-20 (3,765) और 2020-21 (3,260) के दौरान घट गई। प्रबंधन योजना (2021-31) के अनुसार, आश्रयणी के अंदर आवश्यक अवसंरचना का निर्माण न होने के कारण पक्षी आश्रयणी का विकास खतरे में पड़ गया था। बरहेल झील, हाथीदह नाला में गाद जमा होने और उधवा नाला में मानसून के बाद पानी के प्रतिकूल प्रवाह के कारण गर्मी के मौसम में सूख जाती है। इसलिए, प्रबंधन योजना ने नालों की गाद निकालने और उन्हें गहरा करने तथा उधवा नाला के मुहाने पर जलद्वार गेट के साथ एक संरचना के निर्माण का प्रस्ताव रखा ताकि पानी के प्रतिकूल प्रवाह को रोका जा सके और पूरे वर्ष झील में एक समान जल स्तर बनाए रखा जा सके। हालांकि, जुलाई 2023 तक संबंधित

---

61 हाथीदह नाला और उधवा नाला।

62 बरहले (410 हेक्टेयर) और पतौरा (155 हेक्टेयर) झीलें।

63 मध्य एशिया में फैला एक प्रमुख प्रवासी मार्ग, जो साइबेरिया और उत्तरी एशिया के आर्कटिक क्षेत्रों से लेकर दक्षिण एशिया तक फैला हुआ है।

प्रमंडल द्वारा गाद निकालने और जलद्वार गेट के साथ एक संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया था।

आगे, भारत सरकार जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण की राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए) के अंतर्गत आर्द्रभूमि[64] के प्रबंधन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रमंडल ने आर्द्रभूमि के सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए रामसर[65] सम्मेलन के अनुसार आश्रयणी को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित करने के लिए विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था (मई 2023)। हालांकि, विभाग ने मार्च 2024 तक आश्रयणी को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित नहीं किया था, यद्यपि यह राष्ट्रीय वेटलैंड एटलस, 2010[66] में दिखाई दिया था। नतीजतन, विभाग ने भारत सरकार से एनपीसीए के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर खो दिया।

विभाग ने 2019-21 के दौरान आश्रयणी में पक्षियों की कम संख्या के पीछे प्रवासी पक्षियों के आगमन में कमी (अगस्त 2024) को कारण बताया। आगे बताया गया कि आश्रयणी को रामसर साइट घोषित करने के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और आश्रयणी को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने के लिए राज्य प्राधिकरण को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। राष्ट्रीय एनपीसीए के अंतर्गत तैयार एकीकृत प्रबंधन योजना (आईप्रबंधन योजना) में संचार, अवसंरचना और अनुसंधान गतिविधि में सुधार के प्रस्ताव को शामिल किया गया है। निकास सम्मेलन (जुलाई 2024) में विभाग ने आश्वासन दिया कि आश्रयणी को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2.4.3.4 पीटीआर का प्रबंधन

बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने झारखण्ड के पीटीआर सहित देश भर के नौ बाघ अभयारण्यों में ब्याघ्र परियोजना की शुरुआत की (अगस्त 1974)। इस योजना का उद्देश्य पूरे बायोटॉप[67]के संरक्षण पर ध्यान देना और मुख्य क्षेत्र से शिकार, चराई, वनों की कटाई और अन्य परेशान करने वाले कारकों को खत्म करने के लिए विशेष उपाय करना है।

---

64 एनपीसीए, 1986 में शुरू हुए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (एनडब्ल्यूसीपी) और 2001 में शुरू हुए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) के विलय के बाद फरवरी 2013 में प्रभावी हुआ।

65 वेटलैंड्स पर कन्वेंशन, एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिस पर यूनेस्को के तत्वावधान में 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। यह 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ। भारत ने सितंबर 1982 में रामसर कन्वेंशन को मंजूरी दी। यह वेटलैंड्स के संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रावधान करता है।

66 अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) और झारखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र द्वारा तैयार किया गया।

67 एक समान पर्यावरणीय स्थिति वाला क्षेत्र, जो पौधों और जानवरों के एक विशिष्ट समूह को रहने का स्थान प्रदान करता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा-38V में बाघ अभयारण्य के उचित प्रबंधन के लिए एक ब्याघ्र संरक्षण योजना (टीसीपी) तैयार करने की परिकल्पना की गई है ताकि अभयारण्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और आवास में प्राकृतिक शिकार-शिकारी पारिस्थितिक चक्र को विकृत किए बिना बाघों की व्यवहार्य आबादी के लिए सह-शिकारियों और शिकार जानवरों के लिए क्षेत्र विशिष्ट आवास इनपुट प्रदान करना है। तदनुसार, पीटीआर की टीसीपी (2013-14 से 2022-23) को एनटीसीए द्वारा अनुमोदित किया गया (नवंबर 2015)। टीसीपी ने बाघ और उसके शिकार की सुरक्षा और प्रबंधन, मानवजनित दबाव में कमी और अछूते आवासों के निर्माण के लिए एक ठोस और वैज्ञानिक सूचना आधार स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। टीसीपी का उद्देश्य बाघों, सह-शिकारियों और आहार की घटती आबादी की प्रवृत्ति को उलटना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2000 से 2005 के बीच पीटीआर में 34 से 46 बाघ थे। हालांकि, उसके बाद पीटीआर में बाघों की संख्या[68] में लगातार कमी होती गई और 2022 में केवल एक बाघ पाया गया, जबकि तुलनात्मक रूप से पूरे भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई, जो 2006 में 1,411 से बढ़कर 2022 में 3,682 हो गई। इसी तरह, पीटीआर में अनुमानित आहार उपलब्धता 2012-13 में 85,666 से घटकर 2022-23 में 4,411 हो गया, जो पीटीआर में बाघों की संख्या में कमी के पीछे प्रमुख कारणों में से एक था। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने और 2018-23 के दौरान पीटीआर के संरक्षण पर ₹ 277.70 करोड़ (प्रशासनिक व्यय सहित) खर्च करने के बावजूद पीटीआर में बाघों की आबादी विलुप्त होने के कगार पर है।

लेखापरीक्षा के दौरान पीटीआर के संरक्षण और सुरक्षा में पाई गई प्रमुख कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (धारा 4) के साथ पठित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम ,1972 (धारा 38V), वन्यजीव संरक्षण के लिए अछूते क्षेत्रों के निर्माण के उद्देश्य के लिए वन अधिकार धारकों को परस्पर सहमत शर्तों पर मुख्य या महत्वपूर्ण आवासों से स्वैच्छिक पुनर्वास की परिकल्पना करता है।

लेखापरीक्षा ने टीसीपी (2013-23) से देखा कि मुख्य/महत्वपूर्ण ब्याघ्र पर्यावास के अंदर आठ[69] गांव थे, जो पीटीआर पर अलग-अलग मात्रा में जैविक दबाव डाल रहे थे। भारत सरकार ने आठ गांवों में से दो (लाटू और कुजरुम) के लिए पुनर्वास

---

[68] भारत में बाघों, सह-शिकारियों और शिकार की स्थिति रिपोर्ट, 2022 (एनटीसीए द्वारा प्रकाशित): 2006 (भारत: 1,411 और झारखण्ड: 0), 2010 (भारत: 1,706 और झारखण्ड: 10), 2014 (भारत: 2,226 और झारखण्ड: 3), 2018 (भारत: 2,967 और झारखण्ड: 5) और 2022 (भारत: 3,682 और झारखण्ड: 1)।

[69] लाटू, कुजरूम, रामनदाग, बिजयपुर, गोपखांर, घुटुवा, पांड्रा और हेनार।

योजना को मंजूरी दी थी (दिसंबर 2019) और प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए राज्य को अपना हिस्सा ₹ 12.60 करोड़ विमुक्त किया था (दिसंबर 2019)। विभाग ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए पीटीआर, दक्षिणी प्रमंडल को ₹ 21 करोड़ (राज्य के हिस्से के साथ) विमुक्त किए (मार्च 2021)। इसके अतिरिक्त, कैम्पा के तहत 2020-21 में पुनर्वास के लिए पांच करोड़ रुपये विमुक्त किए गए। विभाग ने ₹ 26 करोड़ की पूरी राशि पीटीसीएफ के बैंक खाते में रखने के निर्देश भी निर्गत किए थे (मार्च 2021)। यह पाया गया कि ₹ 27.56 करोड़[70] की उपलब्ध निधि में से, प्रमंडल ने गांवों की पारिस्थितिकी विकास समितियों (ईडीसी) और उप निदेशक, पीटीआर के संयुक्त बैंक खातों में ₹ 3.60 करोड़ हस्तांतरित कर दिए थे। हालांकि, पीटीसीएफ ने निधि के हस्तांतरण और इसके उपयोग से संबंधित अभिलेख नहीं रखा। सितंबर 2023 तक पीटीसीएफ के बैंक खाते में ₹ 23.96 करोड़ की शेष राशि पड़ी हुई थी। इसके अलावा, शेष छः गांवों का पुनर्वास प्रस्ताव सितंबर 2023 तक भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इसके अलावा, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना (मंडल बांध) के प्रभाव के शमन के लिए स्थल विशिष्ट वन्यजीव प्रबंधन योजना के अनुसार, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा पीटीआर का मुख्य क्षेत्र 414.08 वर्ग किमी से बढ़ाकर 545.59 वर्ग किमी कर दिया गया (मई 2022)। विस्तारित मुख्य क्षेत्र में 26 अतिरिक्त गांव शामिल हैं, जिनके लिए सर्वेक्षण और पुनर्वास प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए थे (सितंबर 2023)। इस प्रकार, विभाग ने पीटीआर के मुख्य महत्वपूर्ण आवास के भीतर स्थित गांवों का समय पर पुनर्वास सुनिश्चित नहीं किया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि गांवों का पुनर्वास खासकर एक आदिवासी बहुल राज्य में इसकी भूमि और सांस्कृतिक गतिशीलता के साथ स्वैच्छिक प्रकृति का है और एक जटिल सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि तीन गांवों का पुनर्वास अंतिम चरण में है, जबकि शेष पांच गावों के लिए पुनर्वास प्रक्रियाधीन है।

- एनटीसीए ने जनवरी 2023 में पीटीआर में अग्नि लेखापरीक्षा करने के लिए वन फायर ऑडिट प्रोटोकॉल निर्गत किया था (मई 2022), ताकि आग की रोकथाम, तैयारी, पहचान, दमन और आग के बाद प्रबंधन के लिए संकेतक स्थापित किए जा सकें। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एफएसआई ने 2017 से 2022 तक पीटीआर में 4,664 वन अग्नि बिंदुओं के बारे में अलर्ट भेजे थे, जिससे 2,405.86 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था। हालांकि, जुलाई 2023 तक पीटीआर में फायर ऑडिट नहीं किया गया था। फायर ऑडिट के अभाव में, पीटीआर आग से पर्यावास की रक्षा और प्रभावित क्षेत्रों की बहाली के लिए एक विशिष्ट योजना तैयार नहीं कर सका।

[70] इसमें अगस्त 2023 तक अर्जित ₹ 1.56 करोड़ का ब्याज भी शामिल है।

- MSTrIPES (बाघों के लिए निगरानी प्रणाली: गहन संरक्षण और पारिस्थितिक स्थिति), एनटीसीए की एक ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रणाली तीन मॉड्यूल (गश्ती, पारिस्थितिक और संघर्ष) का उपयोग करते हुए, गश्ती ट्रैक लॉग, जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ अपराध स्थल, गश्ती दलों के अवलोकन, मांसाहारी और बड़े खुर वाले[71] जानवरों का कब्ज़ा, संरक्षित क्षेत्रों पर मानवजनित प्रभाव और मनुष्यों/पशुधन/फसल/संपत्ति पर जंगली जानवरों के हमलों का स्थानिक डेटाबेस बनाए रखने के लिए करती है। एप्लिकेशन का फोन ऐप बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में प्रीलोडेड बेस मैप के माध्यम से घटनाओं के वास्तविक समय के दृश्य की अनुमति देता है। वन्यजीव संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए डेटाबेस का विश्लेषण किया जाता है।

अक्टूबर 2020 से पीटीआर द्वारा बनाए गए MSTrIPES डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला है कि गश्त से संबंधित डेटा जैसे गश्ती आईडी, रेंज, बीट, गश्त का विवरण (व्यक्ति, प्रकार, कार्यप्रणाली, दिनांक और देशांतर व अक्षांश के साथ दूरी) डेटाबेस में दर्ज किया जा रहा था। हालाँकि, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दर्शन के क्षेत्र, जल संसाधन, पशु मृत्यु दर, मानव प्रभाव और साइट फ़ोटोग्राफ़ से संबंधित आंकड़े फ़ील्ड डेटाबेस में संधारित नहीं किए जा रहे थे। इन सूचनाओं के अभाव में, अपराधों की स्थिति, मांसाहारी और बड़े खुर वाले जानवरों का कब्ज़ा, संरक्षित क्षेत्र पर मानवजनित प्रभाव, जंगली जानवरों के हमले और फसल/संपत्ति के नुकसान का विश्लेषण MSTrIPES से नहीं किया जा सका, ताकि पीटीआर की प्रबंधन आवश्यकताओं को तैयार किया जा सके। इस प्रकार, पीटीआर प्रबंधन ने आवास की सुरक्षा, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और पीटीआर के प्रभावी प्रबंधन के लिए शिकारियों और शिकार की आबादी की बहाली के लिए आवश्यक आंकड़े को संधारित करने के लिए MSTrIPES का कुशल उपयोग सुनिश्चित नहीं किया।

विभाग ने MSTrIPES पर आंकड़े संधारित करने में विभिन्न लॉजिस्टिक और तकनीकी चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराया (अगस्त 2024) और कहा कि पीटीआर प्रबंधन मानवबल के कौशल में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। आगे कहा गया कि जनशक्ति के क्षमता निर्माण के लिए एनटीसीए टीम को भी शामिल किया गया है और भविष्य में MSTrIPES का अधिक व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

- लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एनटीसीए की एक समिति ने (नवंबर 2021) पीटीआर में विभिन्न कमियों को देखा था, जैसे प्रभावी अछूते क्षेत्र की अनुपस्थिति, बहुत कम शिकार आधार, अत्यधिक खंडित जंगल, छोटे और खरपतवार से ग्रस्त घास के मैदान आदि, जिन्हें पीटीआर में खुर वाले जानवरों की आबादी को बनाए रखने और बाघों की आबादी को बहाल करने के लिए हल

[71] एक खुरधारी शाकाहारी, चौपाया स्तनपायी जैसे सूअर, गाय, हिरण, घोड़े, हाथी, गैंडा आदि।

किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार, पीटीआर की वर्तमान प्रबंधन व्यवस्था अभयारण्य में बाघों की आबादी का समर्थन करने के लिए प्रभावी नहीं थीं।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि एनटीसीए समिति के सुझावों को नए टीसीपी (2023-33) में शामिल किया गया है जिसे एनटीसीए द्वारा अनुमोदित किया गया है (अप्रैल 2024)। डब्ल्यूआईआई द्वारा नवीनतम शिकार आधार अध्ययन ने पीटीआर में 18 से अधिक बाघों की वहन क्षमता का अनुमान लगाया है। पीटीआर के त्वरित पुनरुद्धार के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं और अगले पांच से दस वर्षों में महत्वपूर्ण पुनरुद्धार होगा। विभाग ने निकास सम्मेलन (जुलाई 2024) में यह भी कहा कि शिकार आधार को बढ़ाने के लिए पीटीआर के आवास को बेहतर बनाने और शाकाहारी जानवरों के स्थानांतरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुशंसा 12: विभाग बाघों के लिए एक प्रभावी अछूता क्षेत्र बनाने के लिए मुख्य क्षेत्र में स्थित गांवों के स्वैच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है। एमएसट्रिप्स अनुप्रयोग का उपयोग आवास की सुरक्षा, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने तथा शिकारियों और शिकार की आबादी की बहाली के लिए आवश्यक आंकड़े एकत्र करने के लिए भी किया जा सकता है।

2.4.4 पशु स्वास्थ्य निगरानी

एनडब्ल्यूएपी-3 (2017-31) के अनुसार, वन्यजीव पर्यावास विखंडन और भूमि उपयोग स्वरुप में परिवर्तन जंगली जानवरों को मनुष्यों के साथ लगातार संपर्क में आने के लिए मजबूर करता है, और इस तरह वन्यजीव स्वास्थ्य वन्यजीव प्रबंधकों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। संरक्षित क्षेत्रों के एम पी ने जंगली जानवरों के बीच संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए संरक्षित क्षेत्रों में या उसके आसपास रहने वाले जंगली जानवरों के उपचार/पुनर्वास और पालतू जानवरों के टीकाकरण का भी प्रस्ताव रखा। इसने वन्यजीव कीटों और बीमारियों का उचित दस्तावेजीकरण, जंगली जानवरों के लिए बचाव/पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और संरक्षित क्षेत्रों में एक पशु चिकित्सक की स्थायी तैनाती का सुझाव दिया।

2.4.4.1 वन्यजीवों का स्वास्थ्य प्रबंधन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-23 के दौरान विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में अवैध शिकार (09), सड़क/रेल दुर्घटनाएं (18), बिजली का झटका (02), प्राकृतिक मृत्यु/मृत जन्म (08), बीमारी (05), आपसी झगड़े (04), कुत्तों के काटने (04) और अन्य कारणों (08) से कुल 58 जंगली जानवरों की मौत हुई **(परिशिष्ट 2.19)**।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि रांची के चिड़ियाघर (बिरसा प्राणी उद्यान) को छोड़कर राज्य में जंगली जानवरों के लिए कोई पशु चिकित्सालय नहीं था। 12

संरक्षित क्षेत्रों में से चार[72] में जंगली जानवरों के लिए चार बचाव और पुनर्वास केंद्र-सह-बाड़े थे। पीटीआर में एक पशु चिकित्सा देखभाल इकाई थी, लेकिन बचाए गए जंगली जानवरों के पुनर्वास के लिए कोई बाड़ा नहीं था। इसके अलावा, किसी भी संरक्षित क्षेत्र में कोई स्थायी पशु चिकित्सक तैनात नहीं था। लेखापरीक्षा ने दलमा वन्य जीव आश्रयणी और हजारीबाग वन्य जीव आश्रयणी में बचाव और पुनर्वास केंद्रों में निम्नलिखित भी देखा।

- अगस्त 2023 तक मकुलाकोचा हिरण बचाव केंद्र में 116 हिरण थे। यद्यपि 2018-23 के दौरान भोजन और दवाओं पर ₹ 1.45 करोड़ खर्च किए गए थे, लेकिन बचाए गए हिरणों की संख्या, उनके बचाव के कारणों और बचाव केंद्र में दवा/रहने की अवधि के बारे में कोई आंकड़ा नहीं रखा गया था। इसके अलावा, 2018-23 के दौरान किसी भी हिरण को उनके प्राकृतिक आवास में नहीं छोड़ा गया और उनका पुनर्वास नहीं किया गया।
- यद्यपि हजारीबाग वन्य जीव आश्रयणी में उसी प्रकार केंद्र था, लेकिन प्रमंडल ने 2018-23 के दौरान भोजन और चिकित्सा देखभाल पर ₹ 4.30 लाख खर्च करने के बावजूद बचाए गए जानवरों और उनकी रिहाई का आंकड़ा नहीं रखा था। क्षेत्र भ्रमण के दौरान, बचाव केंद्र के अंदर स्वास्थ्य केंद्र की अनुपस्थिति में एक क्षतिग्रस्त कर्मचारी निवास में अस्थायी तौर पर एक हिरण के बच्चे की देखभाल की जा रही थी, जैसा कि **चित्र 2.5 और 2.6** में दिखाया गया है।

चित्र 2.5

चित्र 2.6

बचाए गए हिरण के बच्चे का अस्थायी व्यवस्था में इलाज किया जा रहा है (19 अगस्त 2023)

- इस प्रकार, विभाग ने जंगली जानवरों के बचाव और पुनर्वास के लिए स्थायी पशु चिकित्सकों और अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाओं के साथ सभी संरक्षित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित नहीं की। इसके अलावा, मौजूदा केंद्रों का उपयोग बचाए गए जानवरों को इलाज के बाद उनके

[72] दलमा वन्यजीव आश्रयणी, हज़ारीबाग़ वन्यजीव आश्रयणी, कोडरमा वन्यजीव आश्रयणी और उधवा झील पक्षी आश्रयणी।

प्राकृतिक आवास में छोड़ने के बजाय लंबे समय तक रखने के लिए किया गया था।

जवाब में, विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि बचाव केंद्रों में रखे गए जानवर ज्यादातर घायल हैं या गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और जंगल में छोड़े जाने के लायक नहीं हैं। विभाग ने झारखण्ड के संरक्षित क्षेत्रों में नियमित प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों की तैनाती नहीं होने को स्वीकार किया और कहा कि वन विभाग ने पशुपालन विभाग (एएचडी) के 10 पशु चिकित्सकों का चयन करने की पहल की है और उन सभी को उन्नत प्रशिक्षण के लिए भेजा है।

2.4.4.2 घरेलू मवेशियों का स्वास्थ्य प्रबंधन

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 33ए (I) के अनुसार, मुख्य वन्यजीव वार्डन को आश्रयणी के पांच किलोमीटर क्षेत्र में या उसके भीतर रहने वाले पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण के उपाय करने होते हैं। कोई भी व्यक्ति टीकाकरण करवाए बिना आश्रयणी में किसी भी मवेशी को ले नहीं जा सकता, ले जाने का कारण नहीं बन सकता, या चरा नहीं सकता। एम पी के अनुसार, आश्रयणीयों पर मवेशियों के चराई का दबाव है क्योंकि स्थानीय लोग ज्यादातर भूमिहीन या सीमांत किसान हैं और मवेशियों के पालन के लिए अपने स्तर पर चारा उत्पन्न नहीं कर सकते और इसलिए आस-पास के जंगलों का इस्तेमाल मवेशियों के चरने के लिए किया जाता है। तदनुसार, एम पी ने जंगली जानवरों के बीच संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए गांव के मवेशियों का नियमित टीकाकरण करने के लिए पशुधन का विस्तृत सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव रखा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच[73] संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजना के पास संरक्षित क्षेत्र पर निर्भर पशुधन के आंकड़े नहीं था। शेष सात संरक्षित क्षेत्रों में, पीटीआर सहित, उनके प्रबंधन योजनाओं के अनुसार लगभग 3.39 लाख मवेशियों का चारागाह दबाव था। हालाँकि, नमूना जांचित प्रमंडल 2018-23 के दौरान ₹ 48.08 लाख की उपलब्ध निधि के मुकाबले 10 संरक्षित क्षेत्रों में मवेशी स्वास्थ्य/टीकाकरण शिविरों पर केवल ₹ 36.82 लाख का उपयोग कर सके **(परिशिष्ट 2.20)**। लेखापरीक्षा ने स्वास्थ्य देखभाल/टीकाकरण में कमियों को देखा, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

- ₹ 3.20 लाख की उपलब्धता के बावजूद 2018-23 के दौरान दो संरक्षित क्षेत्रों[74] में टीकाकरण कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी।
- तीन आश्रयणीयों (हजारीबाग, पारसनाथ और तोपचांची) में मवेशियों के चरने के प्रभाव पर अध्ययन के लिए 2020-21 में विमुक्त ₹ 90,000 का उपयोग नहीं किया जा सका।

---

[73] गौतम बुद्ध, कोडरमा, लावालौंग, तोपचांची और उधवा।

[74] पारसनाथ और तोपचांची डब्लूएलएस।

- नमूना जांचित प्रमंडलों ने निधि की उपलब्धता के बावजूद 2018-23 के दौरान तीन[75] संरक्षित क्षेत्रों में मवेशियों के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं की।
- नमूना जांचित प्रमंडलों (पीटीआर, दक्षिणी को छोड़कर) ने प्रतिरक्षित मवेशियों का आंकड़े संकलित नहीं किया। इसके अलावा, प्रमंडलों ने कभी भी जंगली जानवरों पर संचारी रोगों के प्रभाव का सर्वेक्षण नहीं किया।

इस प्रकार, संरक्षित क्षेत्रों ने जंगली जानवरों के बीच संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले घरेलू मवेशियों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित नहीं किया।

विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के मवेशियों का टीकाकरण वन विभाग के साथ-साथ पशुपालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। संरक्षित क्षेत्र प्रशासन ने पशुपालन विभाग के साथ मिलकर घरेलू मवेशियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है।

उत्तर पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जांचित प्रमंडलों ने संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले टीकाकृत मवेशियों का डेटाबेस नहीं रखा था।

अनुशंसा 13: विभाग बचाव केंद्रों से उपचारित पशुओं को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की व्यवस्था कर सकता है। यह संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास के पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण सुनिश्चित कर सकता है और उसका दस्तावेजीकरण भी कर सकता है।

2.4.5 मानव-पशु सह-अस्तित्व

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-16) में परिकल्पना की गई है कि पारंपरिक रूप से प्राकृतिक बायोमास पर निर्भर स्थानीय समुदायों को ऐसे संसाधनों पर पहला अधिकार होना चाहिए। मानव-पशु संघर्ष वन्यजीव आवासों के सिकुड़ने, विखंडन और ह्रास का परिणाम है और जंगली जानवरों और संरक्षित क्षेत्रों के खिलाफ दुश्मनी पैदा करता है।

2.4.5.1 मानव-वन्यजीव संघर्ष

एनडब्ल्यूएपी-3 (2017-31) के अनुसार, मानव-वन्यजीव संघर्ष (एचडब्ल्यूसी) फसलों, पशुधन, संपत्ति और मानव जीवन को नुकसान पहुंचाता है। वन्यजीव पर्यावासों के नुकसान से जंगली जानवरों के अपने प्राकृतिक आवास से बाहर निकलने से कृषि और लोगों से टकराने की संभावना बढ़ जाती है। एनडब्ल्यूएपी ने स्थानीय समुदायों के साथ सार्थक जुड़ाव और भागीदारी के आधार पर पी ए द्वारा किए जाने वाले

[75] हजारीबाग में 2020-22 के दौरान, दलमा में 2021-22 के दौरान और पालकोट में 2018-23 के दौरान।

संघर्ष उन्मूलन उपायों का सुझाव दिया। इसके अलावा, एचडब्ल्यूसी स्थितियों को संबोधित करने के लिए एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित कार्यबल का गठन करना, जागरूकता कार्यक्रमों को लागू करना और एचडब्ल्यूसी पर प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करना भी रेखांकित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार संरक्षित क्षेत्रों के वर्तमान प्रबंधन योजना[76] ने संरक्षित क्षेत्रों में पिछले एचडब्ल्यूसी का कोई विश्लेषण नहीं किया और न ही उन्होंने शमन कार्यक्रम शुरू किए। महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी के प्रबंधन योजना (2016-26) में एचडब्ल्यूसी को एक गंभीर मुद्दा नहीं माना गया था, हालांकि 2012-18 के दौरान वन्य जीव आश्रयणी में एचडब्ल्यूसी के मामलों की एक बड़ी संख्या (मवेशी मृत्यु: 92, मानव मृत्यु: 05 और मानव चोट: 21) थी। दलमा, पालकोट और पीटीआर के एम पी ने हाथियों के गलियारे/प्रवासी मार्ग के विखंडन और हाथियों को आकर्षित करने वाले संरक्षित क्षेत्रों में धान की फसल की खेती के कारण संरक्षित क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी के एक प्रमुख घटक के रूप में मानव-हाथी संघर्ष पर प्रकाश डाला।

2018-23 के दौरान राज्य और संरक्षित क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी मामलों का विवरण **तालिका 2.4** में दिखाया गया है।

तालिका 2.4 2018-23 के दौरान राज्य और संरक्षित क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी मामलों का विवरण

क्रम सं.	एचडब्ल्यूसी का प्रभाव	राज्य में मामलों की संख्या		संरक्षित क्षेत्र में मामलों की संख्या	
		2018-19	2019-23	2018-19	2019-23
1	फसल क्षति	8,864	33,221	675	2,142
2	खाद्य अनाज क्षति		4,992		81
3	संपत्ति क्षति		7,872		163
4	मवेशी मृत्यु		782		552
5	मानव मृत्यु	87	388	3	22
6	मानव आघात	178	718	33	82
कुल		**9,129**	**47,973**	**711**	**3,042**

तालिका 2.4 से देखा जा सकता है कि राज्य में 2018-23 के दौरान एचडब्ल्यूसी के मामलों में फसल/खाद्यान्न/संपत्ति की क्षति एक बड़ा हिस्सा रहा। ये नुकसान मुख्य रूप से मानव-हाथी संघर्ष के कारण हुए। इसके अलावा, मवेशियों की हत्या संरक्षित क्षेत्रों में शिकारियों के लिए जंगली शिकार आधार की कमी के कारण हुई।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजना में एचडब्ल्यूसी का विस्तृत अध्ययन, हाथी रोधी खाइयां खोदने, रणनीतिक स्थानों पर सौर बाड़ लगाने,

[76] गौतम बुद्ध (2021-31), कोडरमा (2021-31), लावालौंग (2021-31) और पारसनाथ (2020-30)।

पटाखों और रोशनी के साथ प्रतिरक्षक टीमों के गठन और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी संघर्ष क्षेत्रों में रसदार फलों के बागान लगाने के प्रस्ताव शामिल थे। संरक्षित क्षेत्रों में चराई के दौरान शिकारियों द्वारा मवेशियों की हत्या से बचने के लिए ग्रामीणों को मवेशियों को स्टॉल पर खिलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था। अन्य शमन उपायों के तहत एचडब्ल्यूसी से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी सुझाए गए थे। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने 12 संरक्षित क्षेत्रों (पीए) में एचडब्ल्यूसी से निपटने में निम्नलिखित कमियाँ देखीं।

- नमूना जांचित प्रमंडलों ने पीए में उपयुक्त शमन उपायों को अपनाने के लिए एचडब्ल्यूसी का क्षेत्र और प्रजाति-वार अध्ययन नहीं किया।
- मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए, पी ए मुख्य रूप से हाथियों को मानव बस्तियों से दूर रखने के लिए एंटी-डिप्रेडेशन टीमों और ग्रामीणों को पटाखे, मशालें, जूट के बैग, इस्तेमाल किए गए मोबिल ऑयल और तार के वितरण पर निर्भर थे। स्थानीय समुदाय को हाथियों की आवाजाही के बारे में बताने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए थे। हालाँकि, 2018-23 के दौरान हाथी रोधी खाइयाँ खोदना, सौर बाड़ लगाना, एचडब्ल्यूसी से संबंधित प्रशिक्षण और रसदार पौधे लगाना जैसे अन्य उपाय नगण्य थे।
- एनडब्ल्यूएपी के अनुसार, प्रकृति, मानव और जंगली जानवरों के बीच संबंधों के बारे में शिक्षा के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने और वन्यजीव संरक्षण के लिए सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक व्याख्या केंद्र (एनआईसी) बनाए जाने थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 में से छः[77] पी ए में एनआईसी नहीं थे। हालांकि पीटीआर, हजारीबाग वन्य जीव आश्रयणी और उधवा झील पक्षी आश्रयणी के एनआईसी कार्यशील थे, लेकिन उनमें की गई गतिविधियों को संबंधित प्रमंडलों द्वारा दस्तावेजित नहीं किया गया था ताकि यह आश्वासन मिल सके कि पर्याप्त जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, दलमा वन्य जीव आश्रयणी में, पुनर्निर्मित एनआईसी, जिसमें प्रकाश और ध्वनि शो, जंगली जानवरों के 3 डी मॉडल, पृष्ठभूमि पेंटिंग, विशेष ध्वनि प्रभाव, निगरानी बिंदु आदि की सुविधाओं, को 2017-22 के दौरान ₹ 4.31 करोड़ खर्च करने के बावजूद, अगस्त 2023 तक कार्यशील नहीं बनाया जा सका। तैयार की गई सुविधाओं की देखभाल के लिए कोई कुशल मानवबल भी तैनात नहीं की गई थी।

- राज्य वन्यजीव बोर्ड (एसबीडब्ल्यूएल) ने विभाग को पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीव संरक्षण पर स्कूली छात्रों को शिक्षित करना शुरू करने का निर्देश दिया (फरवरी 2022)। इसके लिए, प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र को वृत्तचित्रों और फिल्मों के माध्यम से संबंधित मुद्दों के प्रचार के लिए एक बहुउद्देश्यीय वाहन उपलब्ध कराया

[77] गौतम बुद्ध, लावालौंग, महुआडांड़, पालकोट, पारसनाथ और तोपचांची।

जाना था। स्थानीय स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के लिए मानदेय के आधार पर संसाधन संपन्न व्यक्तियों, अधिमानतः पारिस्थितिकी, वनस्पति विज्ञान और प्राणीशास्त्र में स्थानीय स्नातकों को तैनात किया जाना था। हालाँकि, जुलाई 2023 तक किसी भी प्रमण्डल ने एसबीडब्ल्यूएल के निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया।

इस प्रकार, नमूना जांचित प्रमंडलों ने उपयुक्त शमन उपायों को विकसित करने के लिए एचडब्ल्यूसी का आवश्यक विश्लेषण नहीं किया। उन्होंने एचडब्ल्यूसी को कम करने के लिए जनता के बीच पर्याप्त बाड़/खाइयां और जागरूकता कार्यक्रम भी सुनिश्चित नहीं किए।

विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि संरक्षित क्षेत्रों में मवेशियों का शिकार/मृत्यु के लिए न केवल कम शिकार आधार बल्कि संरक्षित क्षेत्रों में आवारा मवेशियों की आबादी को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एचडब्ल्यूसी के शमन के लिए, कई कदम जैसे, हाथी ट्रैकिंग मोबाइल एप्लिकेशन का विकास, दैनिक आधार पर जनता को रेडियो (एफएम) अलर्ट, पी ए में त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (क्यूआरटी) की नियुक्ति, हाथियों को डराने के लिए पटाखे/केरोसिन तेल/ड्रम का वितरण आदि शुरू किए गए हैं, इसके अलावा सभी प्रमंडलों को भारत सरकार की एसओपी के बारे में बताया गया है। आगे कहा गया कि कार्यशील एनआईसी में स्कूली बच्चे और जनता अक्सर आते हैं तथा नया एनआईसी के लिये प्रस्ताव 2023-24 में कैम्पा में रखा गया। यह भी बताया गया कि संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन स्थानीय स्कूली बच्चों और जनता के साथ जागरूकता सृजन गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल है।

मवेशियों की हत्या के बारे में जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टीसीपी (2023-33) खुद संकेत देता है कि शिकार का आधार बेहद कम है। इसके अलावा, विभाग ग्रामीणों को अपने मवेशियों को स्टॉल पर खिलाने के लिए जागरूक या प्रोत्साहित भी नहीं कर सका। एचडब्ल्यूसी को कम करने के लिए प्रमण्डलों द्वारा भारत सरकार के एसओपी का भी पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, विभाग ने जागरूकता फैलाने के लिए सभी संरक्षित क्षेत्रों में एनआईसी का निर्माण सुनिश्चित नहीं किया।

अनुशंसा 14: विभाग संरक्षित क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी से प्रभावी ढंग से निपटने और उपयुक्त शमन उपायों को अपनाने के लिए एक एसओपी तैयार कर सकता है।

2.4.6 पारिस्थितिकी-पर्यटन

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना-2 (2002-16) में विनियमित और कम प्रभाव वाले पर्यटन को वन्यजीव संरक्षण के लिए जन समर्थन प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य केवल जंगली जानवरों को दिखाने के बजाय जनता में प्रकृति के प्रति शिक्षा और सम्मान पैदा करना है। पारिस्थितिकी-पर्यटन को भी इस तरह विकसित किया जाना चाहिए कि रोजगार के

अवसरों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को इसमें शामिल किया जा सके और उन्हें लाभ मिल सके।

2.4.6.1 पारिस्थितिकी-पर्यटन की योजना

झारखण्ड पारिस्थितिकी-पर्यटन नीति, 2015 में पारिस्थितिकी-पर्यटन को उस क्षेत्र की वहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक क्षेत्रों में जिम्मेदारीपूर्ण भ्रमण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार की पारिस्थितिकी-पर्यटन नीति (सितंबर 2018) में पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना पर जोर दिया गया है, जिसमें चिन्हित स्थान, यात्रा के मार्ग, अनुमत गतिविधियां, भ्रमण का समय और साधन तथा पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधियों की देखरेख के लिए डीएफओ की अध्यक्षता में एक स्थानीय स्तर की समिति (एलएलसी)[78] का गठन शामिल है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12[79] में से 10 संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन योजना ने पर्यावरण अनुकूल पर्यटन अवसंरचना[80] के विकास तथा आतिथ्य, संस्कृति और प्राकृतिक विरासत, व्याख्या और संचार कौशल के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 145.39 वर्ग किलोमीटर पर्यावरण पर्यटन क्षेत्रों की पहचान की थी। हालांकि, नमूना-जांचित प्रमंडलों ने किसी भी संरक्षित क्षेत्र, जिनमें पारिस्थितिकी-पर्यटन क्षेत्रों की पहचान की गई हो, के लिए विशिष्ट पारिस्थितिकी-पर्यटन योजनाएं तैयार नहीं की थीं।

95.34 वर्ग किलोमीटर के पारिस्थितिकी-पर्यटन जोन वाले चार[81] संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-पर्यटन अवसंरचना का निर्माण नहीं किया जा सका, क्योंकि संबंधित प्रमंडलों ने जुलाई 2023 तक विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। आगे, यद्यपि 2018-23 के दौरान शेष छः[82] संरक्षित क्षेत्र में पारिस्थितिकी-पर्यटन प्रचलन में था, लेकिन संरक्षित क्षेत्र की वहन क्षमता, अनुमेय गतिविधियां और निर्माण, भ्रमण के स्थान, भ्रमण मार्ग, भ्रमण के साधन आदि को रेखांकित करने वाली कोई पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना तैयार नहीं की गई थी। किसी भी संरक्षित क्षेत्र में चल रही पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधियों की निगरानी के लिए एलएलसी का गठन नहीं किया गया था। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौशल विकास के माध्यम से

---

78 पर्यटन विभाग, स्थानीय पंचायत, स्थानीय समुदायों और वन्यजीव विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ।

79 महुआडांड़ भेड़िया अभ्यारण्य में कोई पर्यटन क्षेत्र नहीं है और तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रबंधन योजना अभी तक तैयार नहीं थे।

80 जैसे कैम्पिंग सुविधाएं, आराम करने के स्थान, प्रकृति व्याख्यान केंद्र, सफारी वाहन, वॉच टावर आदि।

81 गौतम बुद्ध: 18.90 वर्ग किमी., कोडरमा: 26.62 वर्ग किमी., लावालौंग: 24.31 वर्ग किमी. और पालकोट: 25.51 वर्ग किमी.

82 बेतला, दलमा, हजारीबाग, पलामू, पारसनाथ और उधवा।

पारिस्थितिकी-पर्यटन में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी प्रमंडलों द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई थी।

पीटीआर के मामले में, यह पाया गया कि वहां कोई अनुमोदित पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना नहीं थी और मार्गदर्शिका के अनुसार एनटीसीए की पूर्व स्वीकृति के बिना बेतला में पर्यटन अवसंरचना के निर्माण पर ₹ 21.20 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

इस प्रकार, चिन्हित पर्यटन क्षेत्रों वाले चार संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधियां सुनिश्चित नहीं की गईं। अन्य छः संरक्षित क्षेत्रों में, इसे किसी भी पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना के अनुरूप व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया, जिसके कारण संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि आगे के कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

निकास सम्मेलन (जुलाई 2024) में कहा गया कि स्थानीय लोगों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद उन्हें पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधियों में शामिल किया जाएगा।

2.4.6.2 पीटीआर में वाहनों का परिचालन

एनटीसीए के मार्गदर्शिका (धारा 2.2.4 (v) और 2.3.3) के अनुसार, पर्यटन योजना में बाघ अभयारण्य के प्रबंधन के साथ पंजीकृत वाहनों के माध्यम से आगंतुकों का बाघ अभयारण्य में प्रवेश सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिनके साथ एक अधिकृत गाइड भी होना चाहिए। सभी गाइडों और ड्राइवरों को अनिवार्य रूप से व्याख्यान और नियमों व विनियमों का एक लघु पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था, जिसके बाद ब्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किए जाने से पहले मौखिक परीक्षा ली जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीटीआर की संचालन समिति[83] ने पीटीआर के अंदर भ्रमण के लिए 10 सफारी वाहन खरीदने का निर्णय (फरवरी 2018) लिया था। पीटीआर, उत्तरी प्रमंडल ने 2021-22 के दौरान पीटीसीएफ निधि से ₹ 40.00 लाख की लागत से दो वाहन (एक ट्रैवलर और एक पिकअप) खरीदे थे। हालाँकि, ये वाहन अगस्त 2023 तक कार्यालय परिसर में रखे हुए पाए गए, क्योंकि उन्हें प्रमंडल द्वारा परिवहन विभाग में पंजीकृत नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि निजी वाहन पीटीआर प्रबंधन के साथ अगस्त 2023 तक पंजीकृत हुए बिना ही पर्यटकों को पीटीआर भ्रमण के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे थे। इन निजी वाहनों से जुड़े ड्राइवरों और गाइडों को भी पीटीआर प्रबंधन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था। निजी वाहनों के पंजीकरण के अभाव में, पीटीआर प्रबंधन का निजी वाहनों के किराया और आवागमन पर कोई नियंत्रण नहीं था, जैसा कि एफडी, पीटीआर द्वारा सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू को बताया (अगस्त 2018) गया।

---

[83] मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में डब्ल्यूपीए की धारा 38यू के अंतर्गत गठित।

इस प्रकार, जैसा कि संचालन समिति द्वारा निर्णय लिया गया था, पीटीआर में विभागीय वाहनों को संचालित करने में पीटीआर प्रबंधन की असमर्थता के कारण बाघ अभयारण्य में अनधिकृत निजी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही हो रही थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि वर्तमान में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में सफारी वाहनों का परिचालन निजी वाहन स्वामियों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, आगंतुकों को अनिवार्य इको-गाइड के साथ जंगल सफारी में अपने वाहन चलाने की भी अनुमति है। इको-गाइड के लिए प्रमाणन पाठ्यक्रम का निर्माण भी प्रक्रियाधीन है।

हालांकि, तथ्य यह है कि पीटीआर के अंदर निजी वाहनों के परिचालन को नियंत्रित और सीमित नहीं किया जा सका क्योंकि वे पीटीआर प्रबंधन के पास पंजीकृत नहीं थे।

2.4.6.3 पीटीआर में पारिस्थितिकी-पर्यटन की निगरानी का अभाव

एनटीसीए मार्गदर्शिका (धारा 2.1.8, 2.1.9 और 2.3.4) में एक स्थानीय सलाहकार समिति[84] (एलएसी) की स्थापना का प्रावधान है, जो भवनों और अवसंरचनाओं पर स्थल विशिष्ट मानदंडों को सुनिश्चित करेगी और पर्यटक सुविधाओं जैसे आवृत्त क्षेत्र, निर्माण के प्रकार, कर्मचारियों की संख्या आदि की नियमित समीक्षा करेगी, ताकि शमन और पुनरोद्धार उपायों का सुझाव दिया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2023 तक पीटीआर में एलएसी का गठन नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि विभागीय आवास सुविधा के अलावा, पीटीआर के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) में बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पास पांच होटल (चार निजी होटल और एक झारखण्ड पर्यटन विकास निगम का) और चार रेस्तरां/ढाबे थे। यद्यपि निजी होटलों की गतिविधियों को पीटीआर के पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए ईएसजेड की अधिसूचना के तहत विनियमित किया जाना अपेक्षित था, लेकिन एलएसी के गठन न होने के कारण इस प्रभाव की निगरानी नहीं की जा सकी। पीटीआर प्रबंधन ने बेतला राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र में निजी स्वामित्व वाली सुविधाओं के संचालन के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी विकसित नहीं की थी।

विभाग ने बताया (अगस्त 2024) कि पीटीआर की पारिस्थितिकी-पर्यटन नीति पर पीटीसीएफ के शासी निकाय में गहन चर्चा की गई और नीति में एक पर्यटन प्रबंधक की नियुक्ति और राजस्व साझाकरण मॉडल को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी

---

[84] प्रमंडलीय आयुक्त या समकक्ष स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न सदस्यों, जैसे संबंधित क्षेत्र के राज्य विधानमंडल के सदस्य, जिला कलेक्टर, बाघ अभयारण्य के क्षेत्रीय निदेशक, स्थानीय प्रादेशिक प्रमंडलीय वन अधिकारी, राज्य पर्यटन और जनजातीय विभागों के अधिकारी, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि, वन्यजीव और सामाजिक वैज्ञानिक तथा स्थानीय संरक्षणवादी।

दे दी गई है। आगे कहा गया कि निजी ऑपरेटर पीटीआर प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि निजी ऑपरेटरों की गतिविधियों को ईएसजेड अधिसूचना के तहत विनियमित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, एलएसी का गठन न होने के कारण पीटीआर के आसपास पारिस्थितिकी-पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास सहित पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधियों की उचित निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

2.4.6.4 पारसनाथ वन्य जीव आश्रयणी में अनियंत्रित आवाजाही

पारसनाथ वन्य जीव आश्रयणी के अंतर्गत पारसनाथ (एक जैन मंदिर स्थल) अंतरराष्ट्रीय महत्व[85] का एक पर्यटन स्थल है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। पारसनाथ वन्य जीव आश्रयणी की प्रबंधन योजना में वन्य जीव आश्रयणी में पर्यटन अवसंरचना[86] की कमी, कर्मचारियों की कमी, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का अभाव और हर साल अक्टूबर से जून के बीच बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों से निपटने के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना का अभाव पाया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हजारीबाग वन्यजीव प्रमंडल ने 2018-23 के दौरान पारसनाथ वन्यजीव आश्रयणी में पारिस्थितिकी-पर्यटन अवसंरचना विकसित करने और आगंतुकों को विनियमित करने के लिए कोई पहल नहीं की। प्रमंडल ने आश्रयणी क्षेत्र में आगंतुकों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए वन्यजीव आश्रयणी की वहन क्षमता या आगंतुकों की संख्या का कोई आकलन भी नहीं किया। इस प्रकार, पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना के अभाव में, 2018-23 के दौरान वन्य जीव आश्रयणी में आगंतुकों की आवाजाही को विनियमित नहीं किया जा सका।

विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि धार्मिक स्थल होने के कारण, पर्यटकों की आवाजाही को विनियमित करना संभव नहीं है। इसके अलावा, मधुबन पारसनाथ की तलहटी में स्थित एक बस्ती है, जहां आवास की अच्छी सुविधाएं हैं, और इसलिए वन्य जीव आश्रयणी में और अधिक सुविधाएं बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि प्रमंडल ने वन्यजीव आश्रयणी की वहन क्षमता के संबंध में चिन्हित स्थानों, यात्रा के मार्गों, अनुमेय गतिविधियों, समय और यात्रा के साधनों को शामिल करते हुए कोई भी पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना नहीं बनाई, जैसा कि झारखण्ड पारिस्थितिकी-पर्यटन नीति, 2015 और पारिस्थितिकी-पर्यटन के लिए भारत सरकार की नीति (सितंबर 2018) के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके आवास की सुरक्षा के लिए तीर्थयात्रियों/पर्यटकों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए

---

[85] जैसा कि पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित (फरवरी 2019) किया गया।

[86] शयनगृह, विश्रामगृह, व्याख्यान केंद्र, निगरानी टावर, साइनेज, अच्छी तरह प्रशिक्षित गाइड आदि।

आवश्यक है। विभाग अवसंरचना जैसे कि व्याख्या केंद्र, निगरानी टावर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित गाइड, सुरक्षा व्यवस्था आदि के निर्माण पर कोई चर्चा नहीं किया, जैसा कि प्रबंधन योजना में उजागर किया गया था।

2.4.6.5 उधवा झील पक्षी आश्रयणी में पारिस्थितिकी-पर्यटन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उधवा झील पक्षी आश्रयणी को पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेल और युवा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय महत्व के पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित (फरवरी 2019) किया गया था। हालाँकि, प्रमंडल ने आश्रयणी में आने वाले आगंतुकों के संबंध में कोई आंकड़ा नहीं रखा। सितंबर 2023 में लेखापरीक्षा द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान, यह देखा गया कि आश्रयणी में पर्यटकों की संख्या बहुत कम थी, जिसका मुख्य कारण अवसंरचना, जैसे कि संपर्क सड़कें, आवास और भोजन की सुविधा, नावें और अच्छी तरह से प्रशिक्षित गाइड, की कमी थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आश्रयणी से 25 से 60 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय और राजकीय महत्व के अन्य पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे जुरासिक (मेसोज़ोइक) युग (199.6 से 65.5 मिलियन वर्ष पूर्व) के जीवाश्मों के संरक्षण के लिए मंडरो में एक जीवाश्म पार्क, एक जलप्रपात (मोती-झरना), दो धार्मिक स्थल (कन्हैया स्थान और शिवगादी धाम) और तीन ऐतिहासिक स्मारक (मान सिंह दलान, जामी मस्जिद और बारहद्वारी)। हालांकि, पूरे क्षेत्र को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का अवसर होने के बावजूद, विभाग ने अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की और न ही कोई व्यापक प्रचार-प्रसार किया।

इस प्रकार, क्षेत्र को एक पर्यटक सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक योजना के अभाव, उचित प्रचार-प्रसार की कमी और पर्याप्त पारिस्थितिकी-पर्यटन अवसंरचना के निर्माण न होने के कारण, विभाग आश्रयणी में पारिस्थितिकी-पर्यटन को बढ़ावा नहीं दे सका और रोजगार सृजन के माध्यम से स्थानीय लोगों की आजीविका को नहीं बढ़ा सका।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि संरक्षित क्षेत्र में पारिस्थितिकी-पर्यटन अवसंरचना का विकास प्रक्रियाधीन है।

2.4.6.6 पर्यटकों से प्रवेश शुल्क

भारत सरकार की पारिस्थितिकी-पर्यटन नीति, 2018 में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकारें स्थानीय आजीविका के मुद्दों, मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन और पारिस्थितिकी-विकास के माध्यम से संरक्षण के लिए पर्यटकों से संरक्षण शुल्क ले सकती हैं। पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना का उद्देश्य हितधारकों अर्थात स्थानीय समुदायों के लिए एक व्यवहार्य राजस्व साझाकरण तंत्र को शामिल करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने संरक्षित क्षेत्र के लिए कोई प्रवेश शुल्क निर्धारित नहीं किया था। वर्ष 2018-23 के दौरान 4.37 लाख पर्यटकों ने छः संरक्षित क्षेत्रों में से चार[87] का दौरा किया, जहां पारिस्थितिकी-पर्यटन उपलब्ध था। संबंधित प्रमंडलों ने सभी चार संरक्षित क्षेत्र में प्रत्येक पर्यटक वाहन से प्रवेश शुल्क वसूला। हालाँकि, लागू दरों में कोई एकरूपता नहीं थी। दलमा वन्य जीव आश्रयणी में 2.46 लाख पर्यटकों से प्रति पर्यटक 2 रुपये का अतिरिक्त प्रवेश शुल्क भी वसूला गया, जबकि हजारीबाग वन्य जीव आश्रयणी और पीटीआर में 1.92 लाख पर्यटकों से यह शुल्क नहीं वसूला गया। शेष दो संरक्षित क्षेत्र (पारसनाथ और उधवा) में प्रमंडलों ने न तो पर्यटकों का आंकड़ा रखा और न ही कोई प्रवेश शुल्क वसूला। इस प्रकार, प्रमंडलों ने सभी संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश (संरक्षण) शुल्क का संग्रहण सुनिश्चित नहीं किया।

2018-23 के दौरान प्रमंडलों द्वारा प्रवेश शुल्क, आवास और अन्य शुल्कों के कारण पारिस्थितिकी-पर्यटन से ₹ 1.66 करोड़[88] की राशि राजस्व के रूप में वसूल की गई थी। हजारीबाग और दलमा वन्य जीव आश्रयणी में वसूल की गई राशि सरकारी खाते में जमा कर दी गई, जबकि पीटीआर में इसे पीटीसीएफ में जमा कर दिया गया। हालाँकि, विभाग ने स्थानीय समुदायों के साथ राजस्व साझा करने के लिए किसी भी व्यवहार्य तंत्र का आकलन नहीं किया। इससे संरक्षित क्षेत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि प्रबंधन योजना में परिकल्पित किया गया था।

यह भी पाया गया कि इन पारिस्थितिकी-पर्यटन क्षेत्रों का प्रमंडलो द्वारा उचित रखरखाव नहीं किया जा रहा था। स्थल भ्रमण (सितंबर 2023) के दौरान, दलमा वन्य जीव आश्रयणी में पॉलिथीन/प्लास्टिक सामग्री जैसी पूरी तरह से प्रतिबंधित वस्तुएं, बिखरी हुई पाई गईं, जबकि आगंतुकों के लिए विभिन्न स्थानों पर जागरूकता बोर्ड लगाए गए थे, जिन पर स्वच्छता बनाए रखने और प्रतिबंधित वस्तुओं को न ले जाने के संदेश प्रदर्शित किए गए थे, जैसा कि **चित्र 2.7** और **2.8** में देखा जा सकता है।

---

[87] पीटीआर (पलामू वन्यजीव आश्रयणी और बेतला राष्ट्रीय उद्यान): 1,26,515, दलमा: 2,46,030 और हजारीबाग: 64,256.

[88] हजारीबाग वन्यजीव आश्रयणी (₹ 10.07 लाख), दलमा वन्यजीव आश्रयणी (₹ 61.91 लाख) और पीटीआर (₹ 94.42 लाख).

चित्र 2.7	चित्र 2.8
दलमा टॉप के पास पर्यटक मार्ग (07 सितंबर 2023)	*मकुलाकोचा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स (04 सितंबर 2023)*

इस प्रकार, विभाग ने न तो सभी संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश शुल्क वसूलना सुनिश्चित किया और न ही संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-पर्यटन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्व का एक हिस्सा स्थानीय समुदायों के साथ साझा करने की व्यवहार्यता का आकलन किया।

जवाब में, विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि प्रत्येक पारिस्थितिकी-पर्यटन स्थल में पर्यटकों को आकर्षित करने की अलग-अलग क्षमता होती है, और इसलिए, प्रवेश शुल्क वसूलने में एकरूपता संभव नहीं है। आगे कहा गया कि स्थानीय ई.डी.सी. संरक्षित क्षेत्र, विशेषकर पीटीआर, में पारिस्थितिकी-पर्यटन में सक्रिय रूप से शामिल हैं, तथा ई.डी.सी. के सदस्यों को आतिथ्य में क्षमता निर्माण के लिए समय-समय पर भेजा जाता है। राजस्व साझाकरण तंत्र का लाभ वर्तमान में दलमा वन्य जीव आश्रयणी में सुनिश्चित किया गया है और इसी तरह की व्यवस्था राज्य के अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भी लागू की जाएगी।

प्रवेश शुल्क के संग्रहण के संबंध में उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि स्थानीय आजीविका के मुद्दों को हल करने और पारिस्थितिकी-विकास के माध्यम से संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी-पर्यटन वाले सभी संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश शुल्क एकत्र किया जा सकता था। पारिस्थितिकी-पर्यटन में ई.डी.सी. की सक्रिय भागीदारी और कौशल विकास भी तथ्यात्मक नहीं है, क्योंकि ई.डी.सी. का गठन संरक्षित क्षेत्र के केवल 40 प्रतिशत गांवों में ही किया गया है, जैसा कि **कंडिका 2.4.7.1** में चर्चा की गई है।

अनुशंसा 15: विभाग प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए विशिष्ट पारिस्थितिकी-पर्यटन योजना तैयार कर सकता है, जिसमें उसकी वहन क्षमता, यात्रा मार्ग, यात्रा के साधन, प्रवेश शुल्क आदि का विवरण दिया जाएगा। पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए स्थानीय समुदाय का कौशल विकास और जागरूकता सृजन सुनिश्चित किया जा सकता है।

2.4.7 पारिस्थितिकी-विकास

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना-2 (2002-16) इस तथ्य को रेखांकित करती है कि किसी क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के बाद स्थानीय समुदायों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें वन भूमि[89] और अन्य प्राकृतिक उपज से वंचित कर दिया जाता है। प्रभावी वन्यजीव संरक्षण के लिए, उन्हें अवसरों की हानि तथा जंगली जानवरों द्वारा जान-माल को पहुंचाई गई क्षति के लिए मुआवजा देना आवश्यक है। एनडब्ल्यूएपी प्रत्येक वर्ष एक बार सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने पर जोर देता है, ताकि इस तरह के नुकसान के साथ-साथ वनों की आग, पशुओं के चरने, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों से वन्यजीवों को होने वाली प्रतिकूलताओं को शामिल किया जा सके, ताकि रोकथाम और नियंत्रण उपायों की योजना बनाई जा सके और प्रभावित लोगों की भागीदारी के साथ उनका कार्यान्वयन किया जा सके।

2.4.7.1 पारिस्थिकी विकास समिति का गठन न होना

झारखण्ड सरकार ने संरक्षित क्षेत्र के 5 किलोमीटर के अंदर या आसपास स्थित सभी गांवों में पारिस्थितिकी विकास समितियों (ईडीसी) के गठन के संबंध में एक प्रस्ताव निर्गत किया था (सितंबर 2001 में)। ईडीसी का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्र के किनारे रहने वाले ग्रामीणों को सतत विकास प्रदान करना, वन संसाधनों पर उनकी निर्भरता कम करना तथा वन और वन संसाधनों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता लाना है, ताकि उन्हें वन्यजीवों और उनके आवास की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके। प्रस्ताव के अनुसार, ईडीसी की एक कार्यकारी समिति[90] का गठन किया जाना था, जिसका चयन (पदेन सदस्यों को छोड़कर) गांव की आम सभा द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाना था। चयनित कार्यकारी समिति को संबंधित डीएफओ के पास पंजीकृत होना था।

नमूना जांचित प्रमंडलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि ईडीसी का गठन संरक्षित क्षेत्र में और उसके आसपास स्थित 1,412 गांवों में से केवल 571 (40 प्रतिशत) गांवों में किया गया था (जुलाई 2023 तक) और ईएसजेड अधिसूचनाओं के अनुसार संरक्षित क्षेत्र पर जैविक दबाव पैदा हो रहा था। इनमें से 254 ईडीसी (44 प्रतिशत) की कार्यकारी समितियों का डीएफओ के पास जुलाई 2023 तक दो वर्ष तक की अवधि के लिए वैध पंजीकरण था (**परिशिष्ट 2.4**)।

इस प्रकार, नमूना जांचित प्रमंडलों ने सभी गांवों में ईडीसी के गठन के माध्यम से वन्यजीव और उनके आवास की सुरक्षा के लिए गतिविधियों की योजना बनाने और

---

89 कानूनी अधिकार जो किसी व्यक्ति या पक्ष को वनों का उपयोग करने, उनसे लाभ उठाने या उनसे आय प्राप्त करने का अस्थायी अधिकार देता है।

90 इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदेन सचिव (वनपाल) और उप सचिव (वनरक्षी) तथा अन्य सदस्यों को मिलाकर 18 से 25 सदस्य होते हैं।

कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की, जो संरक्षित क्षेत्र पर जैविक दबाव पैदा कर रहे थे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि अधिकांश गांवों में ईडीसी का गठन किया जा चुका है, जिनका संरक्षित क्षेत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नए चुनावों के माध्यम से नई समितियों के गठन और ईडीसी के नवीनीकरण के प्रयास जारी हैं। गांवों की जरूरतों को समझने के लिए एक आधारभूत सर्वेक्षण भी कराया गया है। यह भी कहा गया कि संबंधित प्रमंडल शेष बचे गांवों में ईडीसी का गठन सुनिश्चित करेंगे।

2.4.7.2 सूक्ष्म योजना का न बनाना

झारखण्ड सरकार के संकल्प (सितंबर 2001) के अनुसार, ईडीसी को गांव के विकास के लिए तथा ग्रामीणों की वन पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करने के लिए, सामान्यतः 10 वर्षों के लिए, एक विशिष्ट ग्रामीण स्तर की सूक्ष्म योजना तैयार करनी है। सूक्ष्म योजना को वन संरक्षक (सीएफ) द्वारा अनुमोदित किया जाना है। अनुमोदित सूक्ष्म योजना के आधार पर, वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की जानी हैं और सक्षम प्राधिकारी (डीएफओ और सीएफ) द्वारा उनके वित्तीय प्रत्यायोजन के अनुसार अनुमोदित की जानी हैं। वार्षिक कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियाँ विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 571 ईडीसी में से 429 ईडीसी[91] ने 2016-20 के दौरान अपना सूक्ष्म योजनाएँ तैयार किया था। इनमें से 299 योजनाओं[92] को संबंधित वन संरक्षक द्वारा मंजूरी (जुलाई 2019 और सितंबर 2020 के बीच) दे दी गई थी, शेष 130 योजनाओं को जुलाई 2023 तक मंजूरी नहीं दी गई थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

(i) पीटीआर की 96 सूक्ष्म योजनाओं (2016-20 के दौरान तैयार) में से, जिन्हें मंजूरी नहीं दी गई थी, 43 को सीसीएफ, पीटीआर द्वारा आवश्यक संशोधन के लिए वापस कर दिया गया था। दो योजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई थी, क्योंकि ये गांव कोर जोन में स्थित थे, इसलिए इन्हें स्थानांतरित किया जाना था। पीटीआर प्रमंडलो (उत्तरी और दक्षिणी) ने शेष 51 योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी।

(ii) रांची वन्यजीव प्रभाग, पालकोट वन्यजीव आश्रयणी से संबंधित 29 सूक्ष्म योजनाओं (2019-20 में तैयार) जो मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव द्वारा अनुमोदन

---

[91] दलमा: 82, गौतम बुद्ध: 15, हजारीबाग: 40, कोडरमा: 15 और लावालौंग: 30, पीटीआर: 168 और पालकोट: 79.

[92] दलमा: 77, गौतम बुद्ध: 15, हजारीबाग: 40, कोडरमा: 15 और लावालौंग: 30, पीटीआर: 72 और पालकोट: 50.

के लिए मार्च 2020 से लंबित थीं, की स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं करा सका, जिसका कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाया गया।

(iii) हाथी परियोजना, जमशेदपुर ने संशोधन के साथ पांच सूक्ष्म योजनाओं को सीसीएफ, वन्यजीव को मंजूरी के लिए प्रस्तुत (जुलाई 2020) किए। हालाँकि, उनकी स्वीकृति की स्थिति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

- 2018-19 की एमईई प्रतिवेदन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि दो संरक्षित क्षेत्रों (पारसनाथ और तोपचांची) में पारिस्थिकी-विकास कार्यक्रम बहुत कमजोर थे, क्योंकि विभाग से संसाधनों की कमी के कारण ईडीसी लगभग निष्क्रिय थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन संरक्षित क्षेत्रों में 33 ईडीसी गठित किए गए थे, लेकिन केवल चार ही कार्यशील (जुलाई 2023 तक) थे। इस प्रकार, संबंधित प्रमंडलों ने एमईई प्रतिवेदन में इस बात को उजागर किए जाने के बावजूद ईडीसी का पुनरुद्धार नहीं किया।
- ई.डी.सी. ने अनुमोदित सूक्ष्म योजनाओं के आधार पर वार्षिक कार्य-योजना तैयार नहीं की थी। यद्यपि तीन प्रमंडलो[93] ने विकासात्मक गतिविधियों के लिए 2018-23 के दौरान ईडीसी को ₹ 9.04 करोड़ रुपये विमुक्त किए थे, लेकिन ईडीसी ने जुलाई 2023 तक प्रमंडलो को निधियों के उपयोग का विवरण दर्शाते हुए वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे। इसलिए, उनके द्वारा की गई गतिविधियों का लेखापरीक्षा द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

इस प्रकार, प्रमंडलो ने सभी गांवों में ईडीसी का गठन सुनिश्चित नहीं किया, जिससे संरक्षित क्षेत्र पर जैविक दबाव पड़ा या गठित ईडीसी के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूक्ष्म योजनाओं को मंजूरी न दिए जाने के कारण गांवों में विकासात्मक गतिविधियों का क्रियान्वयन नहीं हो पाया, जिससे कि गांवों की संरक्षित क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके। प्रमंडलो ने ईडीसी को उपलब्ध कराये गये निधियों के विरूद्ध उनके द्वारा लेखा प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित नहीं किया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2024) कि शेष 130 सूक्ष्म योजनाओं का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है और शेष सूक्ष्म योजनाओं की तैयारी यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। हालाँकि, ईडीसी द्वारा लेखा प्रस्तुत न करने के संबंध में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

अनुशंसा 16: विभाग को संरक्षित क्षेत्र पर जैविक दबाव वाले सभी गांवों में ईडीसी का गठन सुनिश्चित करना चाहिए। गांवों में विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सूक्ष्म योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

---

[93] हजारीबाग प्रमंडल: ₹ 76 लाख, दलमा: ₹ 7.40 करोड़ और पालकोट ₹ 87.88 लाख

2.5 प्रभाव मूल्यांकन और निगरानी

2.5.1 सतत् विकास लक्ष्य

सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) 15 "भूमि पर जीवन" से संबंधित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और संवर्धन करना, वनों का स्थायी प्रबंधन करना और जैव विविधता की हानि को रोकना है।

सतत् विकास लक्ष्य 15 को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने छः संकेतक सुझाए थे, जैसे (i) वन आवरण (ii) वृक्ष आवरण (iii) वनीकरण योजनाओं के अंतर्गत आवृत्त क्षेत्र (कुल भौगोलिक क्षेत्र के मुकाबले प्रतिशत) (iv) कुल भूमि क्षेत्र पर बंजर भूमि का प्रतिशत (v) मरुस्थलीकरण के क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि और (vi) संरक्षित क्षेत्र के प्रति मिलियन हेक्टेयर वन्यजीव अपराध। इन संकेतकों के आधार पर, नीति आयोग ने राज्यों के प्रदर्शन का भी आकलन किया था, जिसमें झारखण्ड ने 100 में से 71 अंक (एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21) हासिल किए थे और 28 राज्यों में आठवें स्थान पर था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग 2021-22 से वार्षिक लक्ष्य और आउटपुट/परिणाम संकेतक दिखाकर परिणाम बजट तैयार कर रहा था। वनरोपण एवं मृदा संरक्षण, वन अग्नि प्रबंधन और सीमाओं के सुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। हालांकि, अन्य योजनाओं जैसे वन्यजीव संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण, पारिस्थितिकी पर्यटन, हाथी परियोजना, ब्याघ्र परियोजना, प्रशिक्षण, प्रचार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन आदि के लिए, पहचाने गए परिणाम संकेतकों जैसे वन्यजीव आवास में सुधार, मानव-पशु संघर्ष में कमी, वन्यजीव अपराधों में कमी, जंगली जानवरों की संख्या में वृद्धि, वन्यजीव संरक्षण के संबंध में सामुदायिक जागरूकता और वन अधिकारियों और स्थानीय लोगों के कौशल विकास के विरुद्ध उपलब्धियों की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, नीति आयोग के संकेतकों के संबंध में इन योजनाओं की वार्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन एसडीजी 15 के अनुरूप नहीं किया जा सका **(परिशिष्ट 2.21)**।

विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि प्रत्येक योजना के लिए लक्ष्य प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है तथा उसी के अनुसार कार्य निष्पादित किये जाते हैं। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे तथा उपलब्धियों की निगरानी नहीं की गई थी, जैसा कि वार्षिक परिणाम बजट में देखा गया है।

अनुशंसा 17: विभाग संरक्षित क्षेत्र के संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित प्रत्येक योजना के लिए बजट में विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। राज्य में एसडीजी 15 की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित परिणामों के विरुद्ध प्रगति की निगरानी की जा सकती है।

2.5.2 वन्यजीव संरक्षण लक्ष्य

पर्यावरण की रक्षा और सतत विकास के विकल्प सुझाने के लिए, राज्य सरकार ने राज्य के 2030 के विजन के अनुरूप झारखण्ड विजन और कार्य योजना 2021 तैयार की है। योजना में प्रदर्शन संकेतक तथा प्रत्येक संकेतक के लिए 2021, 2025 और 2030 तक प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य शामिल थे। 2021 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का विवरण **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5: वन्यजीव संरक्षण ध्येय के लक्ष्य और उपलब्धियां

सूचक	2021 का लक्ष्य	लेखापरीक्षा अवलोकन
1. राज्य वन आवरण	वनों के संसाधन मानचित्रण का कार्य पूरा करना।	स्वीकृत प्रबंधन योजना (2020-31) में जल स्रोतों की अनुपस्थिति, आवास क्षरण और अवांछित खरपतवारों के आक्रमण जैसे खतरों को विशिष्ट स्थलों के विवरण के बिना उजागर किया गया था। प्रबंधन योजना ने भविष्य में खतरों को कम करने के लिए गतिविधियां चलाने के लिए स्थलों का विस्तृत सर्वेक्षण और संसाधन मानचित्रण का प्रस्ताव रखा था।
2. वन संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी	शत-प्रतिशत क्षेत्र को आवृत्त किया जाएगा तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) का विकास किया जाएगा।	संरक्षित क्षेत्र पर जैविक दबाव डालने वाले सभी गांवों में ई.डी.सी. का गठन नहीं किया गया और न ही पहले से गठित ई.डी.सी. के पंजीकरण का नवीनीकरण किया गया। संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन ने प्रकृति शिक्षा के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने और वन्यजीव संरक्षण के लिए जन समर्थन प्राप्त करने को सुनिश्चित नहीं किया।
3. हाथियों की आबादी का संरक्षण	हाथी संरक्षित क्षेत्रों के लिए आगामी वर्षों हेतु प्रबंधन योजना की तैयारी	हाथी अभयारण्य के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी। संबंधित प्रमंडलों ने अपनी कार्ययोजना के आधार पर अभयारण्य का प्रबंधन किया, जिसमें स्थल विशिष्ट आवश्यकताएं शामिल नहीं थीं।
4. महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों का संरक्षण (आईबीए)	राज्य के लिए पक्षी चेकलिस्ट का विकास	उधवा झील पक्षी आश्रयणी को 2009-18 के दौरान 146 प्रजातियों के पक्षियों के साथ एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में पहचाना गया था (*रहमानी एट अल 2016*)। हालाँकि, विभाग ने अगस्त 1991 में अपनी अधिसूचना के बाद से संरक्षित क्षेत्र को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित नहीं किया था। स्थानीय और प्रवासी पक्षियों सहित स्थानीय जलीय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए, स्थानीय स्तर पर अवसंरचना के विकास को उचित महत्व नहीं दिया गया।

सूचक	2021 का लक्ष्य	लेखापरीक्षा अवलोकन
5. वन विभाग के कार्मिकों की संस्थागत क्षमता	रिक्तियों को 100% भरना	विभाग ने संरक्षित क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्याप्त संख्या में अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों और विशेषज्ञ अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित नहीं की थी। मार्च 2023 तक 49 प्रतिशत अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों की कमी से संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
6. वन एवं वन्यजीव संरक्षण में प्रौद्योगिकी एकीकरण	वन एवं वन्यजीव मानचित्रण के लिए पूर्णतः एकीकृत भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) की स्थापना	MSTrIPES एप्लीकेशन एक ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रणाली है जो प्रभावी गश्त, पारिस्थितिकी स्थिति के आकलन में सहायता करती है तथा बाघ अभयारण्य में और उसके आसपास मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करती है। पी.टी.आर. के प्रबंधन के लिए एप्लिकेशन का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि डेटाबेस में पारिस्थितिकी की सुरक्षा, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और शिकारियों और शिकार की आबादी में सुधार के लिए आवश्यक आंकड़े संधारित नहीं था।

इस प्रकार, जैसा कि **तालिका 2.5** से देखा जा सकता है, विभाग ने मार्च 2023 तक जैव-विविधता समृद्ध पर्यावरण के संतुलित और सतत संरक्षण के लिए 2021 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया।

विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि विजन और कार्य योजना 2021 में तैयार की गई थी और विभाग द्वारा 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने मध्यावधि लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, जैसा कि विजन और कार्य योजना में निर्धारित किया गया था, जिन्हें धीरे-धीरे 2021, 2025 और अंततः 2030 तक हासिल किया जाना था।

2.5.3 नियंत्रण प्रपत्र और संरक्षित क्षेत्र बुक

प्रबंधन योजना पर मार्गदर्शिका (कंडिका 6.1, 6.2 और 6.3) में सभी प्रबंधन गतिविधियों[94], समस्याओं, उनके परिमाण[95] और घटनाओं के विवरण[96] को अभिलेखित करने के लिए नियंत्रण प्रपत्र संधारित करने की परिकल्पना की गई है।

---

94 जल कुंडों का निर्माण और रखरखाव, आवासों का पुनरुद्धार, संचार और मानव शक्ति सहित बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव, पारिस्थितिकी-विकास और पारिस्थितिकी-पर्यटन गतिविधियां आदि।

95 वृक्षारोपण की प्रतिक्रिया, वन्यजीवों की मृत्यु, पौधों और जानवरों में रोग का प्रकोप, मानव-पशु संघर्ष, वन्यजीवों द्वारा निजी संपत्ति को नुकसान, मवेशियों का चरना, आग लगना, अपराध के मामले का पता लगाना आदि।

96 अनुसंधान, पारिस्थितिकी-पर्यटन/पारिस्थितिकी-विकास गतिविधियां, निगरानी, आवंटित धनराशि का विवरण, राजस्व और व्यय, सर्वेक्षण और सूची आदि।

इन नियंत्रण प्रपत्रों का उपयोग वार्षिक प्रतिवेदन, योजना संशोधन, प्रबंधन समीक्षा और मध्यावधि सुधार के लिए संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा, संरक्षित क्षेत्र में प्रबंधन गतिविधियों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए पीए बुक और रेंज बुक को संधारित करना है, जिसमें बनाए गए और अनुमोदित विचलन प्रस्ताव भी शामिल हैं। आवास प्रवृत्तियों, प्राकृतिक और मानव प्रेरित प्रभावों और प्रबंधन व्यवस्थाओं की दक्षता के मूल्यांकन के लिए कम्पार्टमेंट हिस्ट्री भी प्रतिवर्ष तैयार किया जाना है।

प्रबंधन योजना में संरक्षित क्षेत्र के बारे में सूचना संकलित करने के लिए वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल और संबंधित कर्मचारियों द्वारा संधारित नियंत्रण प्रपत्रों के प्रारूप भी शामिल थे। हालांकि, नमूना जांचित प्रमंडलों ने गतिविधियों की निगरानी और संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके प्रभाव के लिए नियंत्रण प्रपत्र, पीए बुक, रेंज बुक और कम्पार्टमेंट हिस्ट्री का रखरखाव नहीं किया था। प्रबंधन ने वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन और निधियाँ विमुक्त करने से पहले क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा इन अभिलेखों का रखरखाव भी सुनिश्चित नहीं किया।

इस प्रकार, क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा पर्यावास प्रवृत्तियों, संरक्षित क्षेत्र पर प्राकृतिक और मानव प्रेरित प्रभावों तथा प्रबंधन प्रथाओं की दक्षता के मूल्यांकन के लिए आवश्यक निर्धारित अभिलेखों के रखरखाव को सुनिश्चित करने में उच्च अधिकारियों की ओर से निगरानी का अभाव था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और कहा कि प्रमंडलों और प्रक्षेत्रों में भारी मनावबल की कमी के कारण नियंत्रण प्रपत्र और संरक्षित क्षेत्र पुस्तकों का रखरखाव नहीं किया जा सका। आगे कहा गया कि लेखापरीक्षा अवलोकन को विधिवत नोट कर लिया गया है तथा संबंधित इकाइयों को भविष्य में इसका अनुपालन करने के निर्देश दिए जाएंगे।

2.5.4 अनुसंधान गतिविधि का अभाव

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-16) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र प्रबंधक को अपने-अपने संरक्षित क्षेत्र के लिए अनुसंधान प्राथमिकताएं तैयार करनी होंगी, जिन्हें राज्य वन्यजीव अनुसंधान योजना में समेकित किया जाएगा, जिसे राज्य वन विभाग द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में तैयार किया जाएगा। एनडब्ल्यूएपी-3 (2017-31) के अनुसार, संरक्षित क्षेत्र के लिए संरक्षण रणनीतियों और प्रबंधन योजनाओं (प्रबंधन योजना) को ठोस वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित होना चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि प्रबंधन योजना (2020-31) पुराने शोध आंकड़े और सूचना के आधार पर तैयार किए गए थे। प्रबंधन योजना ने स्थानीय रूप से विलुप्त प्रजातियों को पुनः शामिल करने, विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या का अध्ययन करने, वनस्पति प्रकारों का मानचित्रण करने, पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली आक्रामक प्रजातियों का अध्ययन करने, वनस्पतियों और जीवों का

वैज्ञानिक अध्ययन आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मानक ज्ञान में सुधार करने के लिए अनुसंधान आधार को मजबूत करने का प्रस्ताव दिया था। अनुसंधान कार्य सम्पन्न करने के लिए प्रबंधन योजना में प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र में अनुसंधान अधिकारी का एक पद निर्धारित किया गया। हालाँकि, किसी भी संरक्षित क्षेत्र में अनुसंधान अधिकारी को नियोजित नहीं किया गया था और 2018-23 के दौरान कोई अनुसंधान गतिविधि शुरू नहीं की गई थी। आगे, विभाग ने वन्यजीवों और उनके आवासों से संबंधित अनुसंधान के लिए कोई कोष नहीं बनाया है और न ही उसने एनडब्ल्यूएपी के अनुरूप राज्य वन्यजीव कार्य योजना तैयार की है।

अपेक्षित अनुसंधान के अभाव में, प्रबंधन योजना में अपनाई गई संरक्षित क्षेत्र की संरक्षण रणनीतियों को जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक प्रबंधन प्रथाओं का समर्थन प्राप्त नहीं था, जो आवास परिवर्तन, बीमारियों के उद्भव, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के तेजी से प्रसार और जंगल की आग का कारण बन सकते थे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2024) और बताया कि पीटीआर को छोड़कर राज्य के संरक्षित क्षेत्रों में नियमित शोधकर्ताओं और प्रकृतिवादियों को नियुक्त नहीं किया गया है। हालाँकि, नियमित अनुसंधान कार्य सुनिश्चित करने के लिए शोधकर्ताओं, पशु चिकित्सकों, प्रकृतिवादियों आदि से युक्त एक परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए 2024-25 में प्रावधान किया गया है।

अनुशंसा 18: विभाग निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए सभी संरक्षित क्षेत्र में पीए बुक, रेंज बुक और नियंत्रण प्रपत्रों का रखरखाव सुनिश्चित कर सकता है। अनुसंधान गतिविधि आरंभ करने तथा संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन के लिए ठोस वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए एक राज्य वन्यजीव कार्य योजना तैयार की जा सकती है।